



क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत कार्ययोजना

ग्राम पंचायत- बगही

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग
उत्तर प्रदेश सरकार







क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत कार्ययोजना



ग्राम पंचायत- बगही

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग
उत्तर प्रदेश सरकार



प्रकाशन

पर्यावरण निदेशालय, उत्तर प्रदेश (DoE) एवं उत्तर प्रदेश जलवायु परिवर्तन प्राधिकरण
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार
ईमेल: doeuplko@yahoo.com वेबसाइट: upenv.upsdc.gov.in

तकनीकी सहयोग

वसुधा फाउंडेशन

गोरखपुर एनवायर्नमेंटल एक्शन ग्रुप (जीईएजी)

मार्गदर्शन

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार

श्री मनोज सिंह, आईएएस, अपर मुख्य सचिव

श्री आशीष तिवारी, आईएफएस, सचिव

जिला प्रशासन

सुश्री प्रियंका निरंजन, आईएएस, जिलाधिकारी, मिर्जापुर

श्री विशाल कुमार, आईएएस, मुख्य विकास अधिकारी, मिर्जापुर

वसुधा फाउंडेशन

श्री श्रीनिवास कृष्णास्वामी, सीईओ

श्री रमन मेहता, कार्यक्रम निदेशक

डॉ. एस. सतपथी, विशेषज्ञ सलाहकार

गोरखपुर एनवायर्नमेंटल एक्शन ग्रुप (जीईएजी)

डॉ. शीराज वजीह, अध्यक्ष

लेखक

वसुधा फाउंडेशन

श्री मोहित जाने, सुश्री नेहल गौतम, सुश्री शिविका सोलंकी, सुश्री रिनी दत्त

गोरखपुर एनवायर्नमेंटल एक्शन ग्रुप (जीईएजी)

श्री विजय कुमार पांडे एवं श्री के. के. सिंह

शोध समर्थन

वसुधा फाउंडेशन -

डॉ. प्रीति सिंह, श्री नवीन कुमार, सुश्री मोनिका चक्रवर्ती, सुश्री फातिमा सैला

बगही ग्राम पंचायत

सुश्री रेशु पटेल, ग्राम प्रधान

क्षेत्रीय शोध समर्थन

संस्कार संस्थान

सुश्री नीलम प्रभात, श्री उत्कर्ष सिंह

डिज़ाइन एवं लेआउट

वसुधा फाउंडेशन

श्री रोहिन कुमार, श्री संतोष कुमार सिंह, सुश्री स्वाति बंसल, सुश्री प्रिया कालिया



जिलाधिकारी
जनपद-मीरजापुर



संदेश

ग्राम पंचायतों को जलवायु सजग ग्राम पंचायत बनाने हेतु समर्पित क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत बगही विकास खण्ड नरायनपुर जनपद मीरजापुर की कार्ययोजना हेतु संदेश लिखते हुए मुझे बहुत सम्मान का अनुभव हो रहा है। जैसा कि हम जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न चुनौतियों को देख रहे हैं, हमारे लिये जमीनी स्तर पर तत्काल व्यापक कार्यवाही किये जाने की आवश्यकता है। हमारी ग्राम पंचायतें, समुदाय के निकटतम शासन एक आवश्यक इकाई होने के नाते जलवायु संबंधी चुनौतियों को कम करने और सतत् विकास को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। हमारे समुदाय, हमारा पारिस्थितिकी तंत्र और हमारी अर्थव्यवस्था सब आपस में जुड़े हैं और हमारे लिये ऐसी नणनीतियों को अपनाना आवश्यक है जो जलवायु से जुड़े जोखिमों को कम करती हों।

ग्राम पंचायतों हेतु तैयार यह कार्ययोजना जलवायु पर कार्य करने के प्रति हमारी प्रतिबद्धता है जो पंचायत को क्लाइमेट स्मार्ट पंचायत बनाने के लिये एक मार्गदर्शक के रूप में कार्य करेगी।

मैं इस क्लाइमेट स्मार्ट कार्ययोजना निर्माण के लिये पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उत्तर प्रदेश, तकनीकी सहयोगी बसुधा फाउंडेशन, नई दिल्ली, तथा स्थानीय सहयोगी सस्था मीरजापुर एनवायरमेंट एक्शन ग्रुप (एम0ई0ए0जी0), मीरजापुर 30प्र0 को धन्यवाद करती हूँ और आशा करती हूँ कि निर्मित कार्ययोजना ग्राम पंचायत को क्लाइमेंट स्मार्ट ग्राम पंचायत बनने में सहयोगी होगी।

शुभ कामनाओं सहित।।

दिनांक - 2.8.2024

(प्रियंका निरंजन)
आई0ए0एस0
जिलाधिकारी, मीरजापुर

मुख्य विकास अधिकारी
जनपद-मीरजापुर



संदेश

मैं क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत योजना विकसित करने में पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उत्तर प्रदेश तकनीकी सहयोगी वसुधा फाउंडेशन, नई दिल्ली स्थानीय सहयोगी संस्था मीरजापुर एनवायरमेंट एक्शन ग्रुप (एम0ई0ए0जी0), मीरजापुर 30प्र0 के समर्पित प्रयासों के लिये हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ।

जिस प्रकार हम और हमारी ग्राम पंचायतें जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न चुनौतियों का सामना कर रही हैं उसमें यह कार्ययोजना सहयोगी होगी। स्मार्ट और टिकाऊ प्रथाओं को बढ़ावा देकर हमारा लक्ष्य एक ऐसा मॉडल तैयार करना है जो न केवल हमारी पर्यावरण की रक्षा करें बल्कि समुदाय के समग्र कल्याण को बढ़ाये।

यह कार्ययोजना हमारी ग्राम पंचायत में संवाद सहयोग और क्रियान्वयन को प्रेरित करें। साथ मिलकर हम प्रभावी जलवायु नीतियों को लागू कर सकते हैं, स्थायी लक्ष्यों को अपना सकते हैं और एक ऐसे भविष्य का निर्माण कर सकते हैं जो न केवल पर्यावरणीय रूप से मजबूत हो बल्कि सामाजिक रूप में भी न्यायसंगत हो।

एक बार फिर क्लाइमेट स्मार्ट कार्ययोजना तैयार करने में अमूल्य योगदान के लिये आप सभी को धन्यवाद। हम योजना के सफल कार्यान्वयन और समुदाय एवं पर्यावरण पर इसके सकारात्मक प्रभाव की आशा करते हैं।

शुभ कामनाओं सहित।।

दिनांक - 02.08.2024

(विशाल कुमार)
आई0ए0एस0
मुख्य विकास अधिकारी
मीरजापुर

ग्राम प्रधान

ग्राम पंचायत - बगही, विकास खण्ड- नारायनपुर

जनपद-मीरजापुर



आभार

सर्व प्रथम आप सभी को प्रधान ग्राम पंचायत बगही, विकास खण्ड नारायनपुर, जनपद मीरजापुर की ओर से सादर नमस्कार और अभिनन्दन। मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप सभी स्वस्थ होंगे। मैं अपनी ग्राम पंचायत को क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत बनाने की ओर बढ़ाये गये प्रथम कदम/प्रयास को आपको साझा करते हुए रोमांचित हूँ।

जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न चुनौतियां हर दिन अधिक स्पष्ट होती जा रही हैं और हमारे समुदाय और भावि पीढ़ियों की भलाई के लिए उन पर कार्य करना हमारी सामुहिक जिम्मेदारी है। इस विषय की गम्भीरता को समझते हुए सभी ग्रामवासियों की सर्वसहमति हमने अपनी ग्राम पंचायत को क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत बनाने की प्रक्रिया को प्रारम्भ किया। सर्व प्रथम आवश्यक का ग्राम पंचायत में जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी समस्याओं और मुद्दों की पहचान करना जिसके लिए सामुदायिक सहभागिता के साथ ग्राम सभा की बैठक एवं समूह केन्द्रीत चर्चा के आयोजन के अतिरिक्त व्यक्तिगत चर्चा की गयी। और आकड़ों को एकत्र किया गया। आकड़े एकत्र करने की प्रक्रिया को पंचायत में क्रियान्वित करने के लिए स्थानीय सहयोगी संस्था मीरजापुर एनवायरमेंट एक्शन ग्रुप, मीरजापुर 30प्र0 का तथा आकड़े एकत्र करने में हमारे सभी ग्रामवासियों के समर्थन एवं सक्रिय भागीदारी के लिए हृदय से धन्यवाद। हम सभी साथ मिलकर हमारी पंचायत में एक पर्यावरण अनुकूल वातावरण बनायेगें जो न केवल हमारी प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा करेगा। अपितु प्रत्येक ग्रामीण की जीवन की समग्र गुणवत्ता को भी बढ़ायेगा।

इसके साथ ही मैं पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, 30प्र0 और तकनीकी सहयोगी वसूधा फाउण्डेशन नई दिल्ली का भी आभारी हूँ। जिन्होंने एकत्र किये गये आकड़ों को कार्ययोजना का स्वरूप दिया एवं तकनीकी सहयोग प्रदान किया।

मैं सभी ग्रामवासियों अपनी पंचायत को क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत बनाने के लिए हाथ मिलाकर आगे बढ़ने का आग्रह करता हूँ। आईये हम सभी एक सकारात्मक बदलाव की ओर बढ़े और दूसरों के लिए उदाहरण स्थापित करें।

शुभ कामनाओं सहित।।

दिनांक - 02.08.2024

Keshu Patel
(रेशु सिंह)
ग्राम प्रधान
ग्राम पंचायत - बगही
विकास खण्ड - नारायनपुर

विषय वस्तु

1	कार्यकारी सारांश	1
2	ग्राम पंचायत की रूपरेखा	4
	▪ ग्राम पंचायत बगही एक दृष्टि में	4
	▪ जलवायु परिवर्तनशीलता प्रोफ़ाइल	5
	▪ प्रमुख आर्थिक गतिविधियाँ	6
	▪ कार्यरत महिलाएं	7
	▪ कृषि	8
	▪ प्राकृतिक संसाधन	8
	▪ बगही में सुविधाएं	9
3	कार्बन फुटप्रिंट	10
4	व्यापक मुद्दे	11
5	प्रस्तावित अनुशंसाएं/संस्तुतियाँ	12
	▪ सतत कृषि	13
	▪ हरित स्थानों और जैवविविधता को बढ़ाना	18
	▪ सतत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन	22
	▪ जल निकायों का प्रबंधन और कायाकल्प	27
	▪ स्वच्छ, सतत, किफायती और विश्वसनीय ऊर्जा तक पहुंच	31
	▪ सतत एवं उन्नत गतिशीलता	41
	▪ आजीविका और हरित उद्यमशीलता को बढ़ाना	45
6	विचारार्थ अतिरिक्त संस्तुतियों की सूची	49
7	अनुकूलन, सह-लाभ और सतत विकास लक्ष्यों से जुड़ाव	55
8	आगे की राह	60
9	अनुलग्नक	61

चित्रों की तालिका

चित्र 1: बगही ग्राम पंचायत, जिला मिर्ज़ापुर का भूमि-उपयोग मानचित्र	5
चित्र 2: बगही में वार्षिक औसत अधिकतम और न्यूनतम तापमान, 1990- 2020	6
चित्र 3: बगही में वार्षिक वर्षा, 1990- 2020	6
चित्र 4: बगही में घरेलू स्तर पर आय का प्राथमिक स्रोत	7
चित्र 5: बगही में घरेलू स्तर पर आय वितरण	6
चित्र 6: बगही में राशन कार्ड वाले परिवार	7
चित्र 7: बगही में विभिन्न आर्थिक गतिविधियों में संलग्न महिलाओं की संख्या	7
चित्र 8: बगही में केवल कृषि पर निर्भर परिवार	8
चित्र 9: बगही में सकल फसल क्षेत्र का फसलवार वितरण	8
चित्र 10: 2022 में बगही में विभिन्न गतिविधियों का कार्बन फुटप्रिंट	10
चित्र 11: 2022 में बगही के कार्बन फुटप्रिंट में क्षेत्रों की हिस्सेदारी	10



कार्यकारी सारांश

उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले की बगही ग्राम पंचायत विंध्य क्षेत्र कृषि-जलवायु क्षेत्र में स्थित है। बगही की क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत ग्राम पंचायत (जीपी) स्तर पर जलवायु गतिविधियों/प्रक्रियाओं को मजबूत करने और पंचायत को वर्ष 2035 तक क्लाइमेट स्मार्ट/लचीला बनाने के उद्देश्य से तैयार की गई है। यह कार्ययोजना ग्राम पंचायत को विशिष्ट दिशा प्रदान करती है जिससे पंचायत लचीलापन, अनुकूलन क्षमता को बढ़ाने, कमजोरियों और संबंधित जोखिमों को कम करने के साथ ही ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करने, अतिरिक्त राजस्व सृजन, समग्र सामाजिक-आर्थिक विकास, बेहतर स्वास्थ्य और प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन जैसे अन्य सह-लाभ प्राप्त कर पाएगी।

उत्तर प्रदेश सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत की कार्ययोजनाओं के विकास के उद्देश्य से तैयार किए गए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) के मसौदे को अपनाकर इस कार्ययोजना को तैयार किया गया है। बगही के लिए क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत कार्ययोजना (सीएसजीपीएपी) इस प्रकार से तैयार की गई है कि इसे बगही ग्राम पंचायत की मौजूदा ग्राम पंचायत विकास योजना (जीपीडीपी) के साथ आसानी से और प्रभावी ढंग से एकीकृत किया जा सकता है।

यह कार्ययोजना¹ प्रमुख जनसांख्यिकीय और सामाजिक-आर्थिक पहलुओं, विंध्य कृषि-जलवायु क्षेत्र की समस्याओं, जलवायु परिवर्तनशीलता, ग्राम पंचायत के कार्बन फुटप्रिंट विश्लेषण और प्राकृतिक संसाधनों की वर्तमान स्थिति से संबंधित प्रमुख मुद्दों को सम्मिलित करती है। कार्ययोजना में क्षेत्रीय सर्वेक्षणों, समूह केन्द्रित चर्चाओं और संबंधित सरकारी विभागों और एजेंसियों के माध्यम से एकत्र किए गए बगही ग्राम पंचायत के समुदाय के सदस्यों के सुझावों को भी सम्मिलित किया गया है। इससे आधार रेखा बनाने और बगही के प्रमुख मुद्दों की पहचान करने में मदद मिली है।

इस ग्राम पंचायत में 1 राजस्व गांव और 2 मजरे हैं। जैसा कि क्षेत्रीय सर्वेक्षणों के दौरान बताया गया है, ग्राम पंचायत में 425 परिवार हैं, जिनकी कुल आबादी 2,728² है। मुख्य आर्थिक गतिविधियों में कृषि और पशुपालन सम्मिलित हैं। एक आधारभूत मूल्यांकन से पता चलता है कि बगही ग्राम पंचायत का कार्बन फुटप्रिंट~ 2,423 टन कार्बन डाइऑक्साइड (tCO₂e)³ है।

ग्राम पंचायत बगही में तत्काल कार्यवाही हेतु पहचाने गए कुछ प्राथमिकता वाले क्षेत्र निम्न हैं:

- सूखा प्रतिरोधी फ़सल और प्राकृतिक कृषि पद्धतियां जैसे टिकाऊ/सतत कृषि प्रक्रियाओं/गतिविधियों को बढ़ावा देना और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के प्रति समुदाय की अनुकूल क्षमता को बढ़ाना

1 ग्राम पंचायत कार्ययोजना में जलवायु परिवर्तन अनुकूलन, शमन एवं खतरा, जोखिम, नाजुकता और क्षमता विश्लेषण (एचआरवीसीए) के पहलू सम्मिलित हैं।

2 जनगणना 2011 आंकड़ों के अनुसार: कुल जनसंख्या - 2,121

3 ग्राम पंचायत के भीतर बिजली की खपत के कारण स्कोप 2 उत्सर्जन शामिल है (यूपीपीसीएल से प्राप्त डेटा और सीईए से प्राप्त गिड उत्सर्जन कारक)

दृष्टिकोण

प्राथमिक सर्वेक्षण टूल का विकास

- सर्वेक्षण और प्राथमिक डेटा संग्रह: सर्वेक्षण ग्राम प्रधान और समुदाय के सदस्यों के सहयोग से किया गया था। सहभागी ग्रामीण मूल्यांकन (PRA) गतिविधियों में निवासियों और समुदाय के सदस्यों के साथ फोकस समूह चर्चा (FGD), ट्रांसेक्ट वॉक, सामाजिक संसाधन मानचित्र का विकास आदि शामिल थे।

डेटा विश्लेषण और योजना विकास:

- ग्राम पंचायत के रूपरेखा तैयार करना: सर्वेक्षण प्रश्नावली पर प्राप्त जानकारी के आधार पर एक विस्तृत ग्राम पंचायत रूपरेखा विकसित की गई। इस रूपरेखा में जनसांख्यिकी, जलवायु परिवर्तनशीलता, प्रमुख आर्थिक गतिविधियाँ, प्राकृतिक संसाधन और बगही में उपलब्ध सुविधाओं की जानकारी सम्मिलित हैं।
- प्रमुख मुद्दों की पहचान: सर्वेक्षण प्रश्नावली और खतरा, जोखिम, नाजुकता और क्षमता विश्लेषण (HRVCA) में प्राप्त जानकारी के माध्यम से प्रमुख जलवायु, विकासात्मक और पर्यावरणीय मुद्दों की एक विस्तृत सूची की पहचान की गई।
- कार्बन फुटप्रिंट अनुमान: बगही में प्रमुख गतिविधियों* से कार्बन फुटप्रिंट का अनुमान लगाया गया है।
- प्रस्तावित अनुशासः पर्यावरण और जलवायु मुद्दों के आधार पर बगही के लिए अनुशासः/सुझाव/ संस्तुतिया विकसित की गई। इन सुझावों में विंध्य क्षेत्र की मौजूदा कृषि-जलवायु विशेषताओं को भी ध्यान में रखा गया है। इसके अतिरिक्त, बगही की क्षेत्रवार अनुकूलन आवश्यकताओं और शमन क्षमता का निर्धारण किया गया है। कार्ययोजना के विकास के दौरान सहभागी दृष्टिकोण अपनाया गया। इससे जलवायु नेतृत्व के लिए समुदाय की क्षमता में वृद्धि होगी, साथ ही स्थानीय स्तर पर स्वामित्व और जवाबदेही की भावना को बढ़ावा मिलेगा।

*गतिविधियों में शामिल हैं- बिजली की खपत से उत्पन्न उत्सर्जन, आवासीय खाना पकाना, डीजल पंप के उपयोग से उत्पन्न उत्सर्जन, परिवहन, फसल अवशेष जलाना, पशुधन उत्सर्जन, उर्वरक उत्सर्जन, धान की खेती और घरेलू अपशिष्ट जल।

- वर्षा जल संचयन और भूजल कायाकल्प समाधान जैसे अवधारण तालाबों/पानी एकत्र करने हेतु निर्मित तालाबों को अपनाना जिससे जल सुरक्षा बेहतर हो और जल निकायों के सतत प्रबंधन में सुधार हो
- सड़क और जल निकासी बुनियादी ढांचों को सुदृढ़ करना ताकि जलभराव में कमी हो और लचीलेपन में बढ़त हो
- वृक्षारोपण और हरित आवरण/हरियाली के बेहतर रखरखाव द्वारा हरित स्थानों के प्रबंधन और सुरक्षा को बढ़ाना
- नवीकरणीय ऊर्जा (आरई) और सौर-संचालित पंप, ऊर्जा कुशल पंप और सोलर रूफटॉप स्थापना जैसे ऊर्जा कुशल समाधानों का उपयोग करना।

कमजोर क्षेत्रों, समूह केन्द्रित चर्चाओं और क्षेत्र सर्वेक्षणों से उभरने वाले मुद्दों और ग्राम पंचायत में चल रही गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए, कार्ययोजना में विभिन्न गतिविधियां प्रस्तावित की गई हैं। गतिविधियों में जल, कृषि, स्वच्छ ऊर्जा, हरित स्थानों को बढ़ाना, टिकाऊ अपशिष्ट प्रबंधन, टिकाऊ गतिशीलता और बढ़ी हुई आजीविका और हरित उद्यमिता के विषयगत क्षेत्रों को सम्मिलित किया गया है।

इन संस्तुतियों के अंतर्गत गतिविधियों को 3 चरणों में विभाजित किया गया है- चरण I (2024-2027), चरण II (2027-2030) और चरण III (2030-2035)। चरणबद्ध-वार लक्ष्यों को ग्राम पंचायतों के विवेक के अनुसार वार्षिक लक्ष्यों में वितरित किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, चरणबद्ध-वार लक्ष्य, संभावित लागत, केंद्रीय और राज्य योजनाओं का समर्थन करने के साथ-साथ सुझाई गई गतिविधियों के लिए वित्तपोषण के रास्ते भी बताए गए हैं।

बगही के लिए क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत कार्ययोजना (सीएसजीपीएपी) इस प्रकार से तैयार की गई है कि इसे बगही ग्राम पंचायत की मौजूदा ग्राम पंचायत विकास योजना (जीपीडीपी) के साथ आसानी से और प्रभावी ढंग से एकीकृत किया जा सकता है।

क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत कार्ययोजना (सीएसजीपीएपी) निम्नलिखित द्वारा बगही की जीपीडीपी को पूरक और संपूरित करेगी :

- a. जलवायु परिप्रेक्ष्य के साथ मौजूदा विकास पहलों और गतिविधियों को व्यापक आधार देना।
- b. जीपीडीपी में प्रस्तावित विकास गतिविधियों के साथ जलवायु परिवर्तन पर चल रहे राष्ट्रीय और राज्य कार्यक्रमों का समन्वय करना

कार्ययोजना में हस्तक्षेप और वार्षिक लक्ष्यों को बगही की ग्राम पंचायत विकास योजना (जीपीडीपी) की योजनाबद्ध गतिविधियों के साथ जोड़ते हुए लागू किया जा सकता है। जीपीडीपी के अंतर्गत कुछ कार्यक्रमों के लिए निर्धारित मौजूदा आवंटित बजट का उपयोग इस योजना में प्रस्तावित जलवायु अनुकूलन और शमन गतिविधियों के लिए किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) जैसी योजनाओं के माध्यम से किए गए जल निकाय कायाकल्प से जलवायु परिवर्तन अनुकूलन लाभ भी होंगे। इसी प्रकार, ग्यारहवीं अनुसूची (जीपीडीपी के आधार) के 'गैर-पारंपरिक ऊर्जा' विषय के अंतर्गत निर्धारित धनराशि का उपयोग नवीकरणीय ऊर्जा तैनाती को बढ़ाने के लिए किया जा सकता है।


इस योजना के कार्यान्वयन के माध्यम से कम होने वाले कुल उत्सर्जन का अनुमान प्रति वर्ष 2,341 t CO₂e है और अगले 20-25 वर्षों में पृथक्करण क्षमता ~2,45,000 tCO₂ तक बढ़ सकती है। तीन चरणों में इस योजना के क्रियान्वयन कार्यान्वयन के लिए अनुमानित कुल लागत लगभग ₹30 करोड़ (11 वर्षों के लिए) है, जिसमें सामुदायिक निवेश, सार्वजनिक वित्त, निजी वित्त और संभावित कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी (सीएसआर) फंडिंग सम्मिलित है। इसमें से आवश्यक धनराशि का 30-35 प्रतिशत (लगभग ₹10.5 करोड़) केंद्रीय और राज्य योजनाओं/मिशनो/कार्यक्रमों से प्राप्त किया जा सकता है, जबकि शेष लागत सीएसआर और निजी फंड से प्राप्त की जा सकती है। उत्तर प्रदेश सरकार ने सीएसआर को शामिल करने और निजी वित्त जुटाने के लिए 'पंचायत-निजी-भागीदारी' का एक अभिनव दृष्टिकोण अपनाया है।

वर्ष 2035 तक क्लाइमेट स्मार्ट और सतत ग्राम पंचायत

जलवायु संबंधी गतिविधियों को विकास कार्यों में शामिल करना



क्लाइमेट स्मार्ट गतिविधियाँ



बगही

ग्राम पंचायत बगही एक दृष्टि में⁴

	स्थान	नारायणपुर ब्लॉक, मिर्जापुर जिला		जल निकाय¹⁰	2 तालाब 2 नदियां (जारगो और गंगा)
	कुल क्षेत्रफल⁵	400 हेक्टेयर			विंध जलवायु परिस्थितियाँ: मध्यम वर्षा के साथ अर्ध शुष्क अधिकतम तापमान - 45.2 °C न्यूनतम तापमान- 5 °C
	संयोजन	1 राजस्व गांव, 2 मजरे		कृषि-जलवायु क्षेत्र¹¹	औसत वार्षिक वर्षा- 1,134 मिमी मिट्टी- मैदानी इलाकों में काली भारी, लाल दानेदार और जलोढ़ मिट्टी उपयुक्त फसल: डालें, तिलहन, बाजरा और तंबाकू और सोयाबीन जैसी कुछ वाणिज्यिक फसलें
	कुल जनसंख्या⁶	2,728			
	पुरुषों की संख्या	1,474			
	महिलाओं की संख्या	1,254			
	कुल परिवारों की संख्या⁷	425		जिले का समग्र संवेदनशीलता/भेद्यता सूचकांक (सीवीआई)¹²	अधिक
	पंचायत अवसंरचना	9 (पंचायत भवन -1, प्राथमिक विद्यालय -2, जूनियर हाई स्कूल -1, आंगनवाड़ी -1, पानी की टंकी -1, सामुदायिक शौचालय -1, पशु अस्पताल -1, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र - 1) ⁸		जिले की क्षेत्रीय संवेदनशीलता/भेद्यता	ऊर्जा संवेदनशीलता/भेद्यता: अधिक कृषि संवेदनशीलता/भेद्यता: मध्यम जल संवेदनशीलता/भेद्यता: मध्यम ग्राम्य विकास संवेदनशीलता/भेद्यता: मध्यम स्वास्थ्य संवेदनशीलता/भेद्यता: मध्यम आपदा प्रबंधन संवेदनशीलता/भेद्यता: मध्यम वन संवेदनशीलता/भेद्यता: कम
	प्राथमिक आर्थिक गतिविधि	कृषि			
	भूमि उपयोग	360 हेक्टेयर कृषि भूमि ⁹ 7.5 हेक्टेयर सार्वजनिक भूमि 32.5 हेक्टेयर अन्य भूमि			

4 योजना की तैयारी के लिए किए गए फील्ड सर्वेक्षण के आंकड़े (फरवरी 2023)

5 भुवन (BHUVAN) से प्राप्त तथ्य/डेटा के आधार पर ग्राम पंचायत का क्षेत्रफल 3.11 किलोमीटर है। <https://bhuvanpanchayat.nrsc.gov.in/index.html> पर उपलब्ध

6 प्रारंभिक क्षेत्र सर्वेक्षण से निम्न जानकारी प्राप्त हुई: कुल जनसंख्या - 2,728; पुरुष - 1,474; महिलाएं - 1,254
जनगणना 2011 आंकड़ों के अनुसार: कुल जनसंख्या - 2,121; पुरुष - 1,109; महिला - 1,012

7 ग्राम प्रधान द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार ग्राम पंचायत में 420 पक्के और 5 कच्चे घर हैं


8 योजना के विकास के दौरान ग्राम पंचायत में एक संसाधन पुनर्प्राप्ति केंद्र का निर्माण किया जा रहा था

9 जैसा कि एचआरवीसीए में उल्लिखित है

10 जैसा कि एचआरवीसीए में उल्लिखित है

11 कृषि विभाग, उत्तर प्रदेश

12 उत्तर प्रदेश एसएपीसीसी 2.0



चित्र 1: बगही ग्राम पंचायत, जिला मिर्जापुर का भूमि-उपयोग मानचित्र

जलवायु परिवर्तनशीलता प्रोफ़ाइल

भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी)¹³ से प्राप्त जलवायु परिवर्तनशीलता आंकड़ों (तापमान और वर्षा) से ज्ञात होता है कि 1990 और 2018 के बीच क्षेत्र (मिर्जापुर जिले) में वार्षिक न्यूनतम तापमान में थोड़ी कमी हुई है जबकि अधिकतम तापमान में कोई विशेष/महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं हुआ है (चित्र 2 देखें)। इसी समयावधि के दौरान, वार्षिक वर्षा में वृद्धि का क्रम दिखाई देता है (चित्र 3 देखें)। हालाँकि, आईएमडी आंकड़ें पंचायत स्तर पर तापमान परिवर्तनशीलता को सम्मिलित नहीं करते हैं और इसके अतिरिक्त, ऐसे दिन भी हैं जिनके लिए आंकड़ें उपलब्ध नहीं थे।

विश्व मौसम विज्ञान संगठन की एक हालिया रिपोर्ट बताती है कि 1991 से 2023 के बीच समग्र रूप से एशिया सम्पूर्ण विश्व की भूमि और महासागर के सापेक्ष औसत से अधिक तेजी से गर्म हुआ है और 2010-2020¹⁴ के दशक में दक्षिण एशिया के बड़े हिस्से में गर्म दिनों में स्पष्ट वृद्धि हुई है। इसी तरह के निष्कर्षों की पुष्टि अंतःसरकारी पैनेल (आईपीसीसी)¹⁵ और पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, भारत सरकार (एमओईएस)¹⁶ के द्वारा भी की गयी है।

इसके अतिरिक्त, क्षेत्रीय सर्वेक्षण और समूह केंद्रीय चर्चा से प्राप्त समुदायों की मौसम परिवर्तनों की धारणा से पता चलता है कि 2010-2020 के दशकों में, ग्राम पंचायत ने गर्मी के दिनों की संख्या में औसतन 25 दिनों की वृद्धि और सर्दी के दिनों में लगभग 15 दिनों की कमी देखी है। इसके अतिरिक्त, उन्होंने यह भी संकेत दिया कि बारिश के दिनों की संख्या भी लगभग 40 दिनों से कम हो गई है (मानसून की देरी से शुरुआत)।


ग्राम पंचायत के लिए किए गए जलवायु परिवर्तनशीलता के विश्लेषण में आईएमडी के आंकड़ों के साथ-साथ ग्राम पंचायत में प्रचलित जलवायु परिवर्तनशीलता के संतुलित दृष्टिकोण को सामने लाने के लिए सामुदायिक धारणा दोनों को ध्यान में रखा गया है।

13 दैनिक तापमान (अधिकतम और न्यूनतम) आंकड़ें और दैनिक वर्षा आंकड़ें चुरू अनुश्रवण स्टेशन से लिए गए हैं, वर्ष 2009 का वार्षिक औसत अधिकतम तापमान आंकड़ा, और वर्ष 2009, 2016, और 2017 के औसत न्यूनतम तापमान आंकड़ें उपलब्ध नहीं हैं; वर्ष 2008 और 2009 के वार्षिक वर्षा आंकड़ें उपलब्ध नहीं हैं।


14 2023 में एशिया में जलवायु की स्थिति <https://library.wmo.int/records/item/68890-state-of-the-climate-in-asia-2023>

15 AR6 संश्लेषण रिपोर्ट: जलवायु परिवर्तन 2023(ipcc.ch) <https://www.ipcc.ch/report/ar6/syr/>

16 भारतीय क्षेत्र में जलवायु परिवर्तन का आकलन: पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय (MoES) की एक रिपोर्ट <https://link.springer.com/book/10.1007/978-981-15-4327-2>



चित्र 2: बगही में वार्षिक औसत अधिकतम और न्यूनतम तापमान, 1990- 2020




चित्र 3: बगही में वार्षिक वर्षा, 1990- 2020

प्रमुख आर्थिक गतिविधियाँ

ग्राम पंचायत में कृषि आय का प्राथमिक स्रोत है जिससे ग्राम पंचायत के लगभग 255 परिवार जुड़े हुए हैं। कई परिवार जो कृषि क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, वे पशुपालन भी करते हैं। शेष परिवार, सेवा क्षेत्र और गैर-कृषि मजदूरी में संलग्न हैं। कुछ परिवार व्यावसायिक गतिविधियों (ईट भट्टों) और साथ ही, पशुपालन पर भी आश्रित हैं। (चित्र 4)


प्राथमिक सर्वेक्षण की सहायता से परिवारों की वार्षिक आय की जानकारी ली गयी जिसके अनुसार ~32 प्रतिशत परिवारों की आय प्रति वर्ष ₹2,00,000 से ₹5,00,000, के मध्य है, जबकि ~14 प्रतिशत परिवार प्रति वर्ष ₹50,000 से ₹1,00,000 तक कमाते हैं। सर्वेक्षण के समय, ग्राम पंचायत में कुल 277 परिवार गरीबी रेखा के नीचे (बीपीएल) थे।

राशन कार्ड संबंधी आंकड़ें बताते हैं कि ग्राम पंचायत में लगभग 78 प्रतिशत परिवार सार्वजनिक वितरण योजनाओं (पीडीएस) से लाभ प्राप्त कर रहे हैं और उनके पास राशन कार्ड हैं। कुल राशन कार्डधारी परिवारों में से केवल 56 परिवारों के पास अंत्योदय कार्ड¹⁷ है (चित्र 6)।




चित्र 4: बगही में घरेलू स्तर पर आय का प्राथमिक स्रोत

17 राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा पोर्टल (https://nfsa.gov.in/portal/Ration_Card_State_Portals_AA)




चित्र 5: बगही में घरेलू स्तर पर आय वितरण



चित्र 6: बगही में राशन कार्ड वाले परिवार

कार्यरत महिलाएं

बगही में अधिकतम महिलाएं सेवा क्षेत्र से जुड़ी हुई हैं (अध्यापिका, एएनएम और नर्स)। महिलाओं की आय के अन्य स्रोत हैं: कृषि, कृषि मजदूरी और गैर कृषि मजदूरी एवं दिहाड़ी मजदूर (चित्र 7 देखें)। पंचायत में 10 परिवार ऐसे हैं जिनकी मुखिया महिला हैं¹⁸ (कुल परिवारों का ~ 2 प्रतिशत)। क्षेत्र सर्वेक्षण से स्पष्ट होता है कि बगही में 15 स्वयं सहायता समूह हैं जिनमें से 09 सक्रिय हैं। ये स्वयं सहायता समूह विभिन्न गतिविधियों से जुड़े हुए हैं जैसे वार्षिक बचत, कृषि, सिलाई, सामुदायिक शौचालयों का प्रबंधन, आदि। ग्राम पंचायत में हाल ही में एक नई कृषि उत्पादक संस्था (एफपीओ) की स्थापना हुई है, जिसमें क्षेत्र सर्वेक्षण के अनुसार ~300 सदस्य हैं।



चित्र 7: बगही में विभिन्न आर्थिक गतिविधियों में संलग्न महिलाओं की संख्या

18 महिला मुखिया वाले परिवार वे परिवार हैं जिनमें केवल महिलाएं कामकाजी हैं।

कृषि

~60% परिवार जो आय के लिए आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से कृषि पर आश्रित हैं (चित्र 4 देखें), वे विभिन्न कृषि गतिविधियों से जुड़े हुए हैं, जैसा कि चित्र 8 में प्रस्तुत है¹⁹।


बगही में शुद्ध बोया गया क्षेत्र लगभग 350 हेक्टेयर²⁰ है जबकि सकल फसल क्षेत्र ~682 हेक्टेयर है। क्षेत्र में उगाई जाने वाली प्रमुख खरीफ़ फ़सल मूंगफली (~5,696 क्विंटल/वर्ष) है, जबकि प्रमुख रबी फसलें हैं: गेहूँ (9,882 क्विंटल/वर्ष), मटर (~1,710 क्विंटल/वर्ष), सरसों (~354 क्विंटल/वर्ष), जौ (~50 क्विंटल/वर्ष), और आलू (~2,960 क्विंटल/वर्ष)। चित्र 9 में ग्राम पंचायत में सकल फ़सल क्षेत्र का फ़सलवार विभाजन (रहेक्टेयर) वर्णित है।

ग्राम पंचायत में ~6 हेक्टेयर भूमि में प्राकृतिक कृषि की जाती है। प्राकृतिक कृषि प्रथाओं द्वारा उगाई गई फ़सलों में मूंग और मूंगफली सम्मिलित हैं।


सिंचाई का मुख्य स्रोत भूजल है (ट्यूबवेल और व्यक्तिगत पंप के माध्यम से)। सिंचाई के लिए 6 ट्यूबवेल, 15 इलेक्ट्रिक पंप और 2 डीज़ल पंप उपयोग किए जाते हैं। सिंचाई के अन्य स्रोतों में वर्षा जल, जारगो और गंगा नदियों का पानी सम्मिलित है। ग्राम पंचायत में लगभग 42 प्रतिशत आबादी पशुपालन से जुड़ी हुई है। बगही में कुल पशुधन आबादी ~1,533 (333 गाय, 1,050 भैंस और 150 बकरियां) है। ग्राम पंचायत में पोल्ट्री आबादी 1,50,000 है जिसमें मुर्गियां सम्मिलित हैं।

प्राकृतिक संसाधन

बगही ग्राम पंचायत जारगो नदी के किनारे स्थित है और ग्राम पंचायत से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर गंगा नदी बहती है। ग्राम पंचायत में 2 तालाब हैं। क्षेत्र सर्वेक्षण से स्पष्ट हुआ है कि ग्राम पंचायत में कोई वन भूमि नहीं है। बगही में ~1 हेक्टेयर ग्राम सभा की भूमि है; जानकारी के अनुसार इस पर अतिक्रमण हो रखा है²¹। पिछले 15-20 वर्षों से बगही में कृषि वानिकी के रूप में नदियों के किनारे ~2 हेक्टेयर भूमि में नमामि गंगा योजना के अंतर्गत वृक्षारोपण गतिविधियां की जा रही हैं। रोपित की गई प्रजातियों में अमरुद और बेर मुख्य है। दूसरी रोपित की गई प्रजातियों में आम, पीपल, बरगद, नीम और बबूल मुख्य है।



चित्र 8: बगही में केवल कृषि पर निर्भर परिवार



चित्र 9: बगही में सकल फसल क्षेत्र का फसल-वार वितरण

19 ध्यान देने वाली बात यह है कि ग्राम पंचायत में कई परिवार एक से अधिक कृषि कार्यों से जुड़े हुए हैं। उदाहरण के लिए, छोटी भूमि के मालिकों का बड़े खेतों में दिहाड़ी मजदूरी करना। इसे अतिरिक्त, बड़े खेत के मालिक अनुबंध कृषि से भी जुड़े हो सकते हैं।

20 क्षेत्र सर्वेक्षण के अनुसार, बगही ग्राम पंचायत में संकेतित कृषि भूमि 360 हेक्टेयर है, जबकि केवल ~350 हेक्टेयर को शुद्ध बोया गया क्षेत्र कहा गया था।

21 क्षेत्र सर्वेक्षण के अनुसार

बगही में सुविधाएं:

बिजली तथा रसोई गैस (एलपीजी)

- बिजली कनेक्शन: ~79 प्रतिशत परिवार²²
- रसोई गैस (एलपीजी) कनेक्शन: ~88 प्रतिशत परिवार

पानी

- घरों और ग्राम पंचायत स्तरीय आपूर्ति का मुख्य स्रोत है - भूजल और पाइप से जलापूर्ति
- ~44.23 प्रतिशत घरों में पाइप से जलापूर्ति होती है

अपशिष्ट

- पंचायत खुले में शौच से मुक्त अर्थात ओडीएफ़ है
- घरेलू शौचालय कवरेज: ~94 प्रतिशत

गतिशीलता और बाज़ार तक पहुंच


- राशन की दुकान - ग्राम पंचायत के अंदर
- राष्ट्रीय हाईवे - कबरई NH 35- 4.5 किलोमीटर
- रेलवे स्टेशन - 4 किलोमीटर²³
- बस स्टेशन - 4 किलोमीटर
- कृषि बाज़ार - 4 किलोमीटर
- डाक घर (पोस्ट ऑफिस) - ग्राम पंचायत के अंदर
- बैंक - 3 किलोमीटर
- बीज और कीटनाशक की दुकान - 2.5 किलोमीटर

शिक्षा

- 2 सरकारी प्राथमिक विद्यालय
- 1 जूनियर हाई स्कूल

स्वास्थ्य

- 1 आंगनवाड़ी केंद्र
- प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र




²² प्राथमिक सर्वेक्षण में जानकारी के अनुसार
²³ जैसा कि एचआरवीसीए में उल्लिखित है



हालांकि ग्रामीण क्षेत्रों से कार्बन फुटप्रिंट (दूसरे शब्दों में, ग्रीनहाउस गैस (जीएचजी) उत्सर्जन) महत्वपूर्ण नहीं है, यह अभ्यास ग्राम पंचायत की संपूर्ण आधार रेखा विकसित करने के लिए किया गया है। ध्यान देने वाली बात यह है कि इस कार्ययोजना का उद्देश्य कार्बन न्यूट्रल ग्राम पंचायत नहीं, अपितु क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत विकसित करना है। हालाँकि, संस्तुतियों में उत्सर्जन में कमी के लाभ को सम्मिलित किया गया है जो कहीं न कहीं ग्राम पंचायत को कार्बन न्यूट्रल या हवा में कार्बन से होने वाले प्रदूषण को लगभग समाप्त करने में मदद करेंगे। इस बात को ध्यान में रखते हुए, इस अभ्यास में ग्रीन हाउस गैस (जीएचजी) अनुमान सम्मिलित नहीं किए गए हैं।


इसके अतिरिक्त, कार्बन फुटप्रिंट LiFE मिशन के सिद्धांतों के अनुरूप सतत विकास सुनिश्चित करने के लिए संस्तुतियाँ प्रदान करने में भी सहायता करते हैं। कुल मिलाकर, 2022 में, बगही ग्राम पंचायत ने विभिन्न गतिविधियों से ~2,423 कार्बन डाइऑक्साइड समकक्ष (tCO₂e) उत्सर्जित किया है (चित्र 10 देखें)

ऊर्जा, कृषि और अपशिष्ट प्रबंधन सेक्टर में होने वाली गतिविधियों ने बगही ग्राम पंचायत के कार्बन फुटप्रिंट में अपना योगदान दिया है। ऊर्जा क्षेत्र का उत्सर्जन बिजली की खपत²⁴, खाना पकाने के लिए लकड़ी और रसोई गैस (एलपीजी) के उपयोग, सिंचाई के लिए डीजल पंपों के उपयोग, पावर बैकअप के लिए जनरेटर के उपयोग और परिवहन के विभिन्न साधनों में जीवाश्म ईंधन (पेट्रोल/डीजल) के उपयोग के कारण होता है। कृषि क्षेत्र के उत्सर्जन में धान की खेती, कृषि क्षेत्रों में उर्वरक का उपयोग, पशुधन और खाद प्रबंधन से उत्सर्जन और फसल अवशेष जलाने के कारण होने वाला उत्सर्जन शामिल है। घरेलू अपशिष्ट जल के कारण होने वाले उत्सर्जन को अपशिष्ट क्षेत्र में शामिल किया गया है।



चित्र 10: 2022 में बगही में विभिन्न गतिविधियों का कार्बन फुटप्रिंट

कुल उत्सर्जन में ऊर्जा क्षेत्र का हिस्सा 51 प्रतिशत है। ऊर्जा क्षेत्र के भीतर, परिवहन प्रमुख उत्सर्जक है (~847.8 tCO₂e), इसके बाद आवासीय खाना पकाना (~275.60 tCO₂e), बिजली की खपत (~79 tCO₂e), आवासीय जनरेटर (~34.17 tCO₂e) और डीजल पंप (~4.2 tCO₂e) आते हैं। कुल उत्सर्जन में कृषि क्षेत्र का हिस्सा 44 प्रतिशत है। इस सेक्टर के भीतर, पशुधन (~1035.83 tCO₂e), उर्वरक से होने वाला उत्सर्जन (~26.38 tCO₂e) और फसल अपशिष्ट दहन (~7.26 tCO₂e) ग्रीन हाउस गैस (जीएचजी) उत्सर्जन के प्रमुख कारण हैं। कुल उत्सर्जन में अपशिष्ट क्षेत्र से 5 प्रतिशत उत्सर्जन हुआ (चित्र 11 देखें)



चित्र 11: 2022 में बगही के कार्बन फुटप्रिंट में क्षेत्रों की हिस्सेदारी

24 बिजली की खपत से हुए उत्सर्जन को स्कोप 2 उत्सर्जन की श्रेणी में रखा गया है क्योंकि बिजली उत्पन्न करने के लिए (कोयला) दहन ग्राम पंचायत के बाहर होता है

ग्राम पंचायत के व्यापक मुद्दों की पहचान ग्राम पंचायत से एकत्र किए आंकड़ों और पंचायत की एक बेसलाइन तैयार करने के लिए आंकड़ों के किए गए विश्लेषण, कृषि-जलवायु क्षेत्र की अंतर्निहित विशेषताओं, जिसमें ग्राम पंचायत स्थित है, के साथ-साथ क्षेत्र सर्वेक्षण के दौरान समुदाय के सदस्यों से प्राप्त जानकारी और समूह केन्द्रित चर्चा के आधार पर की गयी है। जहां भी संभव हो सका है, इस जानकारी की पुष्टि उपलब्ध सरकारी आंकड़ों/स्रोतों से की गई है। हालाँकि, कुछ मुद्दे पूरी तरह से समुदाय की जानकारी पर आधारित हैं क्योंकि इनके लिए ग्राम पंचायत स्तर के आंकड़ें पुष्टि के लिए उपलब्ध नहीं थे। ग्राम पंचायत में पहचाने गए मुद्दों का सारांश नीचे दिया गया है। इसके अतिरिक्त, विस्तृत मुद्दे एवं गतिविधियां अनुभाग के संबन्धित विषयों में सूचीबद्ध है। बगही के समुदाय ने समूह केन्द्रित चर्चाओं और क्षेत्र सर्वेक्षणों के दौरान कई समस्याओं को रेखांकित किया, उन समस्याओं का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है:

व्यापक मुद्दे:

- मौसम की अवधि में बदलाव और अनियमित वर्षा से ग्राम पंचायत में अन्य प्रभावों के साथ-साथ बुआई का समय, कटाई का समय और फसलों की सिंचाई की आवश्यकताएँ भी प्रभावित हो रही हैं।
- जुलाई से सितम्बर में बार-बार बाढ़ और ओलावृष्टि की घटनाएं होती हैं।
- कभी-कभी जून और जुलाई के महीनों में विलंबित वर्षा के कारण सूखे जैसी परिस्थितियों का भी अनुभव होता है
- अस्थिर कृषि और पशुपालन पद्धतियाँ
- प्रमुख नदियों का सीमित बाढ़ प्रबंधन: गंगा और जारगो
- जल निकायों सहित प्राकृतिक संसाधनों का खराब रखरखाव
- खाना पकाने, कृषि और परिवहन आवश्यकताओं के लिए पारंपरिक ईंधन और जीवाश्म ईंधन (पेट्रोल/डीजल) पर निर्भरता
- जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के बारे में जागरूकता की कमी
- स्वच्छ ऊर्जा और जलवायु परिवर्तन पर केंद्र और राज्य सरकारों की विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों के बारे में जागरूकता का अभाव

प्रत्येक विषयगत मुद्दे में कई संस्तुतियों को सम्मिलित किया गया है, जिसमें शमन और अनुकूलन दोनों पर ध्यान केंद्रित किया गया है जो पिछले अनुभाग में पहचाने गए प्रमुख मुद्दों को संबोधित करते हैं। संस्तुतियों को चरणबद्ध लक्ष्यों और लागत अनुमानों²⁵ (जहाँ तक संभव हो) के साथ वर्णित किया गया है। लक्ष्यों को तीन चरणों में बांटा गया है: चरण - I (2024-25 से 2026-27); चरण - II (2027-28 से 2029-30); और चरण - III (2030-31 से 2034-35)।

प्रत्येक चरण के अंतर्गत लक्ष्यों का प्रभावी और निगरानीपूर्ण कार्यान्वयन सुनिश्चित करते हुए वार्षिक लक्ष्यों (वर्ष-दर-वर्ष लक्ष्य) में विभाजित किया जा सकता है। साल-दर-साल लक्ष्य विकसित करने के प्रारूप को 'क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत कार्ययोजना के विकास के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी)' दस्तावेज़ से संदर्भ लेते हुए तैयार किया जा सकता है। मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) एक चरण-दर-चरण दृष्टिकोण है जिसका उपयोग ग्राम प्रधानों, समुदाय के सदस्यों या किसी अन्य हितधारक द्वारा अपने से संबंधित ग्राम पंचायतों हेतु क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत कार्ययोजना विकसित करने के लिए किया जा सकता है।

पहचाने गए वित्तपोषण के विकल्पों/तरीकों में केंद्रीय या राज्य योजनाएं, ग्राम पंचायत की विभिन्न टाइड और अनटाइड निधि या कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी (सीएसआर) हस्तक्षेप के माध्यम से निजी वित्त की पहचान की गई है। विस्तृत संस्तुतियाँ निम्नलिखित अनुभाग में हैं:

कार्ययोजना में प्रस्तावित संस्तुतियाँ निम्नलिखित विषयों पर आधारित हैं*:

1. सतत कृषि
2. हरित स्थानों और जैवविविधता को बढ़ाना
3. सतत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन
4. जल निकायों का प्रबंधन और कायाकल्प
5. स्वच्छ, सतत, किफायती और विश्वसनीय ऊर्जा तक पहुंच
6. सतत एवं उन्नत गतिशीलता
7. आजीविका और हरित उद्यमशीलता को बढ़ाना

इसके अतिरिक्त, संस्तुतियों का हिस्सा न बनाते हुए, पंचायतों द्वारा विचार के लिए संभावित पहलों/प्रयासों/नवाचरों की एक सूची भी सूचीबद्ध की गई है। इन पहलों/प्रयासों/नवाचरों को भारत के कुछ हिस्सों में ग्राम पंचायतों द्वारा सफलतापूर्वक लागू किया गया है और इन्हें यहां दोहराया भी जा सकता है। हालाँकि, ये पहल/प्रयास/नवाचार उत्तर प्रदेश सरकार की वर्तमान में संचालित किसी भी योजना/कार्यक्रम में सम्मिलित नहीं हैं, इसलिए इन पहलों/प्रयासों/नवाचरों के लिए धन का वहन समुदायों द्वारा या सीएसआर और निजी स्रोतों की खोज से किया जाएगा। इस कारण से इन्हें मुख्य संस्तुतियों में सम्मिलित नहीं किया गया है।

25 लागत का अनुमान निम्नलिखित के आधार पर लगाया गया है, जैसे:

ग्राम पंचायत के मुख्य सदस्यों से प्राप्त जानकारीयां,
या प्रासंगिक योजनाओं और नीतियों के अनुसार अनुमानित लागत,
या आवश्यक आदानों की प्रति इकाई की अनुमानित लागत
या विभिन्न विभागों की दरों की अनुसूची।

* डेटा आवश्यकता के दूसरे दौर में पंचायत द्वारा 7 विषयों का अनुक्रमण और प्राथमिकता साझा की गई है

सतत कृषि



संदर्भ एवं मुद्दे

- बगही में कृषि क्षेत्र का कुल क्षेत्रफल ~360 हेक्टेयर है और सकल फसल क्षेत्र लगभग ~682 हेक्टेयर है।
- ग्राम पंचायत में लगभग 60% परिवारों के मुख्य आय का स्रोत कृषि है।
- खरीफ़ और रबी के मौसम में उगाई जाने वाली प्रमुख फसलें मूंगफ़ली (~228 हेक्टेयर), गेहूं (~222 हेक्टेयर), मटर (~46 हेक्टेयर), सरसों (~24 हेक्टेयर), सब्जियां (~39 हेक्टेयर), अरहर (~16 हेक्टेयर), आलू (~15 हेक्टेयर), चना (~14 हेक्टेयर), उड़द (4 हेक्टेयर), मूंग (4 हेक्टेयर), और राई (4 हेक्टेयर)²⁶ हैं।
- गंगा और जारगो नदियों के जल स्तर बढ़ने से ग्राम पंचायत में बाढ़ आने का खतरा रहता है जिससे खरीफ़ फसलों को नुकसान होता है और प्रत्येक वर्ष कुल कृषि भूमि का लगभग 85% प्रभावित होता है।
- जानकारी के अनुसार वर्ष 2018 से 2022 के दौरान ग्राम पंचायत बगही में जुलाई और अगस्त²⁷ में सूखे की 5 घटनाएं हुईं जिससे फसल बर्बाद हो गई और चारे की कमी के कारण किसानों की आजीविका पर भी प्रभाव पड़ा था।
- असमय बारिश के कारण बाजरा, मूंग और मक्का की बुआई का समय जून से जुलाई-अगस्त में स्थानांतरित हो गया है²⁸।
- वर्ष 2018 से 2022 के दौरान अनियमित बारिश, ओलावृष्टि और बीमारियों के कारण फसल की बर्बादी हुई। यह नुकसान उपज (मूंगफली, गेहूं, सरसों, मक्का, बाजरा, मूंग और चना) में लगभग 20,000 क्विंटल था तथा धनराशि में लगभग 3.51 करोड़ रुपये (संबंधित वर्षों के प्रचलित एमएसपी द्वारा समर्थित) था।
- बगही में किसान प्रति वर्ष ~62 टन यूरिया, ~110 टन डीएपी, और अन्य नाइट्रोजनयुक्त उर्वरकों का उपयोग करते हैं जिससे प्रति वर्ष ~26 टन CO₂e का ग्रीन हाउस गैस (जीएचजी) उत्सर्जन होता है। किसान कीटनाशकों और खरपतवारनाशी जैसे अन्य रासायनिक आदानों पर भी निर्भर हैं।
- जैसा कि क्षेत्र सर्वेक्षण में बताया गया है, कृषि में जल के प्रयोग में वृद्धि हुई है, जिसके कारण जल संरक्षण और बेहतर सिंचाई तकनीकों के उपयोग पर जोर दिये जाने की आवश्यकता है।
- पशुपालन करने वाले परिवारों को खाद प्रबंधन प्रक्रियाओं का ज्ञान नहीं है²⁹। कुछ किसान 12 हेक्टेयर की कृषि भूमि में प्राकृतिक खेती करते हैं।

उपरोक्त बिंदु अनुकूली क्षमता बढ़ाने के लिए सतत और सूखा प्रतिरोधी कृषि पद्धतियों को अपनाने की आवश्यकता पर प्रकाश डालते हैं।

26 ग्राम प्रधान से प्राप्त जानकारी के आधार पर

27 क्षेत्र सर्वेक्षण के दौरान समुदाय से प्राप्त जानकारी के आधार पर

28 ग्राम पंचायत द्वारा क्षेत्र सर्वेक्षण के दौरान प्रदान की गई जानकारी के अनुसार

29 ग्राम पंचायत द्वारा क्षेत्र सर्वेक्षण के दौरान प्रदान की गई जानकारी के अनुसार



जलवायु लचीलापन विकसित करना

चरण

अनुमोदित जलवायु स्मार्ट गतिविधियाँ

लक्ष्य

अनुमानित लागत

	I 2024-25 से 2026-27	II 2027-28 से 2029-30	III 2030-31 से 2034-35
चरण	<ol style="list-style-type: none"> ड्रिप सिंचाई और स्प्रेकलर सिंचाई जैसी सूक्ष्म-सिंचाई प्रक्रियाओं का प्रचार करना और अपनाना खेतों के चारों ओर पेड़ों से मेडबंदी/बंधों का निर्माण खेतों में कृषि तालाब बनाना किसानों को फसल नुकसान से बचाने के लिए विभिन्न बीमा कार्यक्रमों के बारे में जागरूकता बढ़ाना 	<ol style="list-style-type: none"> सूक्ष्म सिंचाई का विस्तार करना मेडबंदी/बंधों का विस्तार करना अतिरिक्त कृषि तालाबों का निर्माण करना वर्तमान कृषि तालाबों और बांध वाले पेड़ों का रखरखाव जारी रखना जागरूकता बढ़ाने वाले प्रयासों को जारी रखना और किसानों को फसल के नुकसान से बचाने के लिए विभिन्न बीमा कार्यक्रमों का लाभ उठाने के लिए सहायता प्रदान करना 	<ol style="list-style-type: none"> सूक्ष्म सिंचाई प्रक्रियाओं का विस्तार करना वर्तमान बांध वाले पेड़ों और कृषि तालाबों का रखरखाव करना
लक्ष्य	<ol style="list-style-type: none"> ~21 हेक्टेयर (चना, मटर, केला, पपीता, सरसों, आलू, अन्य सब्जियाँ आदि के अंतर्गत 15% कृषि भूमि) में सूक्ष्म सिंचाई प्रक्रियाएँ प्रारम्भ करना 175 हेक्टेयर कृषि भूमि (कुल कृषि भूमि का 50%) में पेड़ों के साथ मेड़ का निर्माण 5 कृषि तालाबों का निर्माण 	<ol style="list-style-type: none"> ~57 हेक्टेयर (चना, मटर, केला, पपीता, सरसों, आलू आदि के अंतर्गत अतिरिक्त 40% कृषि भूमि) में सूक्ष्म सिंचाई प्रक्रियाएँ प्रारम्भ करना संपूर्ण कृषि भूमि 175 हेक्टेयर में बांध वाले पेड़ों की स्थापना करना 5 कृषि तालाबों का निर्माण करना 	<ol style="list-style-type: none"> ~64 हेक्टेयर (चना, मटर, केला, पपीता, सरसों, आलू, अन्य सब्जियाँ आदि के अंतर्गत 100% कृषि भूमि) में सूक्ष्म सिंचाई पद्धतियाँ प्रारम्भ करना वर्तमान बांध वाले पेड़ों और कृषि तालाबों का रखरखाव करना
अनुमानित लागत	<ol style="list-style-type: none"> सूक्ष्म सिंचाई: ₹21,30,000 मेड़: ₹1,98,450 कृषि तालाब: 4,50,000 कुल लागत: ₹27,78,450	<ol style="list-style-type: none"> सूक्ष्म सिंचाई: ₹56,80,000 मेड़: ₹1,98,450 कृषि तालाब: ₹4,50,000 कुल लागत: ₹63,28,450	सूक्ष्म सिंचाई: ₹63,90,000 कुल लागत: ₹63,90,000



प्राकृतिक खेती अपनाना

चरण

I 2024-25 से 2026-27	II 2027-28 से 2029-30	III 2030-31 से 2034-35
<ol style="list-style-type: none"> जैविक उर्वरक, जैव-कीटनाशकों और जैव-खरपतवारनाशकों के उपयोग के माध्यम से प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देना <ul style="list-style-type: none"> » प्रशिक्षण और प्रदर्शन » जैविक/प्राकृतिक खेती प्रमाणन प्रक्रिया प्रारम्भ करना » बाज़ार तक पहुंच और उनके साथ संपर्कों का विस्तार करना मिश्रित फसल, फसल चक्र, मल्लिचिंग, जीरो टिलेज जैसी विविध फसल प्रक्रियाओं को बढ़ावा देना जिससे वाष्पीकरण में कमी हो, मिट्टी में नमी बनी रहे और उसकी गुणवत्ता में सुधार आए 	<ol style="list-style-type: none"> कृषि भूमि का प्राकृतिक खेती में परिवर्तन जारी रखना (नर्सरी, बीज बैंक, प्रमाणन तंत्र और बाजार संपर्क स्थापित करना) चरण I में कार्यान्वित प्रक्रियाओं को बढ़ावा देना और अपनाना 	100% कृषि भूमि को प्राकृतिक खेती में परिवर्तित करना

अनुमोदित जलवायु स्मार्ट गतिविधियाँ

लक्ष्य

~52 हेक्टेयर (15%) कृषि भूमि को प्राकृतिक खेती में परिवर्तित करना	~140 हेक्टेयर (अतिरिक्त 40%) कृषि भूमि को प्राकृतिक खेती में परिवर्तित करना	~157 हेक्टेयर (100%) कृषि भूमि को प्राकृतिक खेती में परिवर्तित करना
---	---	---

अनुमानित लागत

<ol style="list-style-type: none"> प्रशिक्षण की लागत (एक बार): ₹60,000 प्राकृतिक खेती के लिए भूमि का परिवर्तन: ₹1,29,72,750 कुल लागत: ₹1,30,32,750	<ol style="list-style-type: none"> प्रशिक्षण की लागत (एक बार): ₹60,000 प्राकृतिक खेती के लिए भूमि का परिवर्तन: ₹3,45,94,000 कुल लागत: ₹3,46,54,000	<ol style="list-style-type: none"> प्रशिक्षण की लागत (एक बार): ₹60,000 प्राकृतिक खेती के लिए भूमि का परिवर्तन: ₹3,89,18,250 कुल लागत: ₹3,89,78,250
--	--	--



सतत पशुधन प्रबंधन

चरण	I 2024-25 से 2026-27	II 2027-28 से 2029-30	III 2030-31 से 2034-35
अनुमोदित जलवायु स्मार्ट गतिविधियाँ	<ol style="list-style-type: none"> पशुधन प्रबंधन के लिए पशुपालन में लगे परिवारों की जागरूकता बढ़ाना और क्षमता निर्माण करना पशुधन स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच में सुधार के लिए समुदाय के सदस्यों को पशु स्वास्थ्य कार्यकर्ता/पैरा-पशु चिकित्सक प के रूप में प्रशिक्षित करना पशुधन से मीथेन उत्सर्जन को कम करने पर हस्तक्षेप के लिए अनुभाग "अतिरिक्त संस्तुतियाँ" देखें 	<ol style="list-style-type: none"> प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण गतिविधियों का विस्तार आवश्यकता के अनुसार पैरा-वेट प्रशिक्षण को बढ़ाना 	<ol style="list-style-type: none"> प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण गतिविधियों का विस्तार आवश्यकता के अनुसार पैरा-वेट प्रशिक्षण को बढ़ाना
लक्ष्य	<ol style="list-style-type: none"> पशुपालन में लगे परिवारों के लिए स्थायी/सतत पालन क्रियाएँ/प्रथाओं, बीमारी की रोकथाम और पशुधन स्वास्थ्य के प्रबंधन पर कार्यशालाएँ आयोजित करना 2 पैरा-वेट्स का प्रशिक्षण³⁰ 	<ol style="list-style-type: none"> रोग की रोकथाम और स्थायी/सतत पालन क्रियाएँ/प्रथाओं पर अतिरिक्त कार्यशालाएँ आयोजित करना पशुधन प्रबंधन के लिए निरंतर प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण 	<ol style="list-style-type: none"> रोग की रोकथाम और स्थायी/सतत पालन क्रियाएँ/प्रथाओं पर अतिरिक्त कार्यशालाएँ आयोजित करना पशुधन प्रबंधन के लिए निरंतर प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण
अनुमानित लागत	कार्यशाला और पैरा-पशु चिकित्सक प्रशिक्षण की लागत: आवश्यकता के अनुसार	आवश्यकता के अनुसार	आवश्यकता के अनुसार

वर्तमान में संचालित योजनाएं और कार्यक्रम

- प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई), उ.प्र. बाजरा पुनरुद्धार कार्यक्रम, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना, मौसम आधारित फसल बीमा योजना, ग्रामीण कृषि मौसम सेवा योजना से धन और सब्सिडी के माध्यम से सूखा प्रबंधन और प्रूफिंग प्रक्रियाओं का समर्थन किया जा सकता है।
- सूखारोधी गतिविधियों, नर्सरी और बीज बैंकों के निर्माण को मनरेगा के माध्यम से सुव्यवस्थित किया जा सकता है
- जैविक खेती प्रथाओं को विभिन्न योजनाओं जैसे: परंपरागत कृषि विकास योजना (पीकेवीवाई) और मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन योजना के अंतर्गत प्रदान की गई धनराशि और सब्सिडी के माध्यम से समर्थन दिया जा सकता है।

30 प्रशिक्षित किए जाने वाले समुदाय आधारित पशु स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की संख्या ग्राम पंचायत की आवश्यकता पर आधारित है

- किसानों के लिए तकनीकी और ज्ञान सहायता के साथ-साथ जैविक खेती प्रदर्शनों को राष्ट्रीय और क्षेत्रीय जैविक खेती केंद्रों (एनसीओएफ और आरसीओएफ), कृषि विज्ञान केंद्र (केवीके), कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग के निकटतम जैविक खेती सेल के माध्यम से सक्षम किया जा सकता है।
- प्रौद्योगिकी उन्नयन और सतत खेती के लिए किसानों और एफपीओ के प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण में सहायता के लिए कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन एजेंसी (एटीएमए) का उपयोग किया जा सकता है।
- कृषि रक्षा योजना विभिन्न पारिस्थितिक संसाधनों के माध्यम से कीट नियंत्रण और जैव-रसायनों के उपयोग को बढ़ावा देने में किसानों की सहायता करती है।
- राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, उत्तर प्रदेश पशुधन स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण योजना और राष्ट्रीय गोकुल मिशन जैसी राज्य योजनाओं के माध्यम से पैरा-पशुचिकित्सक प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण का लाभ उठाया जा सकता है।

वित्त के अन्य स्रोत

- कटाई के बाद के नुकसान को कम करने में मदद करने के लिए ("स्वच्छ, सतत, सस्ती और विश्वसनीय ऊर्जा तक पहुंच" अनुभाग में उल्लिखित योजनाओं के अनुरूप)
 - » कोल्ड-स्टोरेज सुविधा की स्थापना और संचालन करना।
- जागरूकता बढ़ाना: जैविक खेती के तरीकों और लाभों, आवश्यक सुझाव, प्रदर्शन, सूचना और मार्गदर्शन के प्रासंगिक स्रोत, पंजीकरण प्रक्रिया, सत्यापन और प्रमाणन प्रक्रिया, बाजार लिंकेज और मौसम-आधारित सूचना सेवाओं आदि पर जानकारी।
- किसानों, एफपीओ, एसएचजी और अन्य समुदाय के सदस्यों को बीमा, विभिन्न योजनाओं के लाभ के साथ-साथ जैविक उर्वरकों को अपनाने, सूखारोधी कृषि और टिकाऊ पशुधन प्रबंधन, अंततः जैविक खेती में परिवर्तन सहित क्लाइमेट स्मार्ट कृषि प्रथाओं को लागू करने के तकनीकी पहलुओं के लिए मार्गदर्शन, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण प्रदान करना।
- साथ ही, बगही में सतत कृषि करने वाले किसानों, एफपीओ, स्वयं सहायता समूहों, और अन्य समुदाय के सदस्यों के क्षमता निर्माण का कार्य क्षेत्र के तकनीकी विशेषज्ञों और संस्थानों, स्थानीय गैर सरकारी संगठनों, सीएसओ और कंपनियों के सहयोग से किया जा सकता है।

प्रमुख विभाग

- कृषि विभाग
- एकीकृत कीट प्रबंधन केंद्र (सीआईपीएम)
- उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग
- भूमि संसाधन विभाग
- जल शक्ति विभाग
- पशुपालन विभाग
- उत्तर प्रदेश नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी (UPNEDA)
- जैविक खेती हेतु क्षेत्रीय केंद्र
- कृषि विज्ञान केंद्र, मिर्जापुर

2

हरित स्थानों और जैवविविधता को बढ़ाना



संदर्भ एवं मुद्दे

- ग्राम पंचायत में ~2 हेक्टेयर भूमि में कृषि वानिकी की जा रही है। हालांकि, ट्री गार्ड जैसे सुरक्षात्मक उपायों के अभाव से बालवृक्षों और छोटे पौधों का जीवित रहना चुनौती भरा रहा है।³¹
- इसके अलावा, ग्राम पंचायत में 3 निजी बाग भी हैं। फील्ड सर्वे में यह भी बताया गया कि कई घरों में फलदार पेड़ लगे हुए हैं, विशेषकर अमरूद के।
- ग्राम पंचायत में गंगा और जारगो नदियों के किनारों पर वृक्षारोपण के माध्यम से हरित स्थानों का विस्तार करना संभव है।

यह न केवल बढ़ते तापमान में सुधार करेगा और छाया प्रदान करेगा अपितु ग्राम पंचायत में कार्बन सिंक को बढ़ाने के अतिरिक्त, लंबी अवधि में मिट्टी के स्वास्थ्य और जल स्तर में भी सुधार करेगा।



हरित आवरण में सुधार

चरण	I	II	III
	2024-25 से 2026-27	2027-28 से 2029-30	2030-31 से 2034-35
अनुमोदित जलवायु स्मार्ट गतिविधियाँ	<ol style="list-style-type: none"> विभिन्न प्रयासों के माध्यम से वार्षिक सामुदायिक वृक्षारोपण गतिविधियों³² का आयोजन करना: <ol style="list-style-type: none"> विद्यार्थियों के लिए³³ हरित प्रबंधन कार्यक्रम का आयोजन (5 विद्यार्थियों का चयन होगा) देशी फलों के पेड़ लगाकर खाद्य वन का निर्माण आरोग्य वन तैयार करना - भूमि की खरीद और तैयारी, प्रजातियों का चयन और विभिन्न औषधीय जड़ी-बूटियों²¹, झाड़ियों और पेड़ों का रोपण 	<ol style="list-style-type: none"> वर्तमान बागानों और नर्सरियों का रखरखाव बाल वन³⁴ का निर्माण कर वृक्षारोपण की गतिविधियों को जारी रख उनका विस्तार करना किसानों को कृषि वन अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना आरोग्य वन की स्थापना करना 	<ol style="list-style-type: none"> बाल वन और अन्य वृक्षारोपण गतिविधियाँ जारी रखना और उनमें वृद्धि करना कृषि वानिकी पहल के अंतर्गत क्षेत्र का विस्तार आरोग्य वन का रखरखाव और प्राकृतिक औषधियों और पूरकों के उत्पादन के लिए इकाइयों की स्थापना

31 ग्राम प्रधान द्वारा दी गयी जानकारी के अनुसार

32 संलग्नक VI में वृक्षों के नामों की सूची है

33 स्कूली बच्चों से पौधे लगवाए जाएंगे और हर एक कक्षा से छात्र मार्गदर्शकों को चुना जाएगा जो ग्राम पंचायत में अपने जैसे अन्य छात्रों को पौधे लगाने के लिए प्रोत्साहित करेंगे

34 नए माता-पिताओं को उनके बच्चे के जन्म के अवसर पर देसी सदाबहार पेड़ों के पौधे दिए जाएंगे और उन्हें अपने बच्चे के साथ-साथ उन पौधों की देखभाल करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा

लक्ष्य

<ol style="list-style-type: none"> 1. आम और लुप्त हो रहे पेड़ों के 2,000 पौधों का रोपण और कम से कम 65% पौधों को जीवित रखना सुनिश्चित करना (ट्री गार्ड द्वारा) पृथक्करण क्षमता ³⁵: 15-20 वर्षों में 11,200 tCO₂ से 20,000 tCO₂ होना अनुमानित 2. आरोग्य वन स्थापित करने के लिए लगभग 0.1 हेक्टेयर भूमि का आवंटन/सीमांकन 	<ol style="list-style-type: none"> 1. ग्राम पंचायत में सड़कों, रास्तों और जल निकायों के आसपास अतिरिक्त 2,000 से 2,500 पौधे लगाए जाने का कार्य पृथक्करण क्षमता: 15-20 वर्षों में 14,000 tCO₂ से 25,000 tCO₂ होना अनुमानित 2. आरोग्य वन की स्थापना एवं रखरखाव 3. 68 हेक्टेयर भूमि में कृषि वानिकी अपनाया जाना, 6,800 वृक्षारोपण³⁶ पृथक्करण क्षमता: 20 वर्षों में 38,080 tCO₂ से 68,000 tCO₂ होना अनुमानित 4. प्राकृतिक दवाओं और पूरकों के निर्माण और विपणन के लिए किसान उत्पादन संगठन (एफपीओ), महिला समूहों, युवा समूहों का क्षमता विकास। 	<ol style="list-style-type: none"> 1. अतिरिक्त 2,500 से 3,000 पौधों के रोपण का कार्य 15-20 वर्षों में पृथक्करण क्षमता: 16,800 tCO₂ से 30,000 tCO₂ 2. शेष 102 हेक्टेयर भूमि में कृषि वन की स्थापना, 10,200 वृक्षारोपण करना पृथक्करण क्षमता: 20 वर्षों में 57,120 tCO₂ से 1,02,000 tCO₂ होना अनुमानित 3. आरोग्य वन का रखरखाव और प्राकृतिक दवाओं और पूरकों का उत्पादन जारी रखना
---	--	---

अनुमानित लागत

<p>वृक्षारोपण गतिविधियाँ: ₹25,40,000 कुल लागत: ₹25,40,000</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. वृक्षारोपण के लिए कुल लागत: ₹25,40,000-₹31,75,000 2. कृषि वानिकी की लागत: ₹27,20,000 3. रोपित किए गए वृक्षों की देखभाल: ₹1,80,000 <p>कुल लागत: ₹54,40,000-₹60,75,000</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. वृक्षारोपण की कुल लागत: ₹31,75,000-₹38,10,000 2. कृषि वानिकी की लागत: ₹40,80,000 3. रोपित किए गए वृक्षों की देखभाल: ₹1,80,000 <p>कुल लागत: ₹74,35,000 - ₹80,70,000</p>
---	---	---



जन जैवविविधता रजिस्टर

चरण

अनुमोदित जलवायु स्मार्ट गतिविधियाँ

I 2024-25 से 2026-27	II 2027-28 से 2029-30	III 2030-31 से 2034-35
<ol style="list-style-type: none"> 1. जन जैवविविधता रजिस्टर को अद्यतन करना 2. लोगों में जन जैवविविधता रजिस्टर के प्रति जागरूकता बढ़ाना 	<ol style="list-style-type: none"> 1. जन जैवविविधता रजिस्टर को अद्यतन करना जारी रखना 2. जागरूकता को मजबूत करना 	<ol style="list-style-type: none"> 1. जन जैवविविधता रजिस्टर को अद्यतन करना जारी रखना 2. जागरूकता को मजबूत करना

35 सागवान की प्रजाति के आधार पर पृथक्करण क्षमता का अनुमान लगाया गया

36 उपयुक्त भूमि में कृषि वन का निर्माण कार्य। यहां कुल 170 हेक्टेयर कृषि भूमि पर ध्यान केन्द्रित किया गया है (मृगफली के अंतर्गत 40% कृषि भूमि)

लक्ष्य

1. जैवविविधता प्रबंधन समिति (बीएमसी) का गठन और क्षमता विकास
2. जन जैवविविधता रजिस्टर का सहभागी अद्यतन

जन जैवविविधता रजिस्टर का सहभागी अद्यतन जारी रखना

जन जैवविविधता रजिस्टर का सहभागी अद्यतन जारी रखना

अनुमानित लागत

जैवविविधता समितियों का गठन (बीएमसी)³⁷ और प्रशिक्षण लागत: ₹25,000



नर्सरी की स्थापना

चरण अनुमोदित जलवायु स्मार्ट गतिविधियाँ

I 2024-25 से 2026-27	II 2027-28 से 2029-30	III 2030-31 से 2034-35
स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) को रोजगार देकर ग्राम पंचायत के लिए नर्सरी की स्थापना करना	नर्सरी का रखरखाव	नर्सरी का रखरखाव जारी रखना

लक्ष्य

स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) को रोजगार देकर 1 नर्सरी की स्थापना करना

नर्सरी का रखरखाव

नर्सरी का रखरखाव जारी रखना

अनुमानित लागत

नर्सरी स्थापना की लागत: ₹2,50,000

आवश्यकता के अनुसार

आवश्यकता के अनुसार

वर्तमान में संचालित योजनाएं और कार्यक्रम

- पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय, भारत सरकार, ग्रीन इंडिया मिशन, जल जीवन मिशन और उग्र राज्य वृक्षारोपण लक्ष्यों द्वारा 'भारत में वनों के बाहर पेड़' पहल के अंतर्गत प्रावधानों के माध्यम से वृक्षारोपण गतिविधियों को जोड़ा और संचालित किया जा सकता है।
- उ.प्र. राज्य प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि प्रबंधन और योजना प्राधिकरण निधि (राज्य कैम्पा निधि) के अंतर्गत वार्षिक बजटिंग के लिए निम्न गतिविधि-हस्तु निर्देशित किया जा सकता है:
 - » ग्राम पंचायत में वनरोपण, जैवविविधता का संवर्धन, वन्यजीव आवास में सुधार, और मिट्टी एवं जल संरक्षण गतिविधियाँ
- वृक्षारोपण गतिविधियों को मनरेगा के साथ जोड़ा जा सकता है और स्थानीय समुदाय को 'श्रमदान' करने में भी सम्मिलित किया जा सकता है।
- सतत कृषि पर राष्ट्रीय मिशन के अंतर्गत कृषि वानिकी संबंधी उप-मिशन का लाभ उठाया जा सकता है:

37 जैवविविधता प्रबंधन समितियों (बीएमसी) को क्रियान्वित करने के लिए दिशानिर्देश, 2013, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण। <http://nbaindia.org>

- » कृषि वानिकी वृक्षारोपण के लिए प्रति हेक्टेयर ₹28,000 का लाभ उठाया जा सकता है
- » वृक्षारोपण हेतु सहायता चार वर्षों के लिए 40:20:20:20 के वर्ष-वार अनुपात में प्राप्त की जा सकती है
- केंद्रीय औषधीय एवं सुगंध पौधा संस्थान, लखनऊ के कौशल विकास एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम ग्राम पंचायत में आरोग्य वन स्थापित करने में सहायक हो सकता है
- जैवविविधता प्रबंधन समिति (बीएमसी) के प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण के लिए राष्ट्रीय जैवविविधता प्राधिकरण और उत्तर प्रदेश राज्य जैवविविधता बोर्ड के कार्यक्रमों का उपयोग किया जा सकता है।

वित्त के अन्य स्रोत

- 15वें वित्त आयोग के अंतर्गत ग्राम पंचायत को आवंटित संसाधन तथा पंचायत के स्वयं की आय (ओएसआर) से एकत्र राजस्व।
- पौधों की खरीद, वृक्षारोपण अभियान का आयोजन, पौधों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ट्री गार्ड के निर्माण के लिए कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी (सीएसआर) फंड का लाभ उठाया जा सकता है। सीएसआर समर्थन का उपयोग आरोग्य वन के निर्माण और हर्बल उत्पादों के लिए उत्पादन इकाइयों की स्थापना के लिए भी किया जा सकता है, जैसा कि 'आजीविका बढ़ाने और हरित उद्यमिता को बढ़ावा देने' की संस्तुतियों में वर्णित है।

प्रमुख विभाग

- पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग
- राज्य जैवविविधता बोर्ड
- पंचायती राज विभाग
- ग्राम्य विकास विभाग
- केंद्रीय औषधीय एवं सुगंध पौधा संस्थान, लखनऊ
- अवसंरचना एवं औद्योगिक विकास विभाग

3

सतत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन



संदर्भ एवं मुद्दे

- ग्राम पंचायत में सभी घरेलू गतिविधियों (घरेलू, सार्वजनिक एवं अर्ध-सार्वजनिक स्थानों और वाणिज्यिक क्षेत्रों) से उत्पन्न कुल कचरा³⁸ लगभग 218 किलो प्रति दिन है। इसमें से 126 किलो प्रति दिन बायोडिग्रेडेबल/जैविक कचरा और 92 किलो प्रति दिन गैर-बायोडिग्रेडेबल/अजैविक कचरा होता है।
- क्षेत्र सर्वेक्षण के दौरान प्राप्त जानकारी के अनुसार ग्राम पंचायत में ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन का अभाव है।
- ग्राम पंचायत में कृषि और पशु अपशिष्ट की बड़ी मात्रा अपशिष्ट प्रबंधन के मुद्दों को बढ़ाती हैं। बगही ग्राम पंचायत में कुल पशुधन आबादी 1,533 है (गाय, भैंस, बकरियां सहित) और अनुमानित गोबर उत्पादन लगभग 19 टन प्रति दिन है जिसे खाद, वर्मीकम्पोस्टिंग, प्राकृतिक उर्वरक उत्पादन और बायोगैस उत्पादन जैसे हस्तक्षेपों के माध्यम से काफी हद तक प्रबंधित किया जा सकता है³⁹।
- ग्राम पंचायत में लगभग 94% घरों में शौचालय है।

इस पृष्ठभूमि में 100% ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन सुनिश्चित करने के साथ-साथ अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने और आजीविका के अवसर बढ़ाने के लिए निम्नलिखित समाधान प्रस्तावित हैं।

38 अनुमान पद्धति के लिए अनुबंध IV देखें

39 माना जा रहा है कि गाय प्रति दिन 10 किलो, भैंस प्रति दिन 15 किलो और बकरी प्रति दिन 150 ग्राम गोबर करती है



अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली की स्थापना

चरण

I 2024-25 से 2026-27	II 2027-28 से 2029-30	III 2030-31 से 2034-35
<ol style="list-style-type: none"> घरेलू स्तर पर अपशिष्ट पृथक्करण पर सामुदायिक जागरूकता और संवेदीकरण चयनित स्थानों (2 मजरो, पंचायत भवन, सार्वजनिक विद्यालय, आंगनवाड़ी, आदि) पर कचरा संग्रहण हेतु कूड़ेदान की स्थापना घरों से ग्राम पंचायत स्तर की भंडारण सुविधा तक कचरे के संग्रहण और परिवहन के लिए इलेक्ट्रिक वाहन पंचायत, स्वयं सहायता समूह (एसएचजी), अनौपचारिक कचरा बीनने वालों, स्थानीय स्कैप डीलरों, स्थानीय व्यवसायों और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के बीच साझेदारी स्थापित करना 	<ol style="list-style-type: none"> ग्राम पंचायत स्तरीय पृथक्करण और भंडारण सुविधा का रखरखाव वर्तमान कूड़ेदानों का रखरखाव करना और आवश्यकता के अनुसार नए रणनीतिक/चयनित स्थानों में अतिरिक्त कूड़ेदान रखना। ग्राम पंचायत से आगे अन्य गांवों/जिलों तक साझेदारी को बढ़ाना 	<ol style="list-style-type: none"> ग्राम पंचायत स्तर का रखरखाव: पृथक्करण और भंडारण की सुविधा स्थापित मौजूदा कूड़ेदानों का रखरखाव ग्राम पंचायत से आगे अन्य गांवों/जिलों तक साझेदारी को बढ़ाना

अनुमोदित जलवायु स्मार्ट गतिविधियाँ

लक्ष्य

<ol style="list-style-type: none"> चयनित स्थानों पर कचरा संग्रहण हेतु 22 कूड़ेदानों की स्थापना⁴⁰ दैनिक कचरा संग्रहण के लिए 1 इलेक्ट्रिक वाहन की व्यवस्था ग्राम पंचायत की अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली के अंतर्गत 425 घर (100%) सम्मिलित हैं डंपिंग मैदानों का रखरखाव 	<ol style="list-style-type: none"> अतिरिक्त 22 कूड़ेदान लगाना मौजूदा सुविधाओं और अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली का रखरखाव 	<ol style="list-style-type: none"> आवश्यकता के अनुसार अतिरिक्त कूड़ेदान मौजूदा सुविधाओं और अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली का रखरखाव
--	--	--

अनुमानित लागत

<ol style="list-style-type: none"> 22 कूड़ादान/कंटेनर: ₹8000: ₹1,76,000 1 इलेक्ट्रिक कचरा वैन: ₹95,000 - ₹ 1,00,000 <p>कुल लागत: ₹ 2,71,000- ₹ 2,76,000</p>	<p>अतिरिक्त 22 कूड़ादान/कंटेनर: ₹1,76,000</p> <p>कुल लागत: ₹1,76,000</p>	<p>आवश्यकता के अनुसार</p>
---	--	---------------------------

40 अतिरिक्त विवरण जानने के लिए एचआरवीसीए देखें



बेहतर स्वच्छता प्रबंधन

चरण

अनुमोदित जलवायु स्मार्ट गतिविधियाँ

लक्ष्य

अनुमानित लागत

I 2024-25 से 2026-27	II 2027-28 से 2029-30	III 2030-31 से 2034-35
<ol style="list-style-type: none"> स्वच्छता अभियानों का प्रचार और प्रमुख तीन मौसमों के दौरान कीट रोधक स्प्रे का छिड़काव अतिरिक्त घरों में शौचालयों की स्थापना सभी नए निर्माणों/घरों में अनिवार्य रूप से शौचालयों की स्थापना 	<ol style="list-style-type: none"> स्वच्छता अभियानों का प्रचार और प्रमुख तीन मौसमों के दौरान कीट रोधक स्प्रे का छिड़काव शेष घरों में शौचालयों की स्थापना सभी नए निर्माणों/घरों में अनिवार्य रूप से शौचालयों की स्थापना 	<ol style="list-style-type: none"> स्वच्छता अभियानों का प्रचार और प्रमुख तीन मौसमों के दौरान कीट रोधक स्प्रे का छिड़काव जारी रखना वर्तमान बुनियादी ढांचों का रखरखाव सभी नए निर्माणों/घरों में अनिवार्य रूप से शौचालयों की स्थापना

शेष 28 घरों में ट्विन पिट (दो गड्डों वाले) शौचालयों का निर्माण	आवश्यकता के अनुसार ट्विन पिट (दो गड्डों वाले) शौचालयों का निर्माण	वर्तमान बुनियादी ढांचों का रखरखाव
--	---	-----------------------------------

ट्विन पिट शौचालयों की लागत: ₹17,500 कुल लागत: ₹4,90,000	आवश्यकता के अनुसार	आवश्यकता के अनुसार
--	--------------------	--------------------



जैविक अपशिष्ट का सतत प्रबंधन

चरण

अनुमोदित जलवायु स्मार्ट गतिविधियाँ

लक्ष्य

I 2024-25 से 2026-27	II 2027-28 से 2029-30	III 2030-31 से 2034-35
<ol style="list-style-type: none"> कम्पोस्ट गड्डे का निर्माण पंचायत और संबंधित हितधारकों के बीच साझेदारी स्थापित करना 	<ol style="list-style-type: none"> कम्पोस्ट और सोखता गड्डों का नियमित रखरखाव ग्राम पंचायत से आगे अन्य गांवों/जिलों तक साझेदारी को बढ़ाना 	<ol style="list-style-type: none"> कम्पोस्ट और सोखता गड्डों का नियमित रखरखाव ग्राम पंचायत से आगे अन्य गांवों/जिलों तक साझेदारी को बढ़ाना

<ol style="list-style-type: none"> 20 कम्पोस्ट गड्डों की स्थापना पंचायत, समुदाय के सदस्यों और किसान समूहों के बीच साझेदारी मॉडल ('आजीविका और हरित उद्यमिता बढ़ाना' अनुभाग में विस्तार से बताया गया है): <ol style="list-style-type: none"> खाद का उत्पादन एवं विक्रय कृषि अपशिष्ट की बिक्री 	<ol style="list-style-type: none"> कम्पोस्ट और सोखता गड्डों का नियमित रखरखाव साझेदारी बढ़ाना 	<ol style="list-style-type: none"> कम्पोस्ट और सोखता गड्डों का नियमित रखरखाव साझेदारी बढ़ाना
--	--	--

अनुमानित
लागत

कम्पोस्ट गड्डे: ₹2,00,000
कुल लागत: ₹2,00,000

आवश्यकता के अनुसार

आवश्यकता के अनुसार



एकल उपयोग प्लास्टिक पर प्रतिबंध

चरण

I

2024-25 से 2026-27

- निम्न हेतु जागरूकता, प्रशिक्षण और क्षमता विकास कार्यक्रम का आयोजन:
 - ग्राम जल और स्वच्छता समिति (वीडब्ल्यूएससी)
 - छात्र एवं युवा समूह
 - समुदाय के सदस्य और वाणिज्यिक प्रतिष्ठान
- प्लास्टिक के वैकल्पिक उत्पादों से उत्पाद बनाने के लिए पंचायत महिलाओं और स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) के बीच साझेदारी मॉडल बनाना ('आजीविका और हरित उद्यमिता को बढ़ाना' अनुभाग में विस्तार से बताया गया है)

II

2027-28 से 2029-30

- नियमित जागरूकता, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण कार्यक्रमों का आयोजन
- ग्राम पंचायत से आगे अन्य गांवों/जिलों तक साझेदारी को बढ़ाना

III

2030-31 से 2034-35

- नियमित जागरूकता, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण कार्यक्रमों का आयोजन
- ग्राम पंचायत से आगे अन्य गांवों/जिलों तक साझेदारी को बढ़ाना

अनुमोदित जलवायु स्मार्ट गतिविधियाँ

लक्ष्य

- एकल उपयोग प्लास्टिक (एसयूपी) पर पूर्ण प्रतिबंध
- प्लास्टिक के वैकल्पिक उत्पाद बनाने में 100-120 महिलाओं को जोड़ा जाना
(वर्तमान में एसएचजी से जुड़ी 150 महिलाओं में से)

- एकल उपयोग प्लास्टिक (एसयूपी) पर प्रतिबंध बनाए रखना
- ग्राम पंचायत और आस-पास के गांवों से दीर्घकालिक साझेदारी:
 - अतिरिक्त 200 महिलाएं
 - अतिरिक्त स्वयं सहायता समूह (एसएचजी), सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) और व्यक्तिगत उद्यमी

- एकल उपयोग प्लास्टिक (एसयूपी) पर प्रतिबंध बनाए रखना
- विकल्प आसानी से उपलब्ध होने से उपभोक्ता-व्यापी प्लास्टिक का उपयोग कम हो जाता है

वर्तमान में संचालित योजनाएं और कार्यक्रम

- समुदाय-आधारित खाद सुविधाओं के निर्माण के लिए मनरेगा का उपयोग किया जा सकता है
- बुनियादी ढांचे के विकास और प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण को स्वच्छ भारत (ग्रामीण) मिशन के अंतर्गत प्रयासों द्वारा समर्थित किया जा सकता है।

वित्त के अन्य स्रोत

- प्लास्टिक के वैकल्पिक उत्पादों के उत्पादन और खाद प्रक्रियाओं में सम्मिलित सभी हितधारकों की जागरूकता, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण करने और व्यक्तिगत स्तर पर टिकाऊ/सतत उपभोग व्यवहार को बढ़ावा देने में सीएसआर समर्थन महत्वपूर्ण होगा।
- इसके अतिरिक्त, प्लास्टिक के वैकल्पिक उत्पादों के उत्पादन और खाद प्रक्रियाओं सम्मिलित सभी हितधारकों की जागरूकता, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण करने और व्यक्तिगत स्तर पर टिकाऊ/सतत उपभोग व्यवहार को बढ़ावा देने में सीएसआर समर्थन महत्वपूर्ण होगा।
- स्वच्छ भारत मिशन - ग्रामीण (एसबीएम-जी) दिशानिर्देशों के अनुसार अपशिष्ट प्रबंधन के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे को विकसित करने के लिए टाइड और अनटाइड बजट सहित ग्राम पंचायत की स्वयं की आय से एकत्र राजस्व का उपयोग किया जा सकता है

प्रमुख विभाग

- पंचायती राज विभाग
- स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
- ग्राम्य विकास विभाग
- कृषि विभाग
- उत्तर प्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड

4

जल निकायों का प्रबंधन और कायाकल्प



संदर्भ एवं मुद्दे

- बगही ग्राम पंचायत मुख्य रूप से घरेलू कार्यों के लिए भूजल पर निर्भर है जबकि सिंचाई कार्यों के लिए किसान ट्यूबवेल, वर्षा जल और नदियों के पानी का उपयोग करते हैं। 2018 से 2022 तक हर वर्ष जुलाई और अगस्त के महीनों में बारंबार सूखा पड़ा।
- ग्राम पंचायत में 2 नदियां हैं (गंगा और जारगो)। ग्राम पंचायत में नदियों के किनारों पर बांध न होने के कारण मानसून के दौरान यहां बाढ़ की स्थिति पैदा हो जाती है। ग्राम पंचायत की प्रमुख समस्याओं में से एक है बाढ़ जो खरीफ फसलों, आजीविका और आवागमन को प्रभावित करती हैं।⁴¹
- ग्राम पंचायत में 2 तालाब हैं। दोनों तालाबों के खराब रखरखाव के कारण इनमें गाद, मलबा और कचरा भरा हुआ है, इसलिए इनकी सफाई और पुनरोद्धार की आवश्यकता है। भूजल पर निर्भरता और सूखे की लगातार घटनाएं जल संरक्षण और भूजल संसाधनों को फिर से भरने/पुनर्जीवित करने के लिए वाटरशेड प्रबंधन की तत्काल आवश्यकता को प्रदर्शित करती हैं।

बगही में संवेदनशीलता को कम करने, लचीलापन बनाने और जल उपलब्धता में सुधार के लिए निम्नलिखित गतिविधियां/संस्तुतियाँ प्रस्तावित हैं।



वर्षा जल संचयन (आरडब्ल्यूएच) को प्रोत्साहन देना

चरण	I 2024-25 से 2026-27	II 2027-28 से 2029-30	III 2030-31 से 2034-35
अनुमोदित जलवायु स्मार्ट गतिविधियाँ	<ol style="list-style-type: none">पंचायत में स्थित सभी सरकारी भवनों (पीआरआई) में वर्षा जल संचयन (आरडब्ल्यूएच) संरचनाओं की स्थापना का कार्य*भूजल पुनर्भरण के लिए पुनर्भरण गड्डों के निर्माण का कार्य <p>*सभी नई इमारतों में वर्षा जल संचयन (आरडब्ल्यूएच) संरचनाओं को अनिवार्य रूप से सम्मिलित करना</p>	<ol style="list-style-type: none">1,500 वर्ग फुट से अधिक भूखंड के आवासीय भवनों में वर्षा जल संचयन (आरडब्ल्यूएच) संरचनाओं की स्थापनाअतिरिक्त पुनर्भरण गड्डों की खुदाई <p>*सभी नए निर्माणों में वर्षा जल संचयन प्रणाली की स्थापना करना</p>	<p>1,000 वर्ग फुट के आवासीय भवनों में वर्षा जल संचयन (आरडब्ल्यूएच) संरचनाओं की स्थापना</p> <p>*सभी नए निर्माणों में वर्षा जल संचयन प्रणाली की स्थापना करना</p>

41 क्षेत्र सर्वेक्षण के दौरान प्राप्त जानकारी के अनुसार

लक्ष्य

- सरकारी भवनों में 3 वर्षा जल संचयन संरचनाओं (आरडब्ल्यूएच) की स्थापना⁴² – पंचायत भवन, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और पशु चिकित्सा केंद्र
- 4 पुनर्भरण गड्डों की खुदाई

- 132 घरों में 10 घन मीटर की औसत भंडारण क्षमता के साथ वर्षा जल संचयन (आरडब्ल्यूएच) संरचनाएं स्थापित किया जाना
- आवश्यकता के अनुसार अधिक पुनर्भरण गड्डों की खुदाई

72 घरों में 10 घन मीटर की औसत भंडारण क्षमता के साथ वर्षा जल संचयन (आरडब्ल्यूएच) संरचनाएं स्थापित किया जाना

अनुमानित लागत

- आरडब्ल्यूएच (3 10 घन मीटर क्षमता वाली वर्षा जल संचयन (आरडब्ल्यूएच) संरचनाएं): ₹1,05,000
 - 4 पुनर्भरण गड्डे: ₹1,40,000
- कुल लागत: ₹2,45,000

- आरडब्ल्यूएच: 132 इकाइयों के लिए ₹46,20,000
 - पुनर्भरण गड्डे: आवश्यकता के अनुसार
- कुल लागत: ₹46,20,000

आरडब्ल्यूएच: 72 इकाइयों के लिए ₹25,20,000

कुल लागत: ₹25,20,000



जल निकायों का पुनरोद्धार एवं संरक्षण

चरण

I

2024-25 से 2026-27

- जल निकायों की सफाई और गाद निकालना
- जल निकायों के आसपास ट्री गार्ड के साथ वृक्षारोपण
- नदियों के किनारों की सफाई और वृक्षारोपण
- जल के उचित उपयोग और जल संरक्षण में सुधार के लिए विभिन्न सामुदायिक समूहों के मध्य जागरूकता बढ़ाने हेतु मौजूदा ग्राम जल और स्वच्छता समिति (वीडब्ल्यूएससी) का क्षमता विकास करना।

II

2027-28 से 2029-30

- जल निकायों का नियमित रखरखाव
- जल निकायों के आसपास अतिरिक्त वृक्षारोपण
- समुदाय और अन्य हितधारकों के क्षमता विकास का कार्य

III

2030-31 से 2034-35

जल निकायों का नियमित रखरखाव

अनुमोदित जलवायु स्मार्ट गतिविधियाँ

लक्ष्य

- 2 तालाबों की सफाई और गाद निकालने का कार्य⁴³
- 5 कुओं की सफाई और खुदाई
- ~1 किलोमीटर लंबी नदी के किनारे की सफाई
- ट्री गार्ड के साथ 1,000 पेड़ों का रोपण (जल निकायों के आसपास)

- 2 तालाबों के रखरखाव का कार्य
- 5 कुओं के रखरखाव का कार्य
- नदी के किनारों का रखरखाव
- जल निकायों के आसपास ट्री गार्ड के साथ अतिरिक्त 1,000 पेड़ लगाए जाने का कार्य ("हरित स्थानों और जैवविविधता को बढ़ाना" अनुभाग देखें)

- 2 तालाबों के रखरखाव का कार्य
- 5 कुओं के रखरखाव का कार्य

⁴² ग्राम पंचायत प्रधान से प्राप्त आदानों के अनुसार 3 विद्यालयों में जल संचयन संरचनाओं (आरडब्ल्यूएच) की स्थापना हो चुकी है

⁴³ सटीक स्थानों के लिए एचआरवीसीए देखें

1. 2 तालाबों की सफ़ाई: ₹12,00,000
 2. 5 कुओं का जीर्णोद्धार: ₹3,00,000
 3. ~1 किलोमीटर लंबी नदी के किनारे की सफ़ाई: ₹10,00,000
 कुल लागत: ₹25,00,000

1. 2 तालाबों के रखरखाव का कार्य: 2,00,000
 2. 5 कुओं के रखरखाव का कार्य: ₹3,00,000
 कुल लागत: ₹5,00,000

1. 2 तालाबों के रखरखाव का कार्य: 2,00,000
 2. 5 कुओं के रखरखाव का कार्य: ₹3,00,000
 कुल लागत: ₹5,00,000



अपशिष्ट जल प्रबंधन

चरण

अनुमोदित जलवायु स्मार्ट गतिविधियाँ

I 2024-25 से 2026-27

1. विकेन्द्रीकृत अपशिष्ट जल उपचार प्रणाली (डीईडब्ल्यूएटीएस) (डीवाट्स) की स्थापना
 2. सोखता गड्ढों का निर्माण (उन घरों के लिए जो डीईडब्ल्यूएटीएस (डीवाट्स) से जुड़े नहीं हैं)

II 2027-28 से 2029-30

1. मौजूदा डीईडब्ल्यूएटीएस (डीवाट्स) का नियमित रखरखाव
 2. सोखता गड्ढों का नियमित रखरखाव और आवश्यकता के अनुसार अतिरिक्त सोखता गड्ढों का निर्माण

III 2030-31 से 2034-35

1. भविष्य में जनसंख्या वृद्धि के आधार पर अपशिष्ट जल उपचार को बढ़ाना
 2. मौजूदा डीईडब्ल्यूएटीएस (डीवाट्स) का नियमित रखरखाव और आवश्यकता के अनुसार अतिरिक्त सोखता गड्ढों का निर्माण

लक्ष्य

1. 100 किलो प्रति दिन क्षमता वाले 2 डीईडब्ल्यूएटीएस (डीवाट्स) की स्थापना
 2. चयनित स्थानों में सोखता गड्ढों का निर्माण⁴⁵

1. अपशिष्ट जल उपचार संरचनाओं का रखरखाव
 2. सोखता गड्ढों का नियमित रखरखाव और आवश्यकता के अनुसार अतिरिक्त सोखता गड्ढों का निर्माण

1. अपशिष्ट जल उपचार संरचनाओं का रखरखाव
 2. सोखता गड्ढों का नियमित रखरखाव और आवश्यकता के अनुसार अतिरिक्त सोखता गड्ढों का निर्माण

अनुमानित लागत

2 डीईडब्ल्यूएटीएस (डीवाट्स): ₹60,00,000
 कुल लागत: ₹60,00,000

आवश्यकता के अनुसार

आवश्यकता के अनुसार

44 एचआरवीसीए के अनुसार लागत

45 अतिरिक्त विवरण जानने के लिए एचआरवीसीए देखें

वर्तमान में संचालित योजनाएं और कार्यक्रम

- जल शक्ति अभियान: 'कैच द रेन' अभियान द्वारा उपलब्ध प्रावधानों और संसाधनों के माध्यम से वर्षा जल संचयन प्रणालियों का विकास किया जा सकता है।
- सिंचाई विभाग के अंतर्गत ३० प्र० राज्य का वार्षिक बजट को ग्राम पंचायत स्तर के जल निकाय संरक्षण और जीर्णोद्धार गतिविधियों के लिए उपयोग किया जा सकता है।
- प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) के अंतर्गत मनरेगा और वाटरशेड विकास घटक के वार्षिक बजट का उपयोग वाटरशेड विकास गतिविधियों के लिए किया जा सकता है।
- ग्राम पंचायत स्तर पर स्वच्छता गतिविधियों के लिए स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) का लाभ उठाया जा सकता है।
- ग्राम पंचायत स्तर पर सोखता गड्ढों के निर्माण द्वारा अपशिष्ट जल प्रबंधन के विचार को जल शक्ति अभियान के माध्यम से प्रसारित किया जा सकता है: सुजलम 2.0 अभियान

वित्त के अन्य स्रोत

- जल निकायों और कुओं के अनुरक्षण और रख-रखाव में योगदान देने के लिए कॉर्पोरेट/सीएसआर को 'जल निकाय को अपनाने' के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है।
- राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) के अंतर्गत वाटरशेड विकास निधि द्वारा वाटरशेड विकास संबंधी गतिविधियों को प्रोत्साहन दिया जा सकता है।

प्रमुख विभाग

- ग्राम्य विकास विभाग
- सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग
- उत्तर प्रदेश भूमि संसाधन विभाग

5

स्वच्छ, सतत, किफायती और विश्वसनीय ऊर्जा तक पहुंच



संदर्भ एवं मुद्दे

- ग्राम पंचायत बगही ने 2022-23 में लगभग 96,409 यूनिट बिजली की खपत की है। ग्राम पंचायत में ~79% घरों में बिजली कनेक्शन है, परन्तु जैसा कि समुदाय के सदस्यों द्वारा जानकारी दी गयी है, पंचायत में बिजली की आपूर्ति 24*7 नहीं है। प्रतिदिन औसतन ~9 घंटे बिजली की कटौती होती है।⁴⁶
- बिजली कटौती के कारण, पावर बैकअप के लिए ग्राम पंचायत⁴⁷ में 10 डीजल जनरेटर चल रहे हैं और वे सालाना लगभग 13.4 किलोलीटर ईंधन की खपत करते हैं।
- इसके अतिरिक्त, सिंचाई के लिए 4 डीज़ल पंपों का उपयोग होता है जो लगभग 1.5 किलोलीटर ईंधन की खपत करते हैं।
- इंकंडेसेंट लैंप, सीएफएल (कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट) और अन्य विद्युत स्थिरता और कम दक्षता वाले उपकरण कई घरों और सार्वजनिक उपयोगिताओं में उपयोग में हैं। साथ ही, ग्राम पंचायत में 80 सोलर स्ट्रीट लाइटों की आवश्यकता है (75 एलईडी स्ट्रीट लाइट और 5 हाई मास्ट लाइट)⁴⁸
- बगही में लगभग 73% घर रसोई गैस (एलपीजी) का उपयोग करते हैं जबकि 50 घरों में खाना पकाने के लिए गोबर के उपलों और ईंधन की लकड़ी का उपयोग किया जाता है⁴⁹। ऐसी स्थिति में, स्वच्छ खाना पकाने के समाधानों में बदलाव की आवश्यकता है जिससे न केवल उत्सर्जन में कमी आएगी अपितु घरों के भीतर की वायु की गुणवत्ता में सुधार जैसे सह-लाभ भी मिलेंगे।
- बढ़ते तापमान के साथ, घरों के भीतर भी तापमान बढ़ रहा है जिसके कारण स्थायी स्थान शीतलन की आवश्यकता है।

बढ़ते तापमान और अत्यधिक कंक्रीट निर्माणों के कारण घरों के भीतर में तापमान बढ़ रहा है जिसके कारण स्थायी स्थान शीतलन की आवश्यकता है। ग्राम पंचायत की पहचानी गई ऊर्जा संबंधी समस्याओं/चिंताओं के आधार पर, केंद्र और राज्य सरकार के हाल ही में प्रारम्भ किए गए और साथ ही पूर्व से चल रहे कार्यक्रमों जैसे कि पीएम सूर्य घर बिजली मुफ्त योजना, पीएम कुसुम योजना, यूपी राज्य सौर नीति 2022, अन्य, को संयुक्त रूप से जोड़ते हुए निम्नलिखित समाधान/गतिविधियां बगही में कार्यान्वयन हेतु प्रस्तावित हैं। प्रस्तावित गतिविधियों का उद्देश्य ग्राम पंचायत में समुदायों के लिए स्वच्छ, सतत, किफायती और विश्वसनीय ऊर्जा तक पहुंच सुनिश्चित करना है। इससे न केवल उनके जीवन की गुणवत्ता में वृद्धि होगी अपितु ऊर्जा के उत्पादक उपयोग के माध्यम से आय बढ़ाने में भी मदद मिलेगी।

⁴⁶ क्षेत्र सर्वेक्षण के दौरान समुदाय द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार

⁴⁷ ग्राम प्रधान से प्राप्त जानकारी के आधार पर

⁴⁸ ग्राम प्रधान से प्राप्त जानकारी के आधार पर

⁴⁹ ग्राम प्रधान से प्राप्त जानकारी के आधार पर



सोलर रूफटॉप स्थापना

चरण

अनुमोदित जलवायु
स्मार्ट गतिविधियाँ

लक्ष्य

I 2024-25 से 2026-27	II 2027-28 से 2029-30	III 2030-31 से 2034-35
<p>सभी सरकारी भवनों पर सोलर रूफटॉप लगाया जाना⁵⁰: पंचायत भवन, प्राथमिक विद्यालय, हाई स्कूल, आंगनवाड़ी केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, आदि</p>	<p>1. पक्के घरों पर सोलर रूफटॉप लगाया जाना 2. सभी नए भवन निर्माणों को सोलर फोटोवोल्टिक के साथ स्थापित किया जाना</p>	<p>1. पक्के घरों पर रूफटॉप सोलर पैनलों की स्थापना का विस्तार करना 2. सभी नए भवन निर्माणों को सोलर फोटोवोल्टिक के साथ स्थापित किया जाना</p>
<p>निम्न सरकारी भवनों में सोलर रूफटॉप स्थापित किया जाना:</p> <p>a. प्राथमिक विद्यालय I, बगही : (1,650 वर्ग फुट छत क्षेत्र) 10 kWp</p> <p>b. जूनियर हाई स्कूल: (3,000 वर्ग फुट छत क्षेत्र) 10 kWp</p> <p>c. पंचायत भवन: (2,600 वर्ग फुट छत क्षेत्र) 10 kWp</p> <p>d. सरकारी पशु चिकित्सा केंद्र: (1,200 वर्ग फुट छत क्षेत्र) 7 kWp</p> <p>e. आंगनवाड़ी केंद्र: (600 वर्ग फुट छत क्षेत्र) 3 kWp</p> <p>f. सामुदायिक शौचालय: (1000 वर्ग फुट छत क्षेत्र) 6 kWp</p> <p>कुल स्थापित की जाने वाली सोलर रूफटॉप क्षमता: 46 kWp</p> <p>कुल वार्षिक बिजली उत्पादन: ~ 61,603 kWh</p> <p>किलोवाट प्रति वर्ष (~169 यूनिट प्रति दिन)</p> <p>ग्रीन हाउस गैस (जीएचजी) उत्सर्जन में कमी: प्रति वर्ष ~51 tCO₂e</p> <p>हाल ही में शुरू की गई पीएम सूर्य घर योजना के बहुत आवश्यक और महत्वाकांक्षी लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए, छतों पर सोलर फोटोवोल्टिक स्थापना के इस चरण में परिवार भी इसका हिस्सा बन सकते हैं</p>	<p>114⁵¹ (40%) पक्के घरों में सौर रूफटॉप की स्थापना⁵²</p> <p>स्थापित की जाने वाली सोलर रूफटॉप की क्षमता: 342 kWp</p> <p>कुल वार्षिक बिजली उत्पादन: ~ प्रति वर्ष 4,58,006 kWh (प्रति दिन ~1,255 इकाई)⁵³</p> <p>ग्रीन हाउस गैस (जीएचजी) उत्सर्जन में कमी: प्रति वर्ष ~376 tCO₂e⁵⁴</p>	<p>246 (100%) पक्के घरों में सोलर रूफटॉप की स्थापना</p> <p>स्थापित की जाने वाली सोलर रूफटॉप की क्षमता: ~738 kWp</p> <p>कुल वार्षिक बिजली उत्पादन: प्रति वर्ष ~9,88,330 kWh (~ 2,708 यूनिट प्रति दिन)⁵⁵</p> <p>ग्रीन हाउस गैस (जीएचजी) उत्सर्जन में कमी: प्रति वर्ष ~810 t CO₂e</p>

50 सभी सरकारी भवनों में सोलर स्थापना की अधिकतम सीमा 10 किलोवाट

51 ग्राम पंचायत के प्रधान से प्राप्त जानकारी के अनुसार, ग्राम पंचायत में 45 पक्के घरों में सोलर रूफटॉप की स्थापना हो गई है।

52 घरों का औसत क्षेत्रफल 130 वर्ग मीटर माना गया है; प्रति घर 3 किलोवाट रूफटॉप स्थापना का अनुमान

53 यह उत्पादन ग्राम पंचायत में वर्तमान बिजली खपत से पांच गुना अधिक है

54 कम हुए उत्सर्जन से ग्राम पंचायत कार्बन न्यूट्रैलिटी प्राप्त करने में सक्षम होगा

55 यह उत्पादन ग्राम पंचायत में वर्तमान बिजली खपत से दस गुना अधिक है

अनुमानित लागत

कुल लागत: ₹23,00,000 (₹50,000 /kWp)

कुल लागत: ₹1,71,00,000
सांकेतिक सब्सिडी⁵⁶: ~40% (राज्य + केन्द्र)
प्रभावी लागत: ₹1,02,60,000

कुल लागत: ₹3,69,00,000
सांकेतिक सब्सिडी: ~40% (राज्य + केंद्र)
प्रभावी लागत: ₹2,21,40,000



कृषि-फोटोवोल्टिक की स्थापना

चरण

I

2024-25 से 2026-27

II

2027-28 से 2029-30

III

2030-31 से 2034-35

अनुमोदित जलवायु स्मार्ट गतिविधियाँ

किसान, किसान समूहों, महिला समूहों, आदि के मध्य कृषि-फोटोवोल्टिक्स के बारे में जागरूकता बढ़ाने का कार्य।

उपयुक्त कृषि भूमि (बागवानी और दलहन वाली फसलों के अंतर्गत) के भाग पर कृषि-फोटोवोल्टिक स्थापित किया जाना

उपयुक्त कृषि भूमि (बागवानी और दलहन वाली फसलों के अंतर्गत) के भाग पर कृषि-फोटोवोल्टिक स्थापित किया जाना

लक्ष्य

किसानों के मध्य कृषि-फोटोवोल्टिक पहल को प्रोत्साहित करने हेतु जागरूकता अभियान और उन्मुखीकरण सत्रों का आयोजन करना

2 हेक्टेयर पर कृषि-फोटोवोल्टिक स्थापित करना
स्थापित कृषि-फोटोवोल्टिक की क्षमता: 500 kWp
बिजली उत्पादन: प्रति वर्ष 6,69,600 kWh (~ 1,835 यूनिट प्रति दिन)
ग्रीन हाउस गैस (जीएचजी) उत्सर्जन में कमी: प्रति वर्ष 549 tCO₂e

2 हेक्टेयर पर कृषि-फोटोवोल्टिक स्थापित करना
स्थापित कृषि-फोटोवोल्टिक की क्षमता: 500 kWp
बिजली उत्पादन: प्रति वर्ष 6,69,600 kWh (~ 1,835 यूनिट प्रति दिन)
ग्रीन हाउस गैस (जीएचजी) उत्सर्जन में कमी: प्रति वर्ष 549 tCO₂e

अनुमानित लागत

कुल लागत⁵⁷: ₹5,00,00,000

कुल लागत: ₹5,00,00,000

56 सब्सिडी परिवर्तनशील है और इनमें समय-समय पर राज्य और केंद्र सरकार द्वारा तय किए गए विभिन्न मापदंडों के अनुसार परिवर्तन आता रहता है। इसलिए, अनुमानित सब्सिडी की राशी पिछले रुझानों और औसत के आधार पर निर्धारित की गई है और वर्तमान में यह सटीक नहीं भी हो सकती है।

57 प्रौद्योगिकी में उन्नति के कारण कृषि-फोटोवोल्टिक्स की लागत में कमी आ रही है। हालाँकि, उच्च स्तर पर लागत का एक वास्तविक मूल्य से कम का अनुमान लगाया गया है। इसके अतिरिक्त, यह अनुमान लगाया गया है कि किसान बागवानी और उस तरह की फसलों के लिए निर्धारित भूमि पर भी फसल चक्र अपनाते हैं। इसलिए, कृषि-फोटोवोल्टिक्स की स्थापना के लिए बागवानी के अंतर्गत उपलब्ध भूमि के 25 प्रतिशत पर ही विचार किया गया है



सौर पंप

चरण

I

2024-25 से 2026-27

II

2027-28 से 2029-30

III

2030-31 से 2034-35

सौर पंप

4 वर्तमान डीज़ल पंप सेटों के स्थान पर सौर पंप लगाना *
**यदि सौर पंप संभव नहीं हैं, तो ऊर्जा कुशल पंप (ईईएसएल द्वारा किसान ऊर्जा दक्ष पंप) पर विचार किया जा सकता है*

1. ग्राम पंचायत में 15 ग्रिड से जुड़े विद्युत पंपों का सौर्यीकरण किया जाना
2. सौर ऊर्जा से संचालित होने वाले सभी नए पंप सेटों की खरीद/उपयोग को प्रोत्साहित करना

सौर ऊर्जा से संचालित होने वाले सभी नए पंप सेटों की खरीद/उपयोग को प्रोत्साहित करना

लक्ष्य

स्थापित कृषि-फोटोवोल्टिक की क्षमता: 22 kW
सौर ऊर्जा आधारित बिजली उत्पादन: 29,462 किलोवाट प्रति वर्ष (~81 यूनिट प्रति दिन)
डीजल की खपत में कमी: प्रति वर्ष 1,560 लीटर
ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कमी: प्रति वर्ष 4.2 tCO₂e

स्थापित कृषि-फोटोवोल्टिक की क्षमता: 82.5 kW
सौर ऊर्जा आधारित बिजली उत्पादन: प्रति वर्ष 1,10,484 किलोवाट (प्रति दिन ~303 इकाई)

आवश्यकता के अनुसार

अनुमानित लागत

कुल लागत: ₹12,00,000 से ₹20,00,000 (₹3,00,000 से ₹5,00,000/7.5 एचपी सौर पंप)
सांकेतिक सब्सिडी: 60 प्रतिशत (राज्य+-सीएफ़ए)
प्रभावी लागत: ₹4,80,000 से ₹8,00,000

कुल लागत: ₹45,00,000 से ₹75,00,000 (₹3,00,000 से ₹5,00,000/7.5 एचपी सौर पंप)
सांकेतिक सब्सिडी: 60 प्रतिशत (राज्य+-सीएफ़ए)
प्रभावी लागत: ₹18,00,000 से ₹30,00,000

आवश्यकता के अनुसार



रसोई में स्वच्छ ईंधन का प्रयोग

चरण
अनुमोदित जलवायु स्मार्ट गतिविधियाँ

I 2024-25 से 2026-27	II 2027-28 से 2029-30	III 2030-31 से 2034-35
<ol style="list-style-type: none"> परिदृश्य 1: घरेलू बायोगैस + रसोई गैस (एलपीजी) परिदृश्य 2: सौर ऊर्जा संचालित इंडक्शन कुकस्टोव + रसोई गैस (एलपीजी) परिदृश्य 3: सौर ऊर्जा संचालित इंडक्शन कुकस्टोव + बेहतर चूल्हे + रसोई गैस (एलपीजी) 	<ol style="list-style-type: none"> परिदृश्य 1: घरेलू बायोगैस + रसोई गैस (एलपीजी) परिदृश्य 2: सौर ऊर्जा संचालित इंडक्शन कुकस्टोव + रसोई गैस (एलपीजी) परिदृश्य 3: सौर ऊर्जा संचालित इंडक्शन कुकस्टोव + बेहतर चूल्हे + रसोई गैस (एलपीजी) सभी नए निर्मित घरों में उन्नत चूल्हे/ सौर ऊर्जा संचालित कुकस्टोव और/ या घरेलू बायोगैस संयंत्र को सम्मिलित किया जाना 	<ol style="list-style-type: none"> परिदृश्य 1: घरेलू बायोगैस + रसोई गैस (एलपीजी) परिदृश्य 2: सौर ऊर्जा संचालित इंडक्शन कुकस्टोव + रसोई गैस (एलपीजी) सभी नए निर्मित घरों में उन्नत चूल्हे/ सौर ऊर्जा संचालित कुकस्टोव और/ या घरेलू बायोगैस संयंत्र को सम्मिलित किया जाना

परिदृश्य 1: 45 घर बायोगैस संयंत्रों का उपयोग करते हैं (25% घर जिनके पास मवेशी हैं) + 380 घर रसोई गैस (एलपीजी) का उपयोग करते हैं

परिदृश्य 2: 75 घर सौर ऊर्जा संचालित इंडक्शन कुकस्टोव (25% घर शीर्ष आय वर्ग में हैं) + 350 घर रसोई गैस (एलपीजी) का उपयोग करते हैं

परिदृश्य 3: 75 घर सौर ऊर्जा संचालित इंडक्शन कुकस्टोव (25% घर शीर्ष आय वर्ग में हैं) + 25 घर बेहतर चूल्हों (50% घर जो वर्तमान में बायोमास का उपयोग करते हैं)

इसमें ग्राम पंचायत में रसोई गैस (एलपीजी) का निरंतर उपयोग भी सम्मिलित है

परिदृश्य 1: अतिरिक्त 90 घर बायोगैस संयंत्रों का उपयोग करते हैं (कुल 50% घर) + 290 घर रसोई गैस (एलपीजी) का उपयोग करते हैं

परिदृश्य 2: अतिरिक्त 149 घर सौर ऊर्जा संचालित इंडक्शन कुकस्टोव का उपयोग करते हैं (अतिरिक्त 25% घर शीर्ष आय वर्ग में हैं) + 201 घर रसोई गैस (एलपीजी) का उपयोग करते हैं

परिदृश्य 3: अतिरिक्त 149 घर सौर ऊर्जा संचालित इंडक्शन कुकस्टोव (अतिरिक्त 25% घर शीर्ष आय वर्ग में हैं) + अतिरिक्त 25 घर बेहतर चूल्हे का उपयोग करते हैं (शेष 50% घर जो वर्तमान में बायोमास का उपयोग करते हैं)

इसमें ग्राम पंचायत में रसोई गैस (एलपीजी) का निरंतर उपयोग भी सम्मिलित है

परिदृश्य 1: अतिरिक्त 45 घर बायोगैस संयंत्रों का उपयोग करते हैं (100% घरों में मवेशी हैं) + 245 घर रसोई गैस (एलपीजी) का उपयोग करते हैं

परिदृश्य 2: अतिरिक्त 74 घर सौर ऊर्जा संचालित इंडक्शन कुकस्टोव (100% घर शीर्ष आय वर्ग में हैं) + 127 घर रसोई गैस (एलपीजी) का उपयोग करते हैं

इसमें ग्राम पंचायत में रसोई गैस (एलपीजी) का निरंतर उपयोग भी सम्मिलित है

लक्ष्य

अनुमानित लागत

परिदृश्य 1: बायोगैस संयंत्रों के लिए
₹22,50,000
परिदृश्य 2: सोलर इंडक्शन कुकस्टोव के लिए ₹33,75,000
परिदृश्य 3: ₹34,00,000
औसत लागत: ₹30,25,000

परिदृश्य 1: बायोगैस संयंत्रों के लिए
₹45,00,000
परिदृश्य 2: सोलर इंडक्शन कुकस्टोव के लिए ₹67,05,000
परिदृश्य 3: ₹67,80,000
औसत लागत: ₹59,95,000

परिदृश्य 1: बायोगैस संयंत्रों के लिए
₹22,50,000
परिदृश्य 2: सोलर इंडक्शन कुकस्टोव के लिए ₹33,30,000
औसत लागत: ₹27,90,000



ऊर्जा कुशल फिक्स्चर

चरण

I

2024-25 से 2026-27

1. सभी सरकारी भवनों में सभी लाइट फिक्स्चर और पंखों को ऊर्जा कुशल फिक्स्चर से बदला जाना
2. घरों में पारंपरिक पंखों के बदले ऊर्जा कुशल पंखे लगाना
3. ग्रामवासियों को अन्य घरेलू उपकरणों को ऊर्जा कुशल उपकरणों (बीईई द्वारा 4-5 स्टार रेटिंग) के साथ बदलने के लिए भी प्रोत्साहित किया जाना

II

2027-28 से 2029-30

1. घरों में पारंपरिक पंखों के बदले ऊर्जा कुशल पंखे लगाना
2. ग्रामवासियों को अन्य घरेलू उपकरणों को ऊर्जा कुशल उपकरणों (बीईई द्वारा 4-5 स्टार रेटिंग) के साथ बदलने के लिए भी प्रोत्साहित किया जाना

III

2030-31 से 2034-35

घरों में पारंपरिक पंखों को ऊर्जा कुशल पंखों से बदले जाने के कार्य को बढ़ाना

अनुमोदित जलवायु स्मार्ट गतिविधियाँ

1. सभी सरकारी भवनों में 100% मौजूदा फिक्स्चर को एलईडी ट्यूब लाइट और ऊर्जा कुशल पंखों से बदला जाना
2. निम्न श्रेणियों के अंतर्गत मौजूदा पंखों को ऊर्जा कुशल पंखों से बदला जाना:
 - » 500 वर्ग फुट से कम क्षेत्रफल में बने घर (104 घर): ~208 ऊर्जा कुशल पंखे
 - » 500 से 1,000 वर्ग फुट क्षेत्रफल में बने घर (117 घर): ~351 ऊर्जा कुशल पंखे

- निम्न श्रेणियों के अंतर्गत मौजूदा पंखों को ऊर्जा कुशल पंखों से बदला जाना:
- a. 1,000 से 2,000 वर्ग फुट क्षेत्रफल में बने घर (72 घर): ~288 पंखे
 - b. 2,000 से 4,000 वर्ग फुट क्षेत्रफल में बने घर (71 घर): ~426 पंखे

निम्न श्रेणियों के अंतर्गत घरों में मौजूदा पारंपरिक पंखों को ऊर्जा कुशल पंखों से बदला जाना:
4,000 वर्ग फुट क्षेत्रफल से बड़ी भूमि में बने घर (61 घर): ~488 पंखे

लाक्ष्य⁵⁸

~559 ऊर्जा कुशल पंखों की लागत:
₹6,20,490
कुल लागत: ₹6,20,490

~714 ऊर्जा कुशल पंखों की लागत:
₹7,92,540
कुल लागत: ₹7,92,540

~488 ऊर्जा कुशल पंखों की लागत:
₹5,41,680
कुल लागत: ₹5,41,680

अनुमानित लागत

58 ग्राम पंचायत के प्रधान से प्राप्त जानकारी के अनुसार



सौर स्ट्रीट लाइटें

चरण	I 2024-25 से 2026-27	II 2027-28 से 2029-30	III 2030-31 से 2034-35
अनुमोदित जलवायु स्मार्ट गतिविधियाँ	<ol style="list-style-type: none">सड़कों, सार्वजनिक स्थानों और अन्य प्रमुख स्थानों में सोलर एलईडी स्ट्रीट-लाइटें स्थापित करनासड़कों, फूटपार्थों के किनारे, सरकारी भवनों, सार्वजनिक स्थानों, जल निकायों के आसपास और अन्य मुख्य स्थानों में हाई-मास्ट सोलर एलईडी स्ट्रीटलाइट स्थापित करना	<ol style="list-style-type: none">अतिरिक्त सोलर एलईडी स्ट्रीटलाइट स्थापित करनामौजूदा स्ट्रीट लाइटों का रखरखाव और उनकी मरम्मत	आवश्यकता के अनुसार स्ट्रीट लाइटों का नियमित रखरखाव एवं अधिक स्ट्रीट लाइटों को जोड़ना
लक्ष्य	<ol style="list-style-type: none">35 सोलर एलईडी स्ट्रीट लाइटें लगाना5 हाई-मास्ट सोलर एलईडी स्ट्रीट लगाना	40 सोलर एलईडी स्ट्रीट लाइटें लगाना	आवश्यकता के अनुसार स्ट्रीट लाइटों का नियमित रखरखाव एवं अधिक स्ट्रीट लाइटों को जोड़ना
अनुमानित लागत	<ol style="list-style-type: none">35 सोलर एलईडी स्ट्रीट लाइटें लगाना: ₹3,50,0005 हाई-मास्ट सोलर एलईडी (LED) स्ट्रीट लाइट: ₹2,50,000 कुल लागत: ₹7,00,000	40 सोलर एलईडी स्ट्रीट लाइटें लगाना: ₹4,00,000 कुल लागत: ₹4,00,000	आवश्यकता के अनुसार

वर्तमान में संचालित योजनाएं और कार्यक्रम

- उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा नीति, 2022⁵⁹ प्रदान करती है:
 - a) आवासीय क्षेत्र में सोलर लगाए जाने पर सब्सिडी/अनुदान: नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) द्वारा केंद्रीय वित्तीय सहायता के अतिरिक्त प्रति उपभोक्ता ₹15,000/किलोवाट से अधिकतम सीमा ₹30,000/- तक
 - b) संयंत्र की लागत का 3% परामर्श शुल्क के साथ स्वयं या यूपीनेडा के परामर्श से रेस्को⁶⁰ मोड में संस्थानों में सौर स्थापना का प्रावधान
- ग्रिड कनेक्टेड सोलर रूफटॉप कार्यक्रम के माध्यम से नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) द्वारा केंद्रीय वित्तीय सहायता
 - a) 3 किलोवाट क्षमता तक के रूफटॉप सिस्टम के लिए 40 प्रतिशत तक केंद्रीय वित्तीय सहायता (सीएफए) दी जाएगी। 3 किलोवाट से अधिक और 10 किलोवाट तक की क्षमता वाले रूफटॉप सिस्टम के लिए, 40 प्रतिशत की केंद्रीय वित्तीय सहायता (सीएफए) केवल पहले 3 किलोवाट क्षमता के लिए लागू होगा और 3 किलोवाट से ऊपर (10 किलोवाट तक) की क्षमता के लिए केंद्रीय वित्तीय सहायता (सीएफए) 20 प्रतिशत तक सीमित होगी।
 - b) ग्रुप हाउसिंग सोसायटी/आवासीय कल्याण संघों (जीएचएस/आरडब्ल्यूए) के लिए सामान्य सुविधाओं को बिजली की आपूर्ति के लिए रूफटॉप संयंत्र की स्थापना के लिए केंद्रीय वित्तीय सहायता (सीएफए) सीएफए 20 प्रतिशत तक सीमित होगी। जीएचएस/आरडब्ल्यूए हेतु सीएफए के लिए पात्र क्षमता 10 किलोवाट प्रति घर तक सीमित होगी और कुल 500 किलोवाट से अधिक नहीं होगी
 - c) गरीब परिवारों के लिए सोलर रूफटॉप की स्थापना पीएम-सूर्य घर की मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत की जा सकती है⁶¹। यह योजना 2 किलोवाट सिस्टम के लिए सिस्टम लागत का 60% केंद्रीय वित्तीय सहायता (सीएफए) और 2 से 3 किलोवाट क्षमता के सिस्टम के लिए 40% अतिरिक्त सिस्टम लागत प्रदान करती है। केंद्रीय वित्तीय सहायता (सीएफए) को 3 किलोवाट पर सीमित किया जाएगा। मौजूदा बेंचमार्क कीमतों पर, अर्थात 1 किलोवाट सिस्टम के लिए 30,000 रुपये, 2 किलोवाट सिस्टम के लिए 60,000 रुपये और 3 किलोवाट सिस्टम या उससे अधिक के लिए 78,000 रुपये की सब्सिडी होगी।
- प्रधानमंत्री कुसुम योजना के अनुसार:
 - a) पीएम कुसुम योजना का घटक ए, कृषि भूमि पर 500 किलोवाट और बड़े सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना को बढ़ावा देता है।
 - b) पीएम कुसुम योजना के घटक बी और सी के अंतर्गत, केंद्र और राज्य सरकार प्रत्येक पंप के आधार पर 30 प्रतिशत की सब्सिडी प्रदान करेगी। किसानों को केवल 10% की अग्रिम लागत का भुगतान करना होगा और बाकी का भुगतान किशतों में बैंक को किया जा सकता है।
- उ०प्र० सरकार पीएम कुसुम योजना में योगदान:
 - a) घटक सी-1 के अंतर्गत: किसानों को 60% सब्सिडी (अनुसूचित जनजाति, वनटांगिया और मुसहर जाति के किसानों को 70% सब्सिडी) के साथ स्थापित ऑन-ग्रिड पंपों का सोलराइजेशन; यह एमएनआरई की पीएम कुसुम योजना के माध्यम से केंद्र सरकार से मिलने वाली सब्सिडी के अतिरिक्त है
 - b) घटक सी-2 के अंतर्गत: एमएनआरई की पीएम कुसुम योजना के माध्यम से केंद्र सरकार द्वारा प्रदान की जा रही सब्सिडी के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा अलग-अलग कृषि फीडरों का सोलराइजेशन ₹50 लाख प्रति मेगावाट की व्यवहार्यता गैप फंडिंग (वीजीएफ) प्रदान की जाती है
- ग्राम पंचायतों में एलईडी स्ट्रीट लाइटिंग परियोजनाएं⁶²:
 - a) ईईएसएल अपनी स्वयं की लागत पर पारंपरिक स्ट्रीटलाइट्स को एलईडी स्ट्रीटलाइट्स से बदल देते हैं और 7 साल तक एलईडी बल्बों का मुफ्त बदलने और रखरखाव की सुविधा प्रदान करते हैं।
 - b) अटल ज्योति योजना और एमएनआरई सोलर स्ट्रीटलाइट कार्यक्रम में 12 वॉट एलईडी और 3 दिन के बैटरी बैकअप के साथ सोलर स्ट्रीट लाइट की स्थापना के लिए सब्सिडी प्रदान की जाती है।

59 https://invest.up.gov.in/wp-content/uploads/2023/02/Uttar_Pradesh_Solar_Energy_Policy_2022.pdf

60 तृतीय पक्ष (रेस्को मोड) (नवीकरणीय ऊर्जा आपूर्ति कंपनी)

61 <https://pmsuryaghar.gov.in/>

62 ईईएसएल द्वारा स्ट्रीट लाइटिंग राष्ट्रीय कार्यक्रम

- ग्राम उजाला योजना⁶³:
 - a. एलईडी बल्ब ₹10 प्रति बल्ब की किफायती कीमत पर उपलब्ध हैं
 - b. ग्रामीण ग्राहकों को काम करने वाले इंकंडेसेंट बल्बों के बदले 7-वाट और 12-वाट के एलईडी बल्ब तीन साल की वारंटी के साथ दिए जाएंगे
- कोल्ड स्टोरेज स्थापना के लिए सब्सिडी
 - a) परियोजना लागत का 35 प्रतिशत क्रेडिट लिंक्ड बैंक एंडेड सब्सिडी के रूप में सरकारी सहायता 2 योजनाओं के माध्यम से उपलब्ध है
 - » कृषि सहयोग और किसान कल्याण विभाग (डीएसी एंड एफडब्ल्यू) एकीकृत बागवानी विकास मिशन (एमआईडीएच) लागू कर रहा है
 - » राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड (एनएचबी) 'बागवानी उत्पादों के लिए कोल्ड स्टोरेज और भंडारण के निर्माण/विस्तार/आधुनिकीकरण के लिए पूंजी निवेश सब्सिडी' नाम से योजना लागू कर रहा है
 - b) प्रधानमंत्री किसान सम्पदा योजना के अंतर्गत, एकीकृत कोल्ड चेन, मूल्य संवर्धन और संरक्षण बुनियादी ढांचे पर घटक, बुनियादी ढांचे की सुविधा के निर्माण के लिए 35 प्रतिशत की दर से अनुदान सहायता के रूप में वित्तीय सहायता प्राप्त की जा सकती है। गैर-बागवानी, बागवानी, डेयरी, मांस और पोल्ट्री के वितरण की सुविधा के लिए संपूर्ण आपूर्ति श्रृंखला⁶⁴। यह योजना खेत स्तर पर कोल्ड चेन बुनियादी ढांचे के निर्माण पर विशेष जोर देने के साथ परियोजना नियोजन में लचीलेपन की अनुमति देती है।
- ईईएसएल ने कार्बन वित्तपोषण का लाभ उठाकर सौर ऊर्जा आधारित इंडक्शन कुकिंग समाधानों के लिए बाजार-आधारित हस्तक्षेप शुरू करने की योजना बनाई है
- 15^{वें} वित्त आयोग और स्वच्छ भारत मिशन - ग्रामीण (एसबीएम-जी) के अंतर्गत गोबरधन (गैल्वनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो-एग्रो रिसोर्सेज धन) योजना जैसी योजनाओं के माध्यम से धन का लाभ उठाना।
 - a) एसबीएम-जी के अंतर्गत गोबरधन योजना क्लस्टर/सामुदायिक स्तर के बायोगैस संयंत्रों की स्थापना के लिए 2020-21 से 2024-25 की अवधि के लिए प्रति जिले ₹50.00 लाख तक की वित्तीय सहायता प्रदान करती है⁶⁵।
- यूपी जैव-ऊर्जा नीति 2022⁶⁶ सरकार से उपलब्ध प्रोत्साहनों के अतिरिक्त गोबरधन योजना के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा सीबीजी संयंत्र स्थापित करने के लिए प्रोत्साहन प्रदान करती है:
 - a) कंप्रेसड बायोगैस (सीबीजी) उत्पादन संयंत्र स्थापित करने पर ₹75 लाख/टन से लेकर अधिकतम ₹20 करोड़ तक का प्रोत्साहन।
 - b) विकास प्राधिकरणों द्वारा लगाए गए विकास शुल्क पर छूट
 - c) 100% स्टाम्प शुल्क और विद्युत शुल्क से छूट।
- एमएनआरई ने राष्ट्रीय जैव-ऊर्जा कार्यक्रम के अंतर्गत अपशिष्ट से ऊर्जा (डब्ल्यूटीई) कार्यक्रम लागू किया:
 - a) कार्यक्रम शहरी, औद्योगिक और कृषि अपशिष्ट से बायोगैस उत्पादन के लिए संयंत्रों की स्थापना का समर्थन करता है।
 - b) बायोगैस उत्पादन के लिए उपलब्ध वित्तीय सहायता ₹0.25 करोड़ प्रति 12,000 घन मीटर/दिन है।⁶⁷
- पीएम-सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना एक केंद्रीय योजना है जिसका उद्देश्य भारत में सोलर रूफटॉप की स्थापना करने वाले परिवारों को निःशुल्क बिजली प्रदान करना है⁶⁸।

63 ग्राम उजाला योजना ग्रामीण क्षेत्रों में एक करोड़ एलईडी बल्ब का वितरण करती है (फरवरी 2023), पीआईबी

64 यानी कि कृषि स्तर पर प्री-कूलिंग, वज़न, छंटार्ड, ग्रेडिंग, वैक्सिंग सुविधाएं, बहु उत्पाद/बहु तापमान कोल्ड स्टोरेज, सीए (CA) भंडारण, पैकिंग सुविधा, आईक्यूएफ (IQF), वितरण केंद्र और रीफर वैन में ब्लास्ट फ्रीजिंग, मोबाइल कूलिंग इकाइयां

65 <https://pib.gov.in/PressReleaseIframePage.aspx?PRID=1883926>

66 <https://invest.up.gov.in/bio-energy-enterprises-promotion-programme-2022/>

67 <https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1896067>

68 <https://pmsuryaghar.gov.in/>

वित्त के अन्य स्रोत

- सोलर रूफटॉप, सोलर पंप खरीदने के लिए ऋण हेतु स्थानीय बैंकों, माइक्रोफाइनेंस संस्थानों और सहकारी बैंकों आदि के साथ गठजोड़ का पता लगाना
- कृषि-फोटोवोल्टिक्स के लिए सौर डेवलपर्स के साथ साझेदारी का पता लगाना
- कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी (सीएसआर) फंड का उपयोग किया जा सकता है:
 - » सूक्ष्म-वित्त संस्थानों द्वारा दिए गए रिवोल्विंग निधि मॉडल के माध्यम से योजना/कार्यक्रम सब्सिडी के अतिरिक्त सौर छतों/कृषि-फोटोवोल्टिक्स/सौर पंपों की स्थापना के लिए पूंजीगत लागत को कवर करना
 - » ग्राम पंचायत में अपनाई गई विभिन्न स्वच्छ प्रौद्योगिकियों के लिए ग्राम समुदाय के सदस्यों/एसएचजी सदस्यों को 'संचालन और रखरखाव' पर प्रशिक्षण प्रदान करना।
 - » सोलर रूफटॉप सौर ऊर्जा (यूपी सौर नीति, 2022) और सौर सिंचाई (पीएम-कुसुम, यूपी सौर सिंचाई योजना) को बढ़ावा देने वाली मौजूदा सरकारी योजनाओं/कार्यक्रमों पर जागरूकता अभियान आयोजित करना

प्रमुख विभाग

- उत्तर प्रदेश नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी (UPNEDA)
- उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (UPPCL)
- पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड
- पंचायती राज विभाग
- ग्राम्य विकास विभाग
- कृषि विभाग
- शिक्षा विभाग

6

सतत एवं उन्नत गतिशीलता



संदर्भ एवं मुद्दे

- क्षेत्र सर्वेक्षण के दौरान, बगही में कुल 414 आंतरिक दहन इंजन (आईसीई) वाहन है; 300 - दोपहिया वाहन, 60 - गाड़ियां, 50 ट्रैक्टर और 4 ऑटो⁶⁹ कृषि उपज/माल के परिवहन के लिए किसान छोटा हाथी (मिनी ट्रक) और 25 ट्रैक्टरों का उपयोग करते हैं। इसके अतिरिक्त, ग्राम पंचायत में 1 इलेक्ट्रिक रिक्शा है।
- आईसीई वाहनों द्वारा प्रति वर्ष अनुमानित कुल ईंधन खपत : ~245 किलो लीटर डीज़ल और ~74 किलो लीटर पेट्रोल। कुल मिलकर, परिवहन सेक्टर द्वारा ईंधन की खपत से 848 tCO₂ से अधिक का उत्सर्जन हुआ है⁷⁰
- ग्राम पंचायत के अंदर स्थित 1200 मीटर लंबी सड़क टूटी हुई है जिससे बाढ़ और मानसून के मौसम में जलभराव हो जाता है⁷¹ ग्राम पंचायत तक जाने वाली सड़क जो लगभग 1200 मीटर लंबी है, उसे ठीक से तैयार करने की आवश्यकता है।

इस कारण से, परिवहन बुनियादी ढांचे में सुधार और ई-मोबिलिटी समाधानों में बदलाव की पहल की महत्वपूर्ण संभावना है।

मौजूदा सड़क बुनियादी ढांचे को बढ़ाना

चरण	I 2024-25 से 2026-27	II 2027-28 से 2029-30	III 2030-31 से 2034-35
अनुमोदित जलवायु स्मार्ट गतिविधियाँ	ग्राम पंचायत के अंदर सड़कों का उन्नयन	आवश्यकता के अनुसार सड़क बुनियादी ढांचे का रखरखाव और मरम्मत करना	आवश्यकता के अनुसार सड़क बुनियादी ढांचे का रखरखाव और मरम्मत जारी रखना
लक्ष्य	~1200 मीटर सड़क की ऊंचाई 3 फीट करना ⁷²	सड़कों का नियमित रखरखाव/मरम्मत	सड़कों का नियमित रखरखाव/मरम्मत

69 क्षेत्र सर्वेक्षण के दौरान प्राप्त जानकारी के अनुसार

70 क्षेत्र सर्वेक्षण के दौरान प्राप्त जानकारी के अनुसार

71 एचआरवीसीए के अनुसार

72 स्थानों के विवरण जानने के लिए एचआरवीसीए देखें

अनुमानित लागत

सड़क उन्नयन: ₹50,00,000
कुल लागत: ₹50,00,000

आवश्यकता के अनुसार

आवश्यकता के अनुसार



मध्यवर्ती सार्वजनिक परिवहन को बढ़ाना

चरण

I

2024-25 से 2026-27

II

2027-28 से 2029-30

III

2030-31 से 2034-35

अनुमोदित जलवायु स्मार्ट गतिविधियाँ

ग्राम पंचायत में ऑटोरिक्शा को ई-ऑटो-रिक्शा से बदलना; पंचायत के प्रत्येक हिस्से में पहुँच बनाने हेतु अधिक ई-रिक्शा की खरीदी करना

पंचायत के प्रत्येक हिस्से में पहुँच बनाने हेतु अधिक ई-रिक्शा की खरीदी करना

मांग के आधार पर अतिरिक्त ई-रिक्शा जोड़े जा सकते हैं

लक्ष्य

4 सीएनजी ऑटो रिक्शा को ई-ऑटो रिक्शा से बदलना

अतिरिक्त 10 ई-रिक्शा जोड़ना

आवश्यकता के अनुसार

अनुमानित लागत

1 ई-ऑटोरिक्शा की लागत⁷³: ~₹3,00,000
उपलब्ध सब्सिडी: प्रति वाहन ₹12,000 तक
4 ई-ऑटोरिक्शा की प्रभावी लागत: ~₹11,52,000
ग्रीन हाउस गैस (जीएचजी) उत्सर्जन में कमी⁷⁴: ~2 tCO₂e

10 ई-रिक्शा की लागत: ₹4,00,000
प्रभावी लागत: ₹4,00,000

आवश्यकता के अनुसार

73 ई-ऑटोरिक्शा की लागत अन्य विशेषताओं सहित कॉन्फिगरेशन, बैटरी के प्रकार, आदी के आधार पर ₹1,50,000 से ₹4,00,000 के प्राइस बैंड या इससे अधिक होती है। परोपकार और अन्य फंडिंग एजेंसियों से प्राप्त संभावित सब्सिडी/अनुदान/प्रारंभिक पूंजी/व्यवहार्यता अंतर फंडिंग को ध्यान में रखकर ई-ऑटोरिक्शा की कीमत प्राइस बैंड के मध्य में माना जा रहा है। ई-रिक्शा की लागत अन्य विशेषताओं सहित कॉन्फिगरेशन, बैटरी के प्रकार, आदी के आधार पर ₹50,000 से ₹1,50,000 के प्राइस बैंड या इससे अधिक होती है। परोपकार और अन्य फंडिंग एजेंसियों से प्राप्त संभावित सब्सिडी/अनुदान/प्रारंभिक पूंजी/व्यवहार्यता अंतर फंडिंग को ध्यान में रखकर ई-ऑटोरिक्शा की कीमत प्राइस बैंड के निचले स्तर पर माना जा रहा है।

74 प्रति ऑटो के माध्यम से अनुमानित 0.6 tCO₂e ग्रीन हाउस गैस (जीएचजी) उत्सर्जन में कमी होगी, यह आंकड़ा यात्रा की गई औसत दूरी और ईंधन की खपत पर आधारित है (समुदाय से प्राप्त आदानों के आधार पर)। डीज़ल ऑटोरिक्शा के स्थान पर ई-ऑटोरिक्शा आने से इस उत्सर्जन में गिरावट आएगी और इस तरह ग्राम पंचायत कार्बन न्यूट्रल या यहाँ तक कि कार्बन नेगेटिव भी बन सकता है।



ई-वाहन और ई ट्रैक्टर⁷⁵

चरण

I

2024-25 से 2026-27

II

2027-28 से 2029-30

III

2030-31 से 2034-35

अनुमोदित जलवायु स्मार्ट गतिविधियाँ

- डीजल ट्रैक्टरों और माल परिवहन वाहनों के स्थान पर इलेक्ट्रिक विकल्पों को बढ़ावा देना
आईसीई वाहनों की तुलना में ई-वाहनों के दीर्घकालिक लाभों के प्रति उपयोगकर्ता समूहों (किसानों/लॉजिस्टिक मालिकों/उद्यमियों) को संवेदनशील बनाना
- ई-माल वाहकों और ई ट्रैक्टरों को किराए पर देने के लिए एक सुविधा की स्थापना करना (अधिक जानकारी 'आजीविका और हरित उद्यमिता बढ़ाना' अनुभाग में विस्तार से बताया गया है)

आईसीई वाहनों की तुलना में ई-वाहनों के दीर्घकालिक लाभों के साथ-साथ उनके लाभ के लिए उपलब्ध योजनाओं और कार्यक्रमों के प्रति विभिन्न उपयोगकर्ता समूहों को जागरूक करना जारी रखना।

आईसीई वाहनों की तुलना में ई-वाहनों के दीर्घकालिक लाभों के साथ-साथ उनके लाभ के लिए उपलब्ध योजनाओं और कार्यक्रमों के प्रति विभिन्न उपयोगकर्ता समूहों को जागरूक करना जारी रखना।

लक्ष्य

कुल 5 ई-ट्रैक्टर और 5 ई-माल वाहकों की खरीद करना

आवश्यकता पड़ने पर अतिरिक्त ई-वाहन और ई-ट्रैक्टर की खरीद करना; नियमित जागरूकता कार्यक्रम और/या पहचानी गई आवश्यकताओं के आधार पर

आवश्यकता पड़ने पर अतिरिक्त ई-वाहन और ई-ट्रैक्टर की खरीद करना; नियमित जागरूकता कार्यक्रम और/या पहचानी गई आवश्यकताओं के आधार पर

अनुमानित लागत

- 5 ई-ट्रैक्टर: ₹30,00,000
 - 5 ई-माल वाहक: ₹25,00,000 – ₹50,00,000
- कुल लागत: ₹55,00,000–
₹80,00,000

आवश्यकता के अनुसार

आवश्यकता के अनुसार

75 इस ओर अधिक जानकारी 'आजीविका और हरित उद्यमिता बढ़ाना' अनुभाग में विस्तार से बताया गया है (संस्तुति 3)

वर्तमान योजनाएं और कार्यक्रम

- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और मनरेगा के समर्थन से सड़क की अवसंरचना की मरम्मत और वृद्धि की जा सकती है
- उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माण और गतिशीलता नीति, 2022 के अनुसार
 - » खरीदारों को 100 प्रतिशत पंजीकरण शुल्क और रोड टैक्स में छूट (पॉलिसी अवधि के दौरान)
 - » 1 वर्ष की अवधि में डीलरों के माध्यम से खरीदारी को शुरूआती प्रोत्साहन के रूप में (एक बार) खरीद सब्सिडी - ई-माल वाहक: प्रति वाहन ₹1,00,000 तक पूर्व-फैक्ट्री लागत का 10 प्रतिशत; दो-पहिया इलेक्ट्रिक वाहन: प्रति वाहन ₹5,000 तक पूर्व-फैक्ट्री लागत का 15 प्रतिशत; 3-वीलर (तीन पहिया) इलेक्ट्रिक वाहन: प्रति वाहन ₹12,000 तक पूर्व-फैक्ट्री लागत का 15 प्रतिशत⁷⁶
- भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों को तेज़ी से अपनाने और विनिर्माण चरण II (फेम-इंडिया चरण योजना II) योजना के तहत ई-रिक्शा के लिए सब्सिडी का भी लाभ उठाया जा सकता है

वित्त के अन्य स्रोत

- ग्राम पंचायत के संसाधन एन्वेलप और स्वयं के राजस्व के स्रोत (ओएसआर)
- सीएसआर सहायता के साथ बैंकों और सूक्ष्म-वित्तीय संस्थानों से ऋण

प्रमुख विभाग

- अवसंरचना एवं औद्योगिक विकास विभाग
- परिवहन विभाग
- पंचायती राज विभाग
- ग्राम्य विकास विभाग
- उत्तर प्रदेश नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी (UPNEDA)

⁷⁶ सरकारी सब्सिडी में समय-समय पर सब्सिडी की मात्रा और लाभार्थियों की संख्या दोनों के आधार पर परिवर्तन आते हैं। इसलिए, इस कार्ययोजना के किसी भी अनुभाग में उल्लिखित सब्सिडी केवल सांकेतिक है, और वास्तविक खरीदारी के समय इसकी पुष्टि करने की आवश्यकता है।

7

आजीविका और हरित उद्यमशीलता को बढ़ाना



कृषि अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार है और लगभग 60% से अधिक परिवार इससे जुड़े हुए हैं। यह क्षेत्र विशेष रूप से बदलती जलवायु और वर्तमान अस्थाई उत्पादन गतिविधियों के कारण आजीविका की असुरक्षाओं से भरा हुआ है। इसके परिणामस्वरूप, आबादी का एक बड़ा भाग अनिश्चितता में घिरा हुआ है। ग्राम पंचायत में सेवा क्षेत्र, पशुपालन, दिहाड़ी मजदूरी और स्थानीय व्यवसाय आजीविका के अन्य स्रोत हैं।

वर्तमान में, उल्लिखित गतिविधियों के अतिरिक्त, ग्राम पंचायत के भीतर रोज़गार के सीमित अवसर हैं। इस कार्ययोजना में उल्लिखित गतिविधियां आने वाले वर्षों में नए व्यवसायों और नौकरी के अवसरों के लिए दिशा प्रदान करती हैं, जिनके विवरण निम्न तालिका में प्रस्तुत है:



सतत उत्पादों के निर्माण में पूर्व से गठित स्वयं सहायता समूहों को सम्मिलित करना

गतिविधि

1. प्लास्टिक वैकल्पिक सामग्रियों से उत्पादों के विनिर्माण के लिए महिलाओं और स्वयं सहायता समूहों को सम्मिलित करना (बैग, गृह सजावट, कटलरी, स्टेशनरी आइटम, फर्नीचर, आदि)
2. क्षमता निर्माण:
 - a. उत्पाद श्रेणी का विविधीकरण
 - b. ग्राम पंचायत के भीतर और बाहर उत्पादों का विपणन /बिक्री

प्रारंभिक सहभागिता में:

- a. 120 महिलाएं
- b. 9 स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) (वर्तमान में सिलाई, शौचालय प्रबंधन और कृषि गतिविधियों में शामिल)
- c. स्थानीय स्तर पर उपलब्ध कच्चे माल का उपयोग करना

ग्राम पंचायत और आस-पास के गांवों से दीर्घकालिक जुड़ाव

लक्ष्य

- a. अतिरिक्त 200 महिलाएं
- b. अतिरिक्त स्वयं सहायता समूह (एसएचजी), सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) और व्यक्तिगत उद्यमी



जैविक कचरे को खाद बनाकर उसे उर्वरक के रूप में बेचना

गतिविधि

1. खाद के उत्पादन और बिक्री के लिए पंचायत, समुदाय के सदस्यों और किसान समूहों के बीच साझेदारी मॉडल
2. समुदाय के सदस्यों और किसान समूहों का क्षमता विकास
 - a. खाद और वर्मी-खाद बनाने की तकनीक
 - b. ग्राम पंचायत के भीतर और बाहर खाद का विपणन और बिक्री

तत्काल लक्ष्य:

घरेलू कचरे (जैविक) से उत्पन्न खाद/वर्मी-खाद : प्रति दिन 545 किलो; प्रति माह 16,350 किलो
(वर्तमान अपशिष्ट उत्पादन के अनुसार)

लक्ष्य

दीर्घकालिक लक्ष्य:

जैविक अपशिष्ट उत्पादन के अनुसार खाद/वर्मी-खाद उत्पादन को बढ़ाना (जनसंख्या वृद्धि के आधार पर)



ई-माल वाहक और ई-ट्रैक्टर किराए पर लेने की सुविधा

गतिविधि

1. ई-माल वाहक और ई-ट्रैक्टर को वाणिज्यिक किराए पर लेने की सुविधा (किराये के आधार पर) यूपी ईवी नीति 2022 और फेम-इंडिया योजना चरण- II के अंतर्गत प्रोत्साहन के माध्यम से हरित उद्यमिता के अवसर प्रस्तुत करती है।
2. ई-ट्रैक्टर और ई-माल वाहक के उपयोग के प्रति उपयोगकर्ता समूहों (किसानों/लॉजिस्टिक्स मालिकों) को संवेदनशील बनाना

तत्काल लक्ष्य:

1. 2 या 3 ई-ट्रैक्टर (अनुमानित लागत: प्रति ई-ट्रैक्टर 6 लाख रुपए)
2. 2 या 3 ईवी मिनी माल परिवहन ट्रक (मिनी माल ईवी परिवहन ट्रक की अनुमानित लागत: लगभग ₹9.2 लाख)

लक्ष्य

मध्यावधि लक्ष्य:

2/3 ई-ट्रैक्टर, 2/3 ईवी मिनी माल परिवहन ट्रकों की अतिरिक्त खरीद



सौर ऊर्जा संचालित कोल्ड स्टोरेज के उपयोग के माध्यम से आजीविका में सुधार

गतिविधि

1. फसल कटाई के बाद होने वाले नुकसान को कम करने के लिए छोटे और मध्यम किसानों (ग्राम पंचायत और आसपास के गांवों के भीतर) को सौर ऊर्जा संचालित कोल्ड स्टोरेज में जगह किराए पर देकर उद्यमिता के अवसर
2. फलों, सब्जियों, दूध और दूध उत्पादों के भंडारण के लिए उद्यमियों, किसान समूहों, सहकारी समितियों (जैसे पारस) और अन्य संस्थागत खरीदारों के बीच बिजनेस/व्यवसाय मॉडल/गठजोड़

लक्ष्य

5 से 10 मीट्रिक टन क्षमता वाले कोल्ड स्टोरेज की स्थापना

(इसकी क्षमता सब्जियों और फलों/और/या/दूध उत्पादों के उत्पादन के आधार पर निर्धारित की गई है)

लागत: ₹8 से ₹15 लाख



जल कृषि के माध्यम से आजीविका में सुधार

गतिविधि

1. सतत जल कृषि प्रथाओं का प्रचार⁷⁷(जल कृषि से आशय है मछलियों और अन्य जल पौधों का प्रजनन कर, उन्हें पालना और उन्हें पकड़कर/काटकर, उनकी बिक्री करना।)
2. सतत जल कृषि प्रथाओं को अपनाने हेतु किसानों/स्वयं सहायता समूहों/एफ़पीओ का क्षमता निर्माण करना

तत्काल लक्ष्य:

सतत जल कृषि प्रथाओं का प्रचार करना

दीर्घकालिक लक्ष्य:

मत्स्योद्योग सहकारियों, स्वयं सहायता समूहों, राज्य मत्स्य विकास बोर्ड, मछली किसान उत्पादक संगठन आदि के माध्यम से बाज़ार संपर्क स्थापित करना।

लक्ष्य



प्राकृतिक औषधियों और पूरकों के उत्पादन और बिक्री के लिए आरोग्य वन

गतिविधि

1. विकास के माध्यम से समुदायों के लिए आजीविका सृजन और प्राकृतिक औषधियों एवं अनुपूरकों के उत्पादन के लिए आरोग्य वन का रखरखाव
2. केंद्रीय औषधीय एवं सुगंधित पौधा संस्थान, लखनऊ के साथ कौशल विकास एवं प्रशिक्षण हेतु साझेदारी,

लक्ष्य

लगभग 0.1 हेक्टेयर भूमि को आरोग्य वन के रूप में स्थापित किया जाना



नर्सरी की स्थापना

गतिविधि

नर्सरी स्थापना के माध्यम से स्वयं सहायता समूहों के लिए आजीविका के अवसर सृजित करना

लक्ष्य

स्वयं सहायता समूहों के सहयोग से 1 नर्सरी की स्थापना

⁷⁷ प्रथाएं जैसे उत्पादकता को बढ़ाना और इनपुट लागत में वृद्धि किए बिना मछलियों की उत्पादकता बढ़ाने के लिए प्लवक (प्लैकटन) की उपलब्धता बनाए रखना जिसके लिए प्रभावी सूक्ष्म जीवों और प्राकृतिक खाद्य का उपयोग करना



विभिन्न नवीकरणीय ऊर्जा प्रतिष्ठानों (सोलर और बायो-गैस) का संचालन एवं रखरखाव

गतिविधि

1. नवीकरणीय ऊर्जा रखरखाव पर कौशल विकास के लिए समुदाय के सदस्यों विशेष रूप से स्नातकों, युवा समूहों और किसान समूहों का प्रशिक्षण और क्षमता विकास।
2. ग्राम पंचायत के भीतर सोलर और बायो-गैस स्थापना तथा संचालन एवं रखरखाव व्यवसायों की स्थापना में सीएसआर, केंद्र और राज्य सरकार की अपस्किनिंग योजनाओं से सहायता

वित्त पोषण एवं कौशल विकास

- हरित उद्यमिता और आजीविका का समर्थन करने के लिए बैंकिंग और वित्तीय संस्थानों को संवेदनशील बनाना (विभिन्न क्रेडिट योजनाओं, साझेदारी/राजस्व मॉडल के माध्यम से); सरकारी ऋण योजनाएं जैसे मुद्रा ऋण, स्त्री शक्ति योजना आदि महिला उद्यमियों का समर्थन कर सकती हैं
- आवश्यक कौशल विकास सहायक सरकारी योजनाओं और कार्यक्रमों के माध्यम से प्रदान किया जाना जैसे: मेक इन इंडिया, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी), राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन, अटल इनोवेशन मिशन और मत्स्य संपदा योजन द्वारा संचालित द्वारा संचालित उद्यमी विकास कार्यक्रम



विचारार्थ अतिरिक्त संस्तुतियों की सूची

इस अनुभाग में ग्राम पंचायत स्तर पर कार्यान्वयन के लिए अतिरिक्त विचार के लिए संभावित संस्तुतियों की एक सूची दी गई है। इन संस्तुतियों को भारत के विभिन्न हिस्सों और भौगोलिक क्षेत्रों में सफलतापूर्वक लागू किया गया है जिनमें उत्तर प्रदेश के साथ बहुत समानताएं हो सकती हैं।

इन्हें मुख्य अनुशंसाओं में शामिल न करने का कारण यह है कि यह संस्तुतियां/परियोजनाएं उत्तर प्रदेश सरकार की किसी भी वर्तमान योजना या कार्यक्रम या केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के दायरे में नहीं आती हैं। इसलिए इन परियोजनाओं का कार्यान्वयन वैकल्पिक वित्तपोषण विकल्पों, जैसे स्व-वित्तपोषण, CSR या ऐसे अन्य स्रोतों के माध्यम से करना होगा।

यदि यह परियोजनाएं लागू की जाती हैं, तो इनके माध्यम से समुदायों की अनुकूली क्षमताओं को और मजबूत करने की संभावना हो सकती है एवं इनके परिणामस्वरूप आजीविका में वृद्धि भी हो सकती है।

1. सौर ऊर्जा संचालित कोल्ड स्टोरेज इकाई (एफपीओ, एसएचजी व किसान):

- फसल कटाई के बाद की दक्षता बढ़ाने और नुकसान को कम करने के लिए सौर ऊर्जा से चलने वाली कोल्ड स्टोरेज इकाई हैं।
- यह किसानों को संकटपूर्ण बिक्री से बचने में मदद करता है और किसानों की आय में सुधार करता है।

ये गतिविधि "आजीविका और हरित उद्यमिता को बढ़ाना" अनुभाग में चर्चा की गई पहलों को मजबूत करने में सहायता करेगी

सर्वोत्तम प्रथाएं/ उदाहरण : 78,79,80

- हैदराबाद, तेलंगाना में कट्टनगुर फार्मर्स प्रोड्यूसर्स कंपनी लिमिटेड।
- घुम्मर किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ) राजस्थान के पाली जिले की बाली तहसील के नाना गांव में स्थित है।

2. सौर निष्क्रिय डिजाइन और निष्क्रिय शीतलन:

नए निर्माण और रेट्रोफिटिंग के लिए (जहां भी संभव हो): ऊर्जा की मांग को कम करने और ऊर्जा दक्षता बढ़ाने के लिए आवासीय घरों और प्रशासनिक भवनों में टिकाऊ डिजाइन के साथ स्थानीय और पारंपरिक सामग्री को बढ़ावा देना चाहिए:

- घरों में सौर ज्यामिति के अनुसार भवन का अभिविन्यास करना चाहिए।
- घरों में प्राकृतिक वायु का कुशल संचलन होना चाहिए।
- घरों में सौर चिमनी के साथ पवन टॉवर का उपयोग करना चाहिए।
- घरों में प्राकृतिक प्रकाश की व्यवस्था होनी चाहिए (पारंपरिक प्रकाश यानी बिजली से चलने वाले बल्ब, ट्युबलाइट आदि को कम करना)।
- घरों में ऊर्जा संरक्षण गतिविधियाँ करनी चाहिए।
- हरित जल निकाय और डिजाइन किए गए परिदृश्य (वृक्षारोपण/बागवानी)।

यह गतिविधि "स्वच्छ, सतत, किफायती और विश्वसनीय ऊर्जा तक पहुंच" अनुभाग में चर्चित पहलों को मजबूत करेगी।

78 https://selcofoundation.org/wp-content/uploads/2023/08/Compendium_Updated_20230922.pdf

79 <https://www.opportunityindia.com/article/empowering-women-fpo-through-solar-power-ghummar-fpo-34521>

80 <https://www.ecozensolutions.com/ecofrost/fpos-leverage-agri-infra-funds-for-ecofrost.html>

सर्वोत्तम प्रथाएं/ उदाहरण:

राजकुमारी रत्नावती बालिका विद्यालय⁸¹, थार रेगिस्तान, राजस्थान का गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली 400 से अधिक लड़कियों के लिए निर्माण किया गया है: जिसमें प्रमुख रूप से निम्नलिखित उपायों का उपयोग किया गया है:

- धर्मल आराम को अधिकतम करने के लिए बिल्डिंग ओरिएंटेशन पर ध्यान दिया गया है।
- प्रकाश और पंखे चलाने के लिए स्कूल के छतों पर सौर पैनल लगाये गए हैं।
- सोलर पैनल कैनोपी और स्क्रीन स्कूल के कमरों में ज्यादा गर्मी होने से बचाते हैं।
- छत का अण्डाकार आकार शीतलता (वायुप्रवाह) उत्पन्न करता है।
- इमारत की दीवारें हवा के प्रवाह को बढ़ाने में मदद करती हैं और धूप व रेत को स्कूल के कमरों में आने से रोकती हैं।
- निर्माण के लिए स्थानीय सामग्री का उपयोग किया गया है।

सोलर पैसिव कॉम्प्लेक्स, पंजाब ऊर्जा विकास एजेंसी (PEDA), चंडीगढ़⁸²:

- भवन में एकीकृत सौर ऊर्जा संयंत्र से 25 किलोवाट की बिजली का उत्पादन किया जाता है।
- सौर ज्यामिति के अनुसार अभिविन्यास किया गए हैं।
- भवन की छत (डिज़ाइन+सामग्री) गर्मी से रहत देने के उद्देश्य से बनाई गई।
- सौर ऊर्जा से कमरों में एयर कंडीशनर और प्रकाश की जरूरत को पूरा किया जाता है (उदाहरण के लिए, लाइट वॉल्ट, सौर चिमनी के साथ पवन टॉवर)।
- शीतलन और वायु शोधन के लिए छोटे तालाब और वृक्षारोपण (पेड़, झाड़ियाँ और घास)

3. सौर ऊर्जा संचालित RO जल शोधन प्रणाली/ जल एटीएम कियोस्क का निर्माण:

सौर-आधारित आरओ (RO) जल शोधन प्रणाली स्वच्छ पेयजल की समस्या के लिए एक सतत और लागत प्रभावी समाधान प्रदान करती है। यह पानी के पुनः उपयोग को बढ़ावा देते हुए समुदाय को सुरक्षित पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करता है। पेयजल की गुणवत्ता की समस्या से जूझ रही ग्राम पंचायत के लिए यह पहल लाभदायक हो सकती है।

सर्वोत्तम प्रथाएं/ उदाहरण:

हिवरा लाहे गांव, जिला-वाशिम, राज्य-महाराष्ट्र⁸³:

- सीएसआर समर्थन से सौर ऊर्जा संचालित जल शोधन प्रणाली/ जल एटीएम कियोस्क (समुदाय आधारित) को स्थापित किया गया।
- समुदाय की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार देखा गया।
- प्रणाली के संचालन और प्रबंधन के लिए ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति को सक्षम बनाया गया।
- इसी तरह की पहल गुजरात, तेलंगाना, राजस्थान आदि राज्यों में भी की गई है।

81 <https://www.avontuura.com/rajkumari-ratnavati-girls-school-diana-kellogg-architects>

82 <https://peda.gov.in/solar-passive-complex>

83 <https://yraindia.org/wp-content/uploads/2019/12/RO-plant-Success-story-in-Village-Hiwara-HDB-project.pdf>

4. सौर ऊर्जा संचालित पशु शेड का निर्माण:

पशु शेड मवेशियों को तीव्र गर्मी और शीतलहर से बचाने के लिए सौर ऊर्जा संचालित अनुकूली उपाय हैं। इस पहल में पशु शेड की छतों पर सौर ऊर्जा पैनल लगाकर जलवायु परिवर्तन के प्रभावों का शमन करने में सहायक हैं। यह सौर ऊर्जा संचालित पशु शेड बिजली की मांग की भी पूर्ति कर सकते हैं। यह ऊर्जा की मांग में कमी और निष्क्रिय शीतलन और वेंटिलेशन प्रदान करने में सहायक हैं, इसके अलावा पशु शेड अन्य ऊर्जा की जरूरत को पूरा करते हैं जैसे की चारे की तैयारी और शेड संचालन करने में ऊर्जा की जरूरत। अतिरिक्त उत्पादित बिजली को ग्रिड में डाला जा सकता है जिससे किसानों को अतिरिक्त आय उत्पन्न करने का स्रोत मिल सकता है।

इस तरह के पशु शेड बायोगैस उत्पादन और पशु अपशिष्ट (गोबर) से उर्वरक तैयार करने में भी मदद करेंगे। ये पशु शेड उचित पृथक और पशुओं को सुरक्षित स्थान प्रदान करके पशुओं में फैलने वाले रोगों के संचरण को कम करने में भी मदद कर सकते हैं।

यह गतिविधि संस्त्रुतियों के " सतत कृषि" खंड में सतत पशुधन प्रबंधन सुझावों को मजबूत कर सकती है।

सर्वोत्तम प्रथाएं/ उदाहरण:

जिले: लुधियाना, बठिंडा और तरनतारन, पंजाब^{84,85}

- यह परियोजना 3 जिलों में 1-2 हेक्टेयर भूमि और 5-15 डेयरी पशुओं वाले छोटे और सीमांत किसानों के 3000 परिवारों के लिए कार्यान्वित की गई
- पशु शेडों जलवायु को सुरक्षित करने और छोटे और सीमांत पशुधन किसानों की स्थायी आजीविका को बढ़ावा देते हैं

निर्मल गुजरात अभियान⁸⁶

- गुजरात के हिममतनगर में पशु छात्रावास गांवों को साफ रखने में मदद करते हैं।
- ऐसे पशु आश्रय स्थल (पशु छात्रावास) में बायोगैस और वर्मीकम्पोस्ट उत्पन्न करने के लिए गोबर एकत्र करने में भी प्रभावी हैं। इसके अतिरिक्त ग्राम कल्याण के लिए धन जुटाने के लिए वर्मीकम्पोस्ट बेचा जा सकता है।

इसके अतिरिक्त, एक "अनुसूचित जाति उप योजना (एससीएसपी)⁸⁷" के तहत पशु शेड सब्सिडी योजना" है, जिसे गुजरात सरकार के पशुपालन, कृषि, किसान कल्याण और सहयोग विभाग निर्देशल्य द्वारा कार्यान्वित किया जाता है। इस योजना के तहत, अनुसूचित जाति के लाभार्थियों को 2 जानवरों के लिए मवेशी शेड के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता (या तो ₹30,000/- या मवेशी शेड की लागत का 50%, जो भी कम हो) दी जाती है।

5. कूल रूफ/ठंडी छतें

घरों, सार्वजनिक इमारतों और सरकारी भवनों की छतों को सौर-परावर्तक पेंट से रंगना।

सर्वोत्तम प्रथाएं/ उदाहरण:

जोधपुर, भोपाल, सूरत और अहमदाबाद में झुग्गी-झोपड़ी वाले घर⁸⁸

- स्थानीय सामुदायिक कार्यकर्ताओं ने परिवारों को अपनी खुद की ठंडी छत को पेंट करने के लिए प्रशिक्षित किया।
- प्रदर्शन आउटरीच: 460 से अधिक छतें में पेंट किया गया।
- पारंपरिक छतों की तुलना में घर के अंदर का तापमान 2 - 5°C कम पाया गया।

यह गतिविधि "स्वच्छ, सतत, किफायती और विश्वसनीय ऊर्जा तक पहुंच" अनुभाग से जुड़ी है।

84 <https://pscst.punjab.gov.in/en/climate-resilient-livestock-production-system>

85 <https://moef.gov.in/wp-content/uploads/2017/08/Punjab.pdf>

86 <https://jayshaktiengg.com/gujarat-government-launches-solar-scheme-for-farmers/>

87 <https://www.myscheme.gov.in/schemes/cssscspssc>

88 <https://www.nrdc.org/bio/anjali-jaiswal/cool-roofs-community-led-initiatives-four-indian-cities>

6. चारे की संपूरक के उपयोग से मवेशियों से मीथेन उत्सर्जन को कम करना :

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर)¹²-राष्ट्रीय पशु पोषण और फिजियोलॉजी संस्थान ने पशुधन से मीथेन उत्सर्जन को कम करने में मदद के लिए फ्रीड सप्लीमेंट (हरित धारा और टैमरिन प्लस) विकसित किए हैं।

यह गतिविधि "सतत कृषि" अनुभाग से जुड़ी है।

सर्वोत्तम प्रथाएं/ उदाहरण

- इन संपूरकों के उपयोग से आंत्रिय मीथेन उत्सर्जन में 17-20% तक कम हो सकता है⁸⁹।
- आईसीएआर की रिपोर्ट के अनुसार इन पूरक आहार की कीमत ₹6 प्रति किलोग्राम है।

7. सौर ऊर्जा संचालित ऊर्ध्वाधर चारा उगाने वाली इकाइयों (घरेलू स्तर/ सामुदायिक स्तर) का निर्माण:

सौर ऊर्जा से संचालित, माइक्रोक्लाइमेट-नियंत्रित, ऊर्ध्वाधर चारा उगाने वाली इकाई उपयोगकर्ताओं को प्रतिदिन एक बाल्टी से भी कम पानी के साथ ताजा चारा काटने में सक्षम बनाती है। ऐसी इकाइयाँ सूखे की स्थिति में भी पशुओं के लिए चारे की उपलब्धता सुनिश्चित करेंगी।

यह गतिविधि "सतत कृषि" अनुभाग से जुड़ा है।

सर्वोत्तम प्रथाएं/ उदाहरण:

आंध्र प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक और बिहार राज्यों में⁹⁰

- चारा उत्पादक इकाइयों को अपनाने से पशुधन के लिए हरे चारे की उपलब्धता में वृद्धि।
- इससे किसानों की आय में वृद्धि होती है।

8. पंचायत स्तरीय जल बजटिंग

जलवायु-अनुकूल कृषि-आधारित आजीविका के लिए जल प्रबंधन और 'जल बजटिंग'

- वार्षिक/त्रैमासिक जल बजट की गणना।
- ग्राम स्तर पर "जल की कमी" और "जल अधिशेष" की गणना।
- पानी की उपलब्धता के आधार पर वार्षिक फसल उत्पादन योजना।
- जल बर्बादी को रोकने के लिए जल ऑडिट।

यह गतिविधि कार्ययोजना के सतत कृषि और जल संसाधन प्रबंधन अनुभागों से जुड़ी है। यह पहल फसल चयन/योजना, खेत तालाब, बेहतर सिंचाई विधियों, जल पुनर्भरण आदि जैसे कई हस्तक्षेपों को सुदृढ़ बनाएगी।

89 भारतीय कृषि परिषद की रिपोर्ट के अनुसार <https://testicar.icar.gov.in/content/icar-nianp-commercializes-anti-methanogenic-feed-supplement-%E2%80%9Charit-dhara%E2%80%9D>

90 <https://india.mongabay.com/2024/04/amid-fodder-crisis-hydroponics-offers-new-hope-for-indian-farmers/>

सर्वोत्तम प्रथाएं/ उदाहरण:

7 ग्राम पंचायतें (जीपी) और पड़ोसी बस्तियां, रंगारेड्डी और नागौरकुर्नूल जिले, तेलंगाना ⁹¹

- यह गतिविधि पानी की खपत की वर्तमान स्थिति व खपत को अनुकूलित करने के उपाय दोनों को पहचानने में मदद करेगी।
- इस गतिविधि के द्वारा प्रत्येक कृषि मौसम यानी खरीफ़ (मानसून), रबी (सर्दी), और ज़ैद (गर्मी) के लिए योजना बनाने में भी सहायता मिल सकती है।

9. जलवायु प्रभाव क्षेत्रों में ग्रामीण महिला उद्यमियों को सक्षम बनाना

गांवों में महिलाओं के नेतृत्व वाली जमीनी स्तर की उद्यमिता सहायता पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण:

- महिलाएं स्वच्छ/हरित प्रौद्योगिकी-आधारित उत्पाद की बिक्री करें।
- महिलाएं समुदायों को स्वच्छ-प्रौद्योगिकियों के महत्व पर शिक्षित करें।
- उदाहरण के लिए, स्वच्छ खाना पकाने (सौर कुकस्टोव), पोर्टेबल सौर जल शोधक, एनर्जी एफ़िफ़िसिएंट लाइट, आदि।
- महिलाओं को व्यवसाय विस्तार ऋण उपलब्ध कराया जाए।
- ग्रामीण विपणन और वितरण संबंधों को सुविधाजनक बनाया जाए।

ग्रामीण महिलाओं को उद्यमिता पारिस्थितिकी तंत्र में सक्षम बनाने के लिए व्यावसायिक कौशल विकास, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण।

इस पहल का उद्देश्य स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकियों और जलवायु प्रभाव क्षेत्रों में महिलाओं की भूमिका और भागीदारी को मजबूत करना है। यह कार्य योजना के आजीविका और हरित उद्यमिता को बढ़ाने वाले अनुभाग से जुड़ा है।

सर्वोत्तम प्रथाएं/ उदाहरण:

4 राज्यों (महाराष्ट्र, बिहार, गुजरात और तमिलनाडु) में 14 जिले⁹²

स्वयं शिशन प्रयोग (एसएसपी) महिलाओं को उनके ग्रामीण समुदायों में स्वच्छ ऊर्जा उद्यमियों और जलवायु परिवर्तन नेताओं के रूप में सक्षम बनाता है:

- 60,000 से अधिक ग्रामीण महिला उद्यमियों को स्वच्छ ऊर्जा, सतत कृषि, स्वास्थ्य और पोषण, और सुरक्षित पानी और स्वच्छता में सक्षम बनाया गया।
- 1,000 से अधिक महिला उद्यमियों ने स्वच्छ-ऊर्जा प्रौद्योगिकियों में प्रशिक्षण लिया और व्यवसाय शुरू किया।

10. सामुदायिक बीज बैंक

- सामुदायिक बीज बैंक क्षेत्र में फसल विविधीकरण और स्थिरता को बढ़ावा देंगे एवं स्थानीय बीज प्रणालियों को मुख्यधारा में लाएंगे, तथा जलवायु परिवर्तन के प्रति सुदृढ़ बनाएंगे।
- ऐसे बीज बैंक किसानों को सूखा-सहिष्णु और जलवायु परिवर्तन अनुरोधक फसलों को उगाने के लिए प्रोत्साहित करेगा।
- किसानों के लिए सुरक्षा जाल सुनिश्चित करें, विशेष रूप से प्रतिकूल मौसम की स्थिति और भोजन की कमी के दौरान।

सर्वोत्तम प्रथाएं/ उदाहरण:

सामुदायिक बीज बैंक, डंगधोरा, जोरहाट, असम (UNEP-GEF परियोजना)⁹³

- बीज बैंक से जुड़े किसानों को स्थानीय बाजार में उपलब्ध बीजों की तुलना में बेहतर गुणवत्ता वाले बीजों की कटाई, उपचार, भंडारण और गुणा करने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है।

91 <https://wotr.org/2018/03/31/water-budgeting-in-telangana-the-need-and-the-objective-of-the-campaign/>

92 <https://unfccc.int/climate-action/momentum-for-change/women-for-results/rural-community-leaders-combatting-climate-change>

93 <https://alliancebioiversityciat.org/stories/community-seed-banks-empower-farmers-address-climate-risk-india>

- बीज बैंक की पहल सहभागी फसल सुधार और ज्ञान-साझाकरण रणनीतियों को बढ़ावा देती है।
- किसानों को गुणवत्तापूर्ण बीजों तक सस्ते और आसान पहुंच प्रदान की जाती है व किसानों को बाज़ार से भी जोड़ती है।
- यह बीज प्रणालियाँ व इनकी मूल्य श्रृंखलाएँ स्थिरता और खाद्य सुरक्षा दोनों की रक्षा करती हैं।

11. जैव-संसाधन केंद्र (बीआरसी) की स्थापना

जैव-इनपुट संसाधन केंद्र (बीआरसी) प्राकृतिक खेती को अपनाने की सुविधा के लिए जैव-इनपुट तैयार करते हैं और आपूर्ति करते हैं। बीआरसी से किसानों को प्राकृतिक खेती के लिए जैव-इनपुट स्वयं तैयार करने की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि जैव-इनपुट तैयार करना एक समय लेने वाली और श्रम-गहन गतिविधि है।

- मिट्टी के स्वास्थ्य, फसल उपज की वृद्धि, कीट या रोग प्रबंधन में सुधार के लिए उपयोगी जैविक संस्थाओं या जैविक रूप से व्युत्पन्न इनपुट का उपयोग करने वाले स्थानीय रूप से तैयार उत्पाद किसानों द्वारा खरीद के लिए उपलब्ध कराए जाते हैं।
- बीआरसी क्षेत्र के किसानों की सभी जैव इनपुट आवश्यकताओं के लिए सिंगल-स्टॉप शॉप के रूप में कार्य करता है।

सर्वोत्तम प्रथाएं/ उदाहरण:

आंध्र प्रदेश राज्य में⁹⁴

- सतत जलवायु-अनुकूल कृषि में योगदान देता है।
- किसानों को जलवायु परिवर्तन के अनुकूल ढलने में मदद मिलती है क्योंकि उच्च कार्बनिक पदार्थ की मात्रा मिट्टी को बाढ़, सूखे और भूमि क्षरण प्रक्रियाओं के प्रति अधिक लचीला बनाती है।
- कृषि-पारिस्थितिकी तंत्र और पैदावार में स्थिरता होने के परिणामस्वरूप जोखिम कम हो जाता है, और उत्पादन लागत भी कम हो जाती है।

94 <https://www.apmas.org/pdf/csv/casestudy-1.pdf>

7




अनुकूलन, सह-लाभ और सतत विकास लक्ष्यों से जुड़ाव

सतत कृषि

सुझाई गई क्लाइमेट स्मार्ट गतिविधियाँ	अनुकूलन क्षमता और सह-लाभ	एसडीजी और संबंधित लक्ष्यों को संबोधित किया गया ⁹⁵
1. जलवायु लचीलापन विकसित करना 	<ul style="list-style-type: none"> कृषि उत्पादकता एवं लाभ में वृद्धि⁹⁶ मृदा स्वास्थ्य में सुधार रासायनिक आदानों के कम उपयोग के कारण पानी की गुणवत्ता में सुधार कृषि जल सुरक्षा में सुधार शीत लहर और गर्मी की लहर के दौरान पशुधन की हानि कम हुई और उत्पादकता में वृद्धि हुई वायु गुणवत्ता में सुधार हुआ और उत्सर्जन में कमी आई 	एसडीजी 2: शून्य भूख <ul style="list-style-type: none"> लक्ष्य 2.3 लक्ष्य 2.4 लक्ष्य 2.ए; अनुच्छेद 10.3.ई
2. प्राकृतिक खेती अपनाना 		एसडीजी 6: स्वच्छ जल और स्वच्छता <ul style="list-style-type: none"> लक्ष्य 6.4
3. सतत पशुधन प्रबंधन 		एसडीजी 13: जलवायु संबंधी कार्यवाही <ul style="list-style-type: none"> लक्ष्य 13.1 लक्ष्य 13.2 लक्ष्य 13.3



हरित स्थानों और जैवविविधता को बढ़ाना

सुझाई गई क्लाइमेट स्मार्ट गतिविधियाँ	अनुकूलन क्षमता और सह-लाभ	एसडीजी और संबंधित लक्ष्यों को संबोधित किया गया ⁹⁷
1. हरित आवरण में सुधार 	<ul style="list-style-type: none"> जलवायु घटनाओं/आपदाओं से प्राकृतिक बफ़र सूक्ष्म-जलवायु को विनियमित करने से हीटवेव और तीव्र गर्मी के तनाव से अनुकूलन में सहायता मिलेगी औषधीय पौधों तक पहुंच से स्वास्थ्य लाभ होगा बेहतर मृदा स्थिरता, जल संरक्षण और संबंधित कृषि लाभों के लिए प्राकृतिक-आधारित समाधान (एनबीएस) पशुधन उत्पादकता में सुधार <ul style="list-style-type: none"> » कृषि वानिकी, प्राकृतिक औषधियों के उत्पादन आदि से राजस्व सृजन » जैव विविधता के लिए बेहतर पर्यावरण और आवास; पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य में सुधार 	एसडीजी 11: स्थायी शहर और समुदाय <ul style="list-style-type: none"> लक्ष्य 11.7 लक्ष्य 11.4
2. जन जैवविविधता रजिस्टर 		एसडीजी 12: सतत उपभोग और उत्पादन पैटर्न सुनिश्चित करना <ul style="list-style-type: none"> लक्ष्य 12.2
3. नर्सरी की स्थापना 		एसडीजी 13: जलवायु संबंधी कार्यवाही <ul style="list-style-type: none"> लक्ष्य 13.1 लक्ष्य 13.2 लक्ष्य 13.3



95 प्रासंगिक एसडीजी और संबंधित लक्ष्यों की विस्तृत सूची संलग्न V में दी गई है

96 पारिस्थितिकी-आपदा जोखिम में कमी

97 प्रासंगिक एसडीजी और संबंधित लक्ष्यों की विस्तृत सूची संलग्न V में दी गई है




सतत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन

सुझाई गई क्लाइमेट स्मार्ट गतिविधियाँ	अनुकूलन क्षमता और सह-लाभ	एसडीजी और संबंधित लक्ष्यों को संबोधित किया गया ⁹⁸
<p>1. अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली की स्थापना</p> 	<ul style="list-style-type: none"> जलभराव में कमी जल और भूमि प्रदूषण में कमी/बेहतर स्वच्छता 100% कुशल अपशिष्ट प्रबंधन और सार्वजनिक स्वास्थ्य जोखिमों और महामारी की घटनाओं में कमी के कारण अच्छा स्वास्थ्य और अपेक्षाकृत रोग मुक्त वातावरण आजीविका और आय सृजन राजस्व और लाभ सृजन सतत कृषि के लिए उन्नत आदान अपशिष्ट आधारित कृषि सर्कुलर अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन देना 	<p>एसडीजी 3: अच्छा स्वास्थ्य और खुशहाली</p> <ul style="list-style-type: none"> लक्ष्य 3.3 लक्ष्य 3.9 <p>एसडीजी 6: स्वच्छ जल और स्वच्छता</p> <ul style="list-style-type: none"> लक्ष्य 6.3 लक्ष्य 6.8 <p>एसडीजी 8: सभ्य कार्य और आर्थिक विकास</p> <ul style="list-style-type: none"> लक्ष्य 8.3 <p>एसडीजी 9: उद्योग, नवाचार और बुनियादी ढांचा</p> <ul style="list-style-type: none"> लक्ष्य 9.1 <p>एसडीजी 12: सतत उपभोग और उत्पादन पैटर्न सुनिश्चित करना</p> <ul style="list-style-type: none"> लक्ष्य 12.4 लक्ष्य 12.5 लक्ष्य 12.8 <p>एसडीजी 13: जलवायु संबंधी कार्यवाही</p> <ul style="list-style-type: none"> लक्ष्य 13.1 लक्ष्य 13.2 लक्ष्य 13.3 <p>एसडीजी 15: भूमि पर जीवन</p> <ul style="list-style-type: none"> लक्ष्य 15.1
<p>2. बेहतर स्वच्छता प्रबंधन</p> 		
<p>3. जैविक अपशिष्ट का सतत प्रबंधन</p> 		
<p>4. एकल उपयोग प्लास्टिक पर प्रतिबंध</p> 		



98 प्रासंगिक एसडीजी और संबंधित लक्ष्यों की विस्तृत सूची संलग्न V में दी गई है











जल निकायों का प्रबंधन और कायाकल्प

सुझाई गई क्लाइमेट स्मार्ट गतिविधियाँ	अनुकूलन क्षमता और सह-लाभ	एसडीजी और संबंधित लक्ष्यों को संबोधित किया गया ⁹⁹
<p>1. वर्षा जल संचयन (आरडब्ल्यूएच) को प्रोत्साहन देना</p> 	<ul style="list-style-type: none"> प्रकृति-आधारित समाधान (एनबीएस) पानी की कमी और पानी के तनाव से निपटने की क्षमता को बढ़ाता है बेहतर भूजल पुनर्भरण पानी की गुणवत्ता में वृद्धि सूखा, लू जैसी आपदाओं के प्रति लचीलापन बढ़ना कृषि एवं पशुधन उत्पादकता में सुधार स्थानीय जैवविविधता को बढ़ावा 	<p>एसडीजी 6: स्वच्छ जल और स्वच्छता</p> <ul style="list-style-type: none"> लक्ष्य 6.1 लक्ष्य 6.3 लक्ष्य 6.4 लक्ष्य 6.5 <p>एसडीजी 11: स्थायी शहर और समुदाय</p> <ul style="list-style-type: none"> लक्ष्य 11.4 <p>एसडीजी 12: सतत उपभोग और उत्पादन पैटर्न सुनिश्चित करना</p> <ul style="list-style-type: none"> लक्ष्य 12.2 <p>एसडीजी 13: जलवायु संबंधी कार्यवाही</p> <ul style="list-style-type: none"> लक्ष्य 13.1 लक्ष्य 13.2 <p>एसडीजी 15: भूमि पर जीवन</p> <ul style="list-style-type: none"> लक्ष्य 15.1 लक्ष्य 15.5
<p>2. जल निकायों का पुनरोद्धार एवं संरक्षण</p> 		
<p>3. अपशिष्ट जल प्रबंधन</p> 		






99 प्रासंगिक एसडीजी और संबंधित लक्ष्यों की विस्तृत सूची संलग्न V में दी गई है

स्वच्छ, सतत, किफायती और विश्वसनीय ऊर्जा तक पहुंच

सुझाई गई क्लाइमेट स्मार्ट गतिविधियाँ	अनुकूलन क्षमता और सह-लाभ	एसडीजी और संबंधित लक्ष्यों को संबोधित किया गया ¹⁰⁰
1. सोलर रूफटॉप स्थापना 	<ul style="list-style-type: none"> ऊर्जा सुरक्षा उष्ण आराम आजीविका के उन्नत विकल्प अतिरिक्त राजस्व सृजन उच्च तापमान/धूप के संपर्क से राहत प्रदान करता है जिसके परिणामस्वरूप उपज स्थिरता और उत्पादकता में वृद्धि होती है विषैले उत्सर्जन/स्थानीय वायु प्रदूषण में कमी चुकौती/पे-बैक अवधि के बाद आर्थिक लाभ घरों के अंदर वायु प्रदूषण में कमी सभी के स्वास्थ्य, मुख्य रूप से महिलाओं के स्वास्थ्य में सुधार ईंधन की लकड़ी एकत्र करने के कठिन परिश्रम/शारीरिक श्रम को समाप्त करता है आपदाओं के दौरान ग्रिड विफलताओं से निपटने की क्षमता में वृद्धि 	एसडीजी 6: स्वच्छ जल और स्वच्छता <ul style="list-style-type: none"> लक्ष्य 6.4
2. एग्रो-फोटोवोल्टिक की स्थापना 		एसडीजी 7: किफायती और स्वच्छ ऊर्जा <ul style="list-style-type: none"> लक्ष्य 7.1 लक्ष्य 7.2 लक्ष्य 7.3 लक्ष्य 7.a लक्ष्य 7.b
3. सौर पंप 		एसडीजी 9: उद्योग, नवाचार और बुनियादी ढांचा <ul style="list-style-type: none"> लक्ष्य 9.1
4. रसोई में स्वच्छ ईंधन का उपयोग 		एसडीजी 13: जलवायु संबंधी कार्यवाही <ul style="list-style-type: none"> लक्ष्य 13.2 लक्ष्य 13.3
5. ऊर्जा कुशल फिक्स्चर 		   
6. सौर स्ट्रीट लाइटें 		





सतत एवं उन्नत गतिशीलता

सुझाई गई क्लाइमेट स्मार्ट गतिविधियाँ	अनुकूलन क्षमता और सह-लाभ	एसडीजी और संबंधित लक्ष्यों को संबोधित किया गया ¹⁰¹
1. मौजूदा सड़क बुनियादी ढांचे को बढ़ाना 	<ul style="list-style-type: none"> स्थानीय वायु प्रदूषण में गिरावट से मानव और पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य में सुधार जोखिम वाले और कमजोर व्यक्तियों के लिए बेहतर पहुंच अतिरिक्त राजस्व सृजन वस्तुओं और सेवाओं की अंतिम-मील कनेक्टिविटी में वृद्धि <ul style="list-style-type: none"> a. जलभराव कम करने जैसे सह-लाभों के साथ सड़क बुनियादी ढांचे को मज़बूत करने के माध्यम से लचीलेपान में सुधार 	एसडीजी 7: किफायती और स्वच्छ ऊर्जा <ul style="list-style-type: none"> लक्ष्य 7.2
2. ई-वाहनों को अपनाने को बढ़ावा देना 		एसडीजी 11: स्थायी शहर और समुदाय <ul style="list-style-type: none"> लक्ष्य 11.2
3. मध्यवर्ती सार्वजनिक परिवहन (आईपीटी) को बढ़ाना 		एसडीजी 9: उद्योग, नवाचार और बुनियादी ढांचा <ul style="list-style-type: none"> लक्ष्य 9.1
		एसडीजी 13: जलवायु संबंधी कार्यवाही <ul style="list-style-type: none"> लक्ष्य 13.2 लक्ष्य 13.3

100 प्रासंगिक एसडीजी और संबंधित लक्ष्यों की विस्तृत सूची संलग्न V में दी गई है

101 प्रासंगिक एसडीजी और संबंधित लक्ष्यों की विस्तृत सूची संलग्न V में दी गई है

आजीविका और हरित उद्यमिता को बढ़ाना

सुझाई गई क्लाइमेट स्मार्ट गतिविधियाँ	अनुकूलन क्षमता और सह-लाभ	एसडीजी और संबंधित लक्ष्यों को संबोधित किया गया ¹⁰²
<p>1. सतत उत्पादों के निर्माण में पहले से मौजूद स्वयं सहायता समूहों को शामिल करें</p> 	<ul style="list-style-type: none"> स्थानीय स्रोतों से प्राप्त कच्चे माल के माध्यम से आजीविका के उन्नत विकल्प जल और भूमि प्रदूषण में कमी सतत कृषि के लिए उन्नत आदान 100% कुशल अपशिष्ट प्रबंधन और सार्वजनिक स्वास्थ्य जोखिमों और महामारी की घटनाओं में कमी के कारण अच्छा स्वास्थ्य और अपेक्षाकृत रोग मुक्त वातावरण औषधीय पौधों तक पहुंच से स्वास्थ्य लाभ होगा कृषि वानिकी, प्राकृतिक औषधियों के उत्पादन आदि से राजस्व सृजन जैवविविधता के लिए बेहतर पर्यावरण और आवास; पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य में सुधार स्थानीय वायु प्रदूषण में गिरावट से मानव और पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य में सुधार <p>वस्तुओं और सेवाओं की अंतिम-मील कनेक्टिविटी में वृद्धि</p>	<p>एसडीजी 5: लैंगिक समानता का लक्ष्य प्राप्त करना और सभी महिलाओं और लड़कियों का सशक्तिकरण</p> <ul style="list-style-type: none"> लक्ष्य 5.5 <p>एसडीजी 8: सभ्य कार्य और आर्थिक विकास</p> <ul style="list-style-type: none"> लक्ष्य 8.3 <p>एसडीजी 12: सतत उपभोग और उत्पादन पैटर्न सुनिश्चित करना</p> <ul style="list-style-type: none"> लक्ष्य 12.2 लक्ष्य 12.4 लक्ष्य 12.5 लक्ष्य 12.8 <p>एसडीजी 13: जलवायु संबंधी कार्यवाही</p> <ul style="list-style-type: none"> लक्ष्य 13.1 लक्ष्य 13.2 लक्ष्य 13.3
<p>2. जैविक कचरे को खाद बनाकर उसे उर्वरक के रूप में बेचना</p> 		
<p>3. ई-माल वाहक और ई-ट्रैक्टर किराए पर लेने की सुविधा</p> 		
<p>4. सौर ऊर्जा संचालित कोल्ड स्टोरेज के उपयोग के माध्यम से आजीविका में सुधार</p> 		
<p>5. जल कृषि के माध्यम से आजीविका में सुधार (क्योंकि इस गांव में पर्याप्त सतह जल संसाधन हैं)</p> 		
<p>6. प्राकृतिक औषधियों और पूरकों के उत्पादन और बिक्री के लिए आरोग्य वन</p> 		
<p>7. नर्सरी की स्थापना</p> 		
<p>8. विभिन्न नवीकरणीय ऊर्जा प्रतिष्ठानों (सोलर और बायो-गैस) का संचालन एवं रखरखाव</p> 		



102 प्रासंगिक एसडीजी और संबंधित लक्ष्यों की विस्तृत सूची संलग्न V में दी गई है

कार्यान्वयन में प्रस्तावित संस्तुतियों/अनुशंसाओं से बगही के ग्रीनहाउस गैस (जीएचजी) उत्सर्जन को कम करने में ही नहीं बल्कि ऊर्जा, खाद्य और जल सुरक्षा प्राप्त करने में भी सहायता होगी, जिससे ग्राम पंचायत क्लाइमेट स्मार्ट, लचीली और सतत बनेगी। इससे गांव के निवासियों की आकांक्षाएं पूरी करने के लिए ग्राम पंचायत के समग्र और निरंतर विकास को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही, ये संस्तुतियां प्रकृति के साथ सामंजस्यपूर्ण सह-अस्तित्व को बढ़ावा देते हुए जीवन की गुणवत्ता में सुधार करेंगी। यह क्लाइमेट स्मार्ट कार्ययोजना ऊर्जा, कृषि निवेश, पानी, आदि पर व्यय में कमी लाकर बगही को 'आत्मनिर्भर' बनाएगी जिससे आर्थिक विकास के नए मार्ग खुलेंगे।

इसके अतिरिक्त, प्रस्तावित हस्तक्षेपों के क्रियान्वयन से जलवायु परिवर्तन पर उत्तर प्रदेश राज्य कार्ययोजना II, 2022 में परिकल्पित के अनुसार, बगही जलवायु कार्ययोजना पर राज्य के दृष्टिकोण और लक्ष्यों में भी योगदान देगा, जो बदले में, जलवायु परिवर्तन को संबोधित करने के लिए देश के प्रयासों को सशक्त करेगा, जिससे एनडीसी, 2015 और इसके अद्यतन संस्करण, 2022 में सूचीबद्ध योगदान और 2030 तक सतत विकास लक्ष्य भी प्राप्त होंगे।

जलवायु संबंधी समस्याओं का समाधान करने के लिए स्थानीय स्तर पर विशेष रूप से तैयार किए गए समाधानों की आवश्यकता है, जो पर्याप्त जलवायु वित्त और कार्यान्वयन के अन्य माध्यमों की उपलब्धता से ही सफल हो सकते हैं। इसे राज्य और केंद्रीय योजनाओं के अंतर्गत समर्थित ग्राम पंचायत विकास योजना में परिकल्पित जारी गतिविधियों में न्यूनीकरण और अनुकूलन दोनों जलवायु कार्यवाही को मिलाकर और अतिरिक्त वित्तीय संसाधन जुटाकर प्राप्त किया जा सकता है। इससे सभी प्रासंगिक हितधारकों: समुदाय, सरकारी प्रशासन, निर्वाचित प्रतिनिधियों और निजी क्षेत्र के बीच सहयोग में वृद्धि होगी। कार्ययोजना के कार्यान्वयन के बाद, नई अवसरचना/प्रौद्योगिकी के कुशल प्रबंधन के रूप में निरंतर कार्यवाही बगही को एक मॉडल क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत बनना सुनिश्चित करेगी। वर्तमान योजना की सफलता से संभवतः दूसरे ग्राम पंचायत भी कुशल, लचीले और सतत बनाने की प्रक्रिया का पालन करने के लिए प्रोत्साहित होंगे। इस दृष्टिकोण को प्राप्त करने के लिए, यह महत्वपूर्ण होगा कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा परिकल्पित लाइफ मिशन के समान एक संवहनीय जीवन शैली को अपनाने के लिए सामुदायिक स्वामित्व की भावना और व्यवहार परिवर्तन को प्रेरित किया जाए।

अनुलग्नक I: पृष्ठभूमि और कार्यप्रणाली

पृष्ठभूमि

उत्तर प्रदेश राज्य जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभावों के विरुद्ध उन्नत और नवीन गतिविधियां अपना रहा है। माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ के दूरदर्शी और प्रेरणादायक मार्गदर्शन के तहत राज्य ने शासन के विभिन्न स्तरों पर जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभावों के विरुद्ध विस्तृत गतिविधियां प्रारंभ की हैं। इनमें से एक है 'क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत' के निर्माण के लिए कार्ययोजनाओं का निर्माण करना। उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री ने इस अवधारणा की परिकल्पना जून, 2022 में की थी। उनकी इस परिकल्पना को वास्तविक रूप देने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य के 39 संवेदनशील जिलों में जलवायु अनुकूल ग्राम पंचायतों की पहचान करने के लिए एक त्वरित बहु-मानदंड मूल्यांकन संचालित किया गया¹⁰³। 5 जून, 2022 को आयोजित 'पंचायत सम्मेलन' (सीओपी) में इन चयनित ग्राम पंचायतों के नामों की घोषणा की गई और इनमें से कई पंचायतों को सम्मानित भी किया गया।

बगही के लिए क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत कार्ययोजना¹⁰⁴ का विकास उत्तर प्रदेश सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा वसुधा फाउंडेशन और गोरखपुर एनवायर्नमेंटल एक्शन ग्रुप के सहयोग से किया गया है। इस कार्ययोजना का लक्ष्य ग्राम पंचायत स्तर पर जलवायु परिवर्तन के विरुद्ध गतिविधियों को मुख्यधारा में सम्मिलित करने के लिए ग्राम पंचायत विशिष्ट ब्लूप्रिंट प्रदान करना है। यह न केवल स्थानीय जलवायु अभियानों को सुदृढ़ता प्रदान कर ग्राम पंचायत को जलवायु परिवर्तन के विरुद्ध सहनशील बनाएगा बल्कि वर्ष 2030 तक शून्य कार्बन/कार्बन तटस्थ के लक्ष्य को पूरा करने के लिए उत्सर्जनों में कमी भी लाएगा।

इस कार्ययोजना के निर्माण में भागीदारी दृष्टिकोण अपनाया गया है जो कि ऊर्ध्वगामी (बॉटम अप) योजना निर्माण की अवधारणा के अनुरूप है। इस कार्ययोजना की प्रस्तावित संस्तुतियों को व्यक्तिगत परियोजनाओं के रूप में किया जा सकता है जिन्हें पूरा करने के लिए कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व में जुटी कंपनियों, राज्य और केंद्र सरकार की योजनाओं, उन्नत सार्वजनिक-निजी साझेदारियों, कार्बन वित्त और निजी निवेशों से धनराशि की व्यवस्था की जा सकती है।

इसे व्यवहार्य बनाने के लक्ष्य से यह कार्ययोजना पंचायत-निजी-साझेदारी (पीपीपी) के निर्माण के लिए मार्गदर्शन प्रदान करती है और साथ ही, इसके प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए राज्य और गैर-राज्य सक्रियकों के बीच सहयोग बढ़ाने की रूपरेखा भी प्रदान करती है।

कार्यप्रणाली

इस रिपोर्ट में मुख्य क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत कार्ययोजना के सहित भरी हुए प्रश्नावली, एचआरवीसीए (HRVCA) रिपोर्ट, ग्राम पंचायत के सामाजिक और संसाधन मानचित्र के रूप में फ़ील्ड से मिली जानकारी संलग्नक के रूप में सम्मिलित है।

क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत कार्ययोजना के विकास के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए:

- सर्वेक्षण प्रश्नावली की तैयारी: : मूलभूत स्थिति को समझने और ग्राम पंचायत के आधारभूत परिदृश्य का विकास करने के लिए मुख्य हितधारकों और क्षेत्रीय विशेषज्ञों के विचारों के आधार पर एक प्रश्नावली तैयार की गई। प्रश्नावली में विभिन्न पहलुओं को सम्मिलित किया गया, जैसे कि जनसांख्यिकी, सामाजिक-आर्थिक संकेतक, जलवायु परिवर्तनशीलता, जलवायु धारणा (पिछले 5 वर्ष की), ऊर्जा, कृषि और पशुधन, भूमि संसाधन, स्वच्छता और स्वास्थ्य। इस सर्वेक्षण का उद्देश्य ग्राम पंचायत में केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं की पहुंच को समझना भी था।

¹⁰³ उत्तर प्रदेश के 39 अत्यधिक संवेदनशील जिलों की पहचान उत्तर प्रदेश जलवायु परिवर्तन पर राज्य कार्ययोजना 2.0 और डीओईएफसीसी (DoEFCC), उत्तर प्रदेश सरकार (GoUP) द्वारा विकसित जलवायु परिवर्तन अनुकूलन योजना हेतु स्कोपिंग आकलन से की गई।

¹⁰⁴ इस आलेख में मुख्य क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत कार्ययोजना सहित निम्न आलेख संलग्नक के रूप में सम्मिलित हैं: विस्तृत कार्यप्रणाली; उत्तर सहित प्रश्नावली; खतरा, जोखिम, भेद्यता और क्षमता आकलन (एचआरवीसीए) रिपोर्ट, और ग्राम पंचायत का सामाजिक और संसाधन मानचित्र।

- हितधारकों के लिए परामर्श सत्र और क्षमता निर्माण: स्थानीय गैर-सरकारी साझेदारों, ग्राम प्रधानों, पंचायत सचिवों के लिए परामर्श और क्षमता-निर्माण कार्यशालाओं का आयोजन किया गया। हितधारकों को क्लाउडमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत कार्ययोजना के उद्देश्यों और घटकों, इन कार्य योजनाओं के विकास और उनकी व्यक्तिगत भूमिकाओं के विषय में जानकारी प्रदान की गई।
- साथ ही, गैर-सरकारी साझेदारों को मुख्य जलवायु परिवर्तन अवधारणाओं, अपनाने जाने वाली सर्वेक्षण प्रक्रियाओं और समूह केन्द्रित चर्चाओं के लिए विकसित प्रश्नावली के बारे में प्रशिक्षण भी प्रदान किया गया।
- क्षेत्र सर्वेक्षण: समुदाय से अधिकतम सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए, ग्राम सभा और समूह केन्द्रित चर्चा के कुछ दौरों का आयोजन किया गया था जिसके माध्यम से प्राथमिक डेटा संग्रह किया गया।
 - » क्षेत्र सर्वेक्षण में ग्राम पंचायत का दौरा (ट्रांसेक्ट वाक) किया गया और उसके आधार पर सामाजिक और संसाधन मानचित्र तैयार किए गए।
 - » ग्राम पंचायत की विभिन्न समस्याओं को समझने के लिए खतरा, जोखिम, नाजुकता और क्षमता विश्लेषण (एचआरवीसीए) भी किया गया।
 - » बगही ग्राम पंचायत की जलवायु संबंधित समस्याओं को और उसके विकास लक्ष्यों को समझने के लिए समूह केन्द्रित चर्चाओं का भी आयोजन किया गया।
- प्राप्त आदानों के आधार पर, ग्राम पंचायत के लिए कार्ययोजना विकसित की गई और बेसलाइन मूल्यांकन का संचालन किया गया। इसमें जलवायु-स्मार्ट गतिविधियों की पहचान करना सम्मिलित था जो न केवल पहचानी गई पर्यावरणीय और जलवायु संबंधी समस्याओं को संबोधित करती हैं बल्कि ग्राम पंचायत में प्रचलित कृषि-जलवायु विशेषताओं को भी ध्यान में रखती हैं। जानकारियों में कमी और उनमें अधूरेपन की पहचान की गई और ग्राम प्रधान, समुदाय और पंचायत सचिव के साथ चर्चाओं द्वारा जानकारियों को संपूर्ण किया गया।
- जानकारियों में कमी और उनमें अधूरेपन की पहचान की गई और ग्राम प्रधान, समुदाय और पंचायत सचिव के साथ चर्चाओं द्वारा जानकारियों को संपूर्ण किया गया।
- ड्राफ्ट योजना को समीक्षा के लिए ग्राम पंचायत को प्रस्तुत किया गया।
- ग्राम पंचायत से प्राप्त अपडेट को सम्मिलित करने के पश्चात, कार्ययोजना को अंतिम रूप प्रदान किया गया और समर्थन के लिए ग्राम पंचायत को प्रस्तुत किया गया।

अनुलग्नक II: उत्तर सहित प्रश्नावली

उत्तर प्रदेश क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत की सर्वे प्रश्नावली

ग्राम पंचायत : बगही विकासखण्ड : नारायनपुर जनपद : मीरजापुर

1. गाँव की रूपरेखा

	विवरण	संख्या (सूचना का स्रोत- समुदाय के सदस्य)
1	राजस्व गाँव की संख्या	01
2	टोलों की संख्या	02
3	A कुल जनसंख्या	2728
	B कुल पुरु"ों की जनसंख्या	1474
	C कुल महिलाओं की जनसंख्या	1254
	D विकलांगजन की जनसंख्या	02
	E कुल बच्चों की जनसंख्या	355
	F वरिष्ठ नागरिक (60 वर्ष से अधिक आयु वर्ग)	400
4	कुल परिवार की संख्या	545
A	गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार की संख्या	56
5	कुल भौगोलिक क्षेत्रफल	331.36 हेक्टेअर
6	A साक्षरता दर	95 प्रतिशत
7	A पक्का घरों की संख्या	538
B	कच्चा घरों की संख्या (मुख्य रूप से उपयोग की गई सामग्री का उल्लेख करें)	07 दीवार ईट की छत टीन की

II सामाजिक आर्थिक

8	ग्राम पंचायत में केवल कृषि (प्रकार) पर आश्रित परिवार	कुल परिवारों की संख्या	
	निजी भूमि/स्वयं की भूमि	266 (लेखपाल से मिले आंकड़े के अनुसार)	
	किराए की भूमि (हुण्डा)	100	
	अनुबंध खेती	00	
	दिहाड़ी मजदूर	00	
	अन्य व्यवस्था (रेहन, अधिया आदि)	50	
	अन्य सूचनाएं/जानकारी (एक से अधिक कृषि गतिविधि में शामिल परिवार, उल्लेख करें)	90 पशुपालन,पोल्ट्री, बकरी	
9	ग्राम पंचायत में आय के स्रोत	कुल परिवारों की संख्या	
	सेवा क्षेत्र (उदाहरण: अध्यापन, बैंक, सरकारी नौकरी आदि)	204	
	कुटीर उद्योग	00	
	कृषि	277	
	कला/हस्तकला	00	
	पशुपालन	06 केवल पशुपालन का व्यवसाय करने वाले परिवार	
	व्यवसाय (स्थानीय दुकान)	05	
	व्यवसाय/उद्यम	12 (ईट भट्ठा)	
	दैनिक/दिहाड़ी मजदूर (अकृषिगत)	60	
	अन्य	00	
10	पलायन	हां	नहीं
A	क्या पिछले पांच वर्षों में आप के ग्राम पंचायत से ग्रामीणों ने पलायन किया है?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
B	पलायन करने वाले स्थान	पिछले पांच वर्षों में पलायन करने वाले परिवार/ व्यक्तिगत की संख्या	पलायन के मुख्य कारण
	अन्य गांव	00	00
	निकट के शहर	00	00
	राज्य के प्रमुख शहर	00	00
	देश के प्रमुख महानगर	00	00
		हां	नहीं

c	क्या पिछले पांच व"र्षों में आप के ग्राम पंचायत में परिवार/व्यक्ति ने प्रवास किए है?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
d	पिछले पांच व"र्षों में आपके ग्राम पंचायत में कितने परिवार प्रवास किए हैं? मुख्य कारण स्प"ट करें।	कोई नहीं	

11 महिलाओं की स्थिति		
a	महिला प्रमुख परिवारों की संख्या (आय का मुख्य स्रोत- महिला)	10
b	खेती में कार्यरत महिला	10
	निजी भूमि/स्वयं की भूमि	10
	किराएकी <u>भूमि/हुण्डा</u>	02 (इनके पास स्वयं की भूमि कम है)
	अनुबंध खेती	00
	दिहाड़ी मजदूर	00
	अन्य व्यवस्था	00
	अन्य सूचनाएं/जानकारी (एक से अधिक कृषि गतिविधि में संलग्न महिलाएं, उल्लेख करें)	
c	नौकरी/अन्य क्षेत्र में कार्यरत महिलाएं	कुल संख्या
	सेवा क्षेत्र (उदाहरण: अध्यापन, बैंक, सरकारी नौकरी आदि)	25
	कुटीर उद्योग	00
	कृषि	10
	कला/हस्तकला	00
	पशुपालन	03 डेयरी से जुड़ी हैं
	व्यवसाय (स्थानीय दुकान)	00
	दैनिक/दिहाड़ी मजदूर (अकृषिगत)	12 पारले जी बिस्कुट कम्पनी में काम करती है।

	अन्य	00
--	------	----

12 स्वयं सहायता समूहों					
	स्वयं सहायता समूह का नाम	सदस्यों की संख्या	अपनायी गई गतिविधियाँ	वार्षिक बचत (₹0)	बैंकों से जुड़ाव/अजुड़ाव
1	सरस्वती आजीविका समूह	12	बचत	14400	जुड़ाव है।
2	दुर्गा आजीविका	11	,,	5220	,,
3	षीतला आजीविका	12	६,,	14400	,,
4	पूजा आजीविका	12	,,	5220	,,
5	उजाला आजीविका	12	,,	5220	,,
6	गंगा आजीविका	12	,,	5220	,,
7	लक्ष्मी आजीविका	12	,,	5220	,,
8	प्रिया आजीविका	13	,,	6240	,,
9	चांद आजीविका	13	,,	6240	,,

13 कृषक उत्पादक संगठन (एफ0पी0ओ0)						
	एफ0पी0ओ0 का नाम	क्या इस संगठन की प्रमुख महिला हैं?	प्रत्येक एफ0पी0ओ0 में सदस्यों की संख्या	एफ0पी0ओ0 से प्राप्त वार्षिक राजस्व/ बचत	कृषि उत्पाद	पोस्ट हार्वेस्ट की गतिविधियाँ/ गतिविधियों का क्षेत्र
1	रानी सोनवा किसान उत्पादक समूह	नहीं	300	नवगठित		
		<input type="checkbox"/>				
		<input type="checkbox"/>				
		<input type="checkbox"/>				
		<input type="checkbox"/>				

14 अन्य समुदाय आधारितसंगठन/						
	सामाजिक संगठन/ समितियों के नाम	क्या महिला प्रमुख संगठन/समिति हैं?	सदस्यों की संख्या	प्राप्त वार्षिक राजस्व/बचत	उत्पाद/सेवा	विपणन/लक्षित उपभोगकर्ता
	00	<input type="checkbox"/>	00	00	00	00
	00	<input type="checkbox"/>	00	00	00	00
	00	<input type="checkbox"/>	00	00	00	00
	00	<input type="checkbox"/>	00	00	00	00

15 योजनाएं						
	A योजना के नाम	पंजीकृत लाभार्थी की संख्या	लाभ प्राप्त लाभार्थियों की संख्या	विगत वर्ष ग्राम पंचायत में प्राप्त कुल भुगतान (रु०)	अन्य कोई बकाया (रु०)	की गई गतिविधियाँ /कार्य
	मनरेगा	400	50	1,75000	00	सड़क निर्माण
	प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना/एन.एफ.एस. ए.	333	333	00	00	राशन वितरण
I	प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना	80	80	00	00	गैस सिलिन्डर वितरण
	प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना	20	20	00	00	बोरिंग
	प्रधान मंत्री कुसुम योजना	25	25	रु 625000	00	खेतों पर सोलर पैनल लगवाया
	B अन्य योजनाएं					
	ग्राम उज्ज्वला योजना	50	00	00	00	
	ऊर्जा दक्षता योजना	00	00	00	00	
	प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम	00	00	00	00	00

	प्रधानमंत्री आवास योजना	00	00	00	00	00
	सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पी0डी0एस0)	425	425	00	00	00
	कम्प्यूटर प्रशिक्षण कार्यक्रम	00	00	00	00	00
	उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन	00	00	00	00	00
	राष्ट्रीय कौशल विकास योजना (RKVY)	00		00	00	00
	मौसम आधारित फसल बीमा	00	00	00	00	00
	प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना(PMFBY)	125	125		बीमित फसल के स्थान पर अन्य फसल बोने वाले 93 किसानों का लगभग 120900	00
	मृदा स्वास्थ्य कार्ड	509	509	00	रु2,12,500.00	00
	किसान क्रेडिट कार्ड	204	204	00	00	00
	स्वच्छ भारत मिशन	250	248	2976000	00	शौचालय निर्माण
	सौर सिंचाई पम्प योजना	00	00	00	00	00
	नई/नवीन भारतीय बायोगैस व कार्बनिक खाद कार्यक्रम	00	00	00	00	00
	विकेन्द्रित अनाज क्रय केन्द्र योजना	00	00	00	00	00
	गोवर्धन योजना	00	00	00	00	00
	जल पुनर्भरण योजना	00	00	00	00	00
	रेनवाटर हार्वेस्टिंग	01	01	सांसद निधि	ज्ञात नहीं	विद्यालय
	समन्वित वाटरशेड विकास कार्यक्रम	00	00	00	00	00

	अन्य वाटरशेड विकास योजनाएं	00	00	00	00	00
	अन्य (एक जिला-एक उत्पाद, मेक इन इण्डिया, अन्य)	00	00	00	00	00
	उद्यमितता सहायतित योजनाएं आदि	00	00	00	00	00

16	सक्रिय बैंक खाताधारकों की संख्या	800
17	ई-बैंकिंग/डिजीटल भुगतान एप/यू.पी.आई आदि से भुगतान करने वाले खाताधारकों की संख्या	430

8	निकट कृषि बाजार/क्रय केन्द्र/सरकारी केंद्र	क्या ग्राम पंचायत द्वारा बाजार/क्रय केन्द्र का उपयोग होता है		यदि नहीं, तो बाजार/केन्द्र का उपयोग क्यों नहीं किया जाता	उत्पादित फसल(कु0)	बिक्री हुई फसल (कु0)	ग्राम पंचायत से दूरी (यदि ग्राम पंचायत से दूर है) (कि0मी0)
		हां	नहीं				
	साधन सहकारी समिति	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		मूंगफली 846 कु0 बाजरा 500 कु0 मक्का 900 कु0 मूंग 175 कु0	300 कु0 100 कु0 400 कु0 60 कु0	5 किमी
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		गेहू 2400 कु0 मटर 160 कु0	2400कु0 60 कु0	

					चना-100 कु0	00	
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		सरसों- 200 कु0	50 से 60 कु0	
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				

19 शिक्षा (केवल ग्राम पंचायत में)							
	प्रकार/स्तर	उपलब्ध छत का क्षेत्रफल (वर्ग मी0)	कुल नामांकित विद्यार्थियों की संख्या	विगत वर्ष में कुल ड्राप आऊट विद्यार्थियों की संख्या	ड्राप आऊट के मुख्यकारण(स्वास्थ्य (1), पहुँच/उपलब्धता-(2), आर्थिक समस्या-(3), अन्य- (4) उल्लेख करें)		
A	प्राथमिक विद्यालय	1250 वर्गमी	40	00	अंग्रेजी माध्यम प्राइवेट विद्यालय का बढ़ता प्रचलन, 4 किमी के दायरे में 08 अंग्रेजी स्कूल हैं जहां गांव के अधिकांश बच्चे पढ़ते हैं।		
		750वर्ग मी	33	00			
b	जू0 हाई स्कूल	2193 वर्ग मी	36				
c	हाई स्कूल						

	d	अन्य संस्थान				

20	कौशल विकास/व्यवसायिक प्रशिक्षण/पुनः कौशल संस्थान (केवल ग्राम पंचायत में)	उपलब्ध छत का क्षेत्रफल (वर्ग मी0)	संस्थान के प्रकार (सरकारी 1, निजी 2)	नामांकित व्यक्तियों की संख्या	नामांकित व्यक्तियों की आयु
	00	00	00	00	00
	नहीं है।				

21	राज्य/राष्ट्रीय राजमार्ग की उपलब्धता			
	राजमार्ग का नाम	राज्य मार्ग 1, राष्ट्रीय राजमार्ग 2	ग्राम पंचायत से दूरी	सम्पर्क मार्ग की स्थिति अच्छा (1), खराब (2), घटिया (3), सबसे घटिया (4)
	कबरई वाराणसी एन एच 35	02	4.5 किमी	2

III. भूमि संसाधनों संबंधित सूचनाएं/जानकारी

22	वन भूमि का विवरण	
A	वन का क्षेत्र	00
B	वन विभाग द्वारा अधिसूचित क्षेत्र	00
C	सार्वजनिक उपयोग हेतु उपलब्ध वन क्षेत्र	00
D	कितने क्षेत्र पर अतिक्रमण है?	00
E	विगत पांच वर्षों में कोई वन उन्मूलन/वन कटाई की गतिविधियां	00
F	अनुमानित वन उन्मूलन/वन कटाई का क्षेत्रफल (एकड़)	00

23	अन्य भूमि का वर्गीकरण		
A	ग्राम पंचायत के पास ग्राम सभा की कितनी भूमि उपलब्ध है?	7.5 हेक्टेअर	
B	कितनी भूमि पर अतिक्रमण है? (एकड़)	अज्ञात	
C	ग्राम पंचायत में खनन गतिविधियां	हां <input checked="" type="checkbox"/>	नहीं <input type="checkbox"/> आच्छादित क्षेत्रफल
	खनन के प्रकार बालू खनन 1, खनिज खनन—(उल्लेख करें) 2, अन्य (उल्लेख करें) 3	1 (बालू खनन)	
	अतिरिक्त सूचनाएं	किसी भी स्रोत से अतिक्रमण किया गया ग्राम पंचायत की भूमि का विवरण नहीं प्राप्त हो सका।	

24	जल निकाय क्षेत्र		
	विवरण	हां	नहीं
A	क्या आप के ग्राम पंचायत में जल निकाय क्षेत्र है?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
B	ग्राम पंचायत में कुल जल निकाय क्षेत्रों की संख्या	2	
C	क्या जल निकाय क्षेत्र में अतिक्रमण है?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

D	जल निकाय क्षेत्र में अतिक्रमण कब से है?	25 वर्ष
E	क्या जल निकाय क्षेत्र के आस-पास के भूमि पर अतिक्रमण किया गया है?	<input checked="" type="checkbox"/>

25	जल आपूर्ति	
a	ग्राम पंचायत में घरों हेतु जल आपूर्ति का मुख्य स्रोत क्या है? नहर (1) वर्षा जल-(2) भूमिगत जल-(3) तालाब/झील-(4) अन्य- (5)	3 भूमिगत जल
b	क्या उपरोक्त जल आपूर्ति के स्रोत मौसमी या बारहमासी हैं?	बारहमासी
c	घरों में जल आपूर्ति कैसे होती है? पाइप जलापूर्ति (1) ग्राम पंचायत में सामान्य संग्रह केन्द्र (2) पानी टंकी (3) महिलाओं/बच्चों द्वारा दूर से लाया गया (4) हैण्डपम्प (5) ऊँचा सतही जलाशय (6) कूआ (7) अन्य (8), उल्लेखित करें।	(1) (3) (5)

	अगर 4 है, तो कितनी दूर से लाया जा रहा है?	
d	कितने घरों में जलापूर्ति पाइप से है?	150
e	क्या पानी का बहाव/प्रवाह दर कम, अधिक या संतोषजनक है?	संतोषजनक
f	पाइप जलापूर्ति की नियमितता 24× 7 घण्टे(1) काफी नियमित (2) अनियमित (3)	2
g	ग्राम पंचायत में कृषि सिंचाई हेतु जल आपूर्ति का मुख्य स्रोत क्या है? नहर (1) वर्षा जल (2) भूमिगत जल – (नलकूप (3A), कुंआ (3B)) तालाब/झील (4) पानी टैंक (5) नदी (6) अन्य (7)	(2) (3 A), (6)
h	क्या उपरोक्त जल आपूर्ति स्रोत मौसमी या बारहमासी है?	बारहमासी
i	क्या जलापूर्ति का बहाव/प्रवाह दर कम/ अधिक या संतोषजनक है?	संतोषजनक
J	अतिरिक्त जानकारी (उदाहरण : क्या घरेलू कृषि व संबंधित गतिविधियों,	

	<p>उद्योगों आदि के लिए जल आपूर्ति पर्याप्त है। (उद्योगों आदि के लिए जल आपूर्ति पर्याप्त है)</p> <p>क्या विगत वर्षों में भूजल, नदी या नहर से जल की उपलब्धता बढ़ी/घटी या सूख गया?</p> <p>क्या सूखे या गर्मी के मौसम में पानी की टंकियों का उपयोग बढ़ जाता है?</p>	<p>हां</p> <p>2005 में जरगो नदी सूख गयी थी तथा जल की उपलब्धता घटी है।</p> <p>हां</p>

IV. जलवायु की धारणा

तापमान व वर्षा में प्रमुख परिवर्तन/बदलाव				
26				
A	गर्मी के माह में देखा गया			
B	गर्मी के तापमान में देखे गए बदलाव (पिछले पांच वर्षों में)	गर्म दिनों में वृद्धि	गर्म दिनों में कमी	गर्म दिनों में कोई परिवर्तन नहीं
		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
C	दिनों की संख्या	25 से 30 दिन		
D	अन्य सूचनाएं (गर्मी माह में कोई परिवर्तन)	रात कभी बहुत ठण्डी, सुबह गर्मी या उमस भरा		
27				
A	सर्दी के माह में महसूस किया गया			
B	सर्दियों के तापमान में कोई परिवर्तन पाया गया (विगत पांच वर्षों में)	ठण्ड दिनों में वृद्धि	ठण्ड दिनों में कमी	ठण्ड दिनों में कोई परिवर्तन नहीं
		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
C	दिनों की संख्या		15 से 20 दिन	
D	अन्य सूचनाएं (सर्दी माह में कोई परिवर्तन)	अचानक कभी तापमान में परिवर्तन		
28				
A	मानसून माह में महसूस किया गया	षु"क दिवस		
B	मानसून ऋतु की वर्षा में कोई परिवर्तन देखा गया (विगत पांच वर्षों में)	वर्षा के दिनों में वृद्धि	वर्षा के दिनों में कमी	वर्षा के दिनों में कोई परिवर्तन नहीं
		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
C	दिनों की संख्या		40 से 50 दिन	
D	अन्य सूचनाएं (मानसून माह में कोई परिवर्तन)	देर से वर्षा		

29				
A	क्या गैर मानसून ऋतु की वर्षा में परिवर्तन हुआ है? (विगत पांच वर्षों में)	वर्षा के दिनों में वृद्धि	वर्षा के दिनों में कमी	वर्षा के दिनों में कोई परिवर्तन नहीं
		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
B	ग्री"म ऋतु की वर्षा में देखे गये परिवर्तन	वर्षा दिनों में वृद्धि	वर्षा दिनों में कमी	वर्षा के दिनों में कोई परिवर्तन नहीं
		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
C	दिनों की संख्या		8 से 10 दिन	
D	षरद ऋतु की वर्षा में देखे गये परिवर्तन	वर्षा के दिनों में वृद्धि	वर्षा के दिनों में कमी	वर्षा के दिनों में कोई परिवर्तन नहीं
		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
E	दिनों की संख्या		15 दिन	
F	अन्य सूचनाएँ/जानकारी	प्रत्येक मौसम में अनिश्चित वर्षा कुल मिलाकर केवल 50 से 80 दिन तक वर्षा काल रहता है।		

चरम मौसम की घटनाएं

30 सूखा						
a	सूखे की घटना	प्रथम वर्ष (2022)	द्वितीय वर्ष (2021)	तृतीय वर्ष (2020)	चतुर्थ वर्ष (2019)	पंचम वर्ष (2018)
		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
b	किस माह में सूखा देखा गया	जून, जुलाई	जुलाई, अगस्त	जुलाई अगस्त	अगस्त से सितम्बर	जुलाई

C	सूखे का प्रबन्धन कैसे किया गया (सरकारी सहायता, निजी सहायता, कुएं खोदा आदि)	घरेलू स्तर पर प्रबन्धन एन एच 35 में चल रहे सड़क निर्माण में मजदूरी किया। बगहीं एवं आस पास के गांव में चल रहे मनरेगा में तालाब, एवं रास्ते पर मिट्टी डालने का कार्य किया। परसोधा में स्कूल भवन निर्माण में कार्य किया गया।			कृषि स्तर पर प्रबन्धन केवल मूंगफली, बाजरा, मक्का बोया, कम क्षेत्रफल पर खेती। ट्यूबेल, निजी सिंचाई व्यवस्था किया।	
D	सूखे की आवृत्ति : सूखे की घटना (पिछले पांच वर्षों में)	वृद्धि <input checked="" type="checkbox"/>	कमी <input type="checkbox"/>	कोई परिवर्तन नहीं <input type="checkbox"/>		
E	अतिरिक्त सूचना कोई पुरानी प्रमुख घटना-1, स्वास्थ्य पर प्रभाव-2	1996,2005 की भयावह दृष्य, गाय, सहित कई मवेशी मर गये चारा संकट हैजा, बुखार से हर घर				

		पीड़ित हुआ।				
31	बाढ़					
	बाढ़ की घटना	प्रथम वर्ष (2022)	द्वितीय वर्ष (2021)	तृतीय वर्ष (2020)	चतुर्थ वर्ष (2019)	पंचम वर्ष (2018)
		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	b किस माह में बाढ़ देखा गया	अगस्त के अन्तिम सप्ताह से सितम्बर तक	जुलाई के अन्तिम में	जुलाई में बरसात के प्रारम्भ होते ही	अगस्त में	अगस्त में
	c बाढ़ का प्रबन्धन कैसे किया गया (सरकारी सहायता, निजी सहायता आदि)	घरेलू स्तर पर प्रबन्धन सभी लोग मिलकर नाव और नाविक का प्रबन्ध कर आवागमन अबाध रखने की कोशिश करते हैं।, नाविकों, गांव में सेवा दे रहे लोगों का खाने रहने का प्रबन्ध गांव की ओर से होता है।			कृषि स्तर पर प्रबन्धन फसल मुआवजा	
	d बाढ़ की आवृत्ति : बाढ़ की घटना (पिछले पांच वर्षों में)	वृद्धि	कमी	कोई परिवर्तन नहीं		
		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	e अतिरिक्त सूचना कोई पुरानी प्रमुख घटना-1, स्वास्थ्य पर प्रभाव-2	2 संकामक रोग का प्रकोप गांव में हैजा, मलेरिया, और खुजली से लोग बड़ी संख्या में पीड़ित हो जाते हैं।				

32 भूस्खलन						
A	भूस्खलन की घटना	प्रथम वर्ष (2022)	द्वितीय वर्ष (2021)	तृतीय वर्ष (2020)	चतुर्थ वर्ष (2019)	पंचम वर्ष (2018)
	
B	किस माह में भूस्खलन देखी गई	00	00	00	00	00
C	भूस्खलन का प्रबन्धन कैसे किया गया (सरकारी सहायता, निजी सहायता आदि)	घरेलू स्तर पर प्रबन्धन 00			कृषि स्तर पर प्रबन्धन 00	
d	भूस्खलन की आवृत्ति : भूस्खलन की घटना (पिछले पांच वर्षों में)	वृद्धि	कमी	कोई परिवर्तन नहीं		
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
e	अतिरिक्त सूचना कोई पुरानी प्रमुख घटना-1, स्वास्थ्य पर प्रभाव-2					
33 ओलावृष्टि						
.	ओलावृष्टि की घटना	प्रथम वर्ष (2022)	द्वितीय वर्ष (2021)	तृतीय वर्ष (2020)	चतुर्थ वर्ष (2019)	पंचम वर्ष (2018)
		☑	☑	☑	☑	☑
b	किस माह में ओलावृष्टि हुई	फरवरी एवं मार्च में	फरवरी	अक्टूबर	मार्च	दिसम्बर
c	ओलावृष्टि का प्रबन्धन कैसे किया गया (सरकारी सहायता, निजी सहायता आदि)	घरेलू स्तर पर प्रबन्धन पशुओं को यथासंभव बचाने हेतु सतर्कता रखते हैं।			कृषि स्तर पर प्रबन्धन मुआवजा	

	d ओलावृष्टि की आवृत्ति : ओलावृष्टि की घटना (पिछले पांच वर्षों में)	वृद्धि	कमी	कोई परिवर्तन नहीं		
		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
34 फसलों के कीट/बीमारी						
	a कीट/बीमारी की घटनाक्रम	प्रथम वर्ष (2022)	द्वितीय वर्ष (2021)	तृतीय वर्ष (2020)	चतुर्थ वर्ष (2019)	पंचम वर्ष (2018)
		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	b किस माह में कीट/बीमारी को देखा गया?	अगस्त , सितम्बर	फरवरी मार्च	जनवरी	दिसम्बर जनवरी	फरवरी मार्च
	c किस प्रकार के कीट/बीमारी को देखा गया?	तना छेदक, और फल में सड़न	माहो सफेद मक्खी पत्ता चूसक	पत्तों पर दाग और पीलापन	सरसों के फूलों का झड़ना	माहो सफेद मक्खी पत्ते में घुरचा लगना।
	क कीट/बीमारी का प्रबन्धन कैसे किया गया? (सरकारी सहायता, निजी सहायता आदि)	निजी स्तर पर दवा का छिड़काव, कीटनाशक दवा एवं खरपतवार नाशक दवाओं हेतु जानकारों एवं कम्पनी के एजेन्ट से सम्पर्क कर सम्बन्धित दवाओं की खरीद किया गया।				
	म कीट/बीमारी की आवृत्ति : कीट बीमारी का घटनाक्रम (पिछले पांच वर्षों में)	वृद्धि	कमी	कोई परिवर्तन नहीं		
		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		

	अतिरिक्त जानकारी/सूचनाएं	हर साल नये कीट आ रहे हैं				
--	--------------------------	--------------------------	--	--	--	--

35 ग्राम पंचायत में आपदा की तैयारी					
	आपदा तैयारी के उपाय	ग्राम पंचायत स्तर पर क्या आपदा प्रबन्धन/तैयारी के उपाय उपलब्ध हैं?		क्या ग्रामीणों तक इसकी पहुँच/उपलब्धता है?	
		हां	नहीं	हां	नहीं
	ग्राम आपदा प्रबन्धन योजना	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	ग्राम आपदा प्रबन्धन समिति	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	पूर्व चेतावनी प्रणाली/मौसमी चेतावनी प्रणाली/कृषि चेतावनी प्रणाली	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	आपातकाल अनाज बैंक	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	अन्य	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

36 अनाज भण्डारण		
	A ग्राम पंचायत के आपातकालीन खाद्य/अनाज बैंक में किस प्रकार का भोजन भण्डारित किया जाता है?	
	अनाज (विवरण दें)	00
	तेल	00
	चीनी	00
	अन्य खाद्य पदार्थ – उल्लेख करें	00
	B क्या ग्राम पंचायत में शीतगृह है, अगर है तो उसकी क्षमता क्या है?	नहीं

37 ग्राम पंचायत में मौसम की चेतावनी, पूर्व चेतावनी प्रणाली, कृषि आधारित चेतावनी के लिए उपलब्ध जानकारी के स्रोत	
स्थानीय कृषि अधिकारी	
समाचार पत्र/समाचार/रेडियो	<input checked="" type="checkbox"/>

	मोबाईल फोन/एप	<input checked="" type="checkbox"/>				
	मौखिक					
	कृषि विज्ञान केन्द्र/कृषि ज्ञान केन्द्र					
	पशुपालन विभाग					
	उद्यान विभाग					
	अन्य					
कृषि एवं संबंधित गतिविधियों पर प्रभाव (विगत पांच वर्षों में)						
38	फसल हानि					
A	घटना का वर्ष	हानि की ऋतु/मौसम खरीफ (1) रबी (2) जायद/अन्य ऋतु (3)	फसल का नाम	हानि के कारण रोग, चरम, घटनाक्रम— गर्मी, ठण्ड, वर्षा, ओलावृष्टि, मिट्टी आदि	अनुमानित हानि की मात्रा (कुन्तल)	परिणाम स्वरूप आय में हानि (औसत रु०)
	प्रथम वर्ष (2022)	1 2	मूंगफली मूंग बाजरा मक्का गेहूं सरसों चना मटर	बाढ़ ओलावृष्टि	719 198 425 765 1920 160 80 96	3055750 943500 541875 130500 2534400 960000 288000 192000
	द्वितीय वर्ष (2021)	1,2	मूंगफली मूंग बाजरा मक्का गेहूं सरसों चना	बाढ़ ओलावृष्टि	846 175 500 900 2115 200 160	359550 1115625 510000 1147500 2491800 640000 480000
	तृतीय वर्ष (2020)	1,2	मूंगफली मूंग	बाढ़	1500 200	7012500 127500

				बाजरा मक्का गेहूं सरसों	ओलावृष्टि	200 404 1000 800	204000 686800 660000 288000
	चतुर्थ वर्ष (2019)	1,2		मूंगफली मूंग बाजरा मक्का गेहूँ सरसो	बाढ़ ओला एवं तेज हवा	800 50 71 100 2115 1200	2720000 340000 90525 170000 1776600 720000
	पंचवां वर्ष (2018)	1		मूंगफली, मूंग, मक्का, बाजरा गेहूँ सरसों	बाढ़ रोग एवं असमय बरसात	886 250 86 190 1000 93	3012400 1487500 95030 161500 900000 162750
	b क्या आप फसल बीमा के बारे में जानते हैं?	हां		नहीं			
		<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>			
	अतिरिक्त जानकारी (फसल बीमा के लाभार्थी- बड़े किसान, लघु एवं सीमान्त किसान आदि) फसल बीमा लाभार्थी का संतुष्टि स्तर क्या है?	जिसका सही बीमा हो फसल बीमा के लाभार्थी दोनो प्रकार के किसान मिले। विशेष बात संज्ञान में आया कि कई बार किसान जिस फसल का बीमा कराया मौसम प्रतिकूल देख बीमित फसल के स्थान पर मौसम के अनुकूल फसल लगा दिया, नियमानुसार उस फसल की गणना नहीं होती अतः उन्हें मुआवजा नहीं मिलता।					
		असन्तुष्ट					

39 फसल पद्धति में बदलाव					
A	सामान्य फसल हां	खरीफ <input checked="" type="checkbox"/>	श्रबी <input checked="" type="checkbox"/>	जायद/अन्य ऋतु <input checked="" type="checkbox"/>	
B	फसल का नाम	पारम्परिक बोआई का समय	विगत 5 वर्षों में बोआई के समय में परिवर्तन हुआ है/देखा ठे	अभी बोआई का समय	परिवर्तन के कारण
	मक्का	जून अन्तिम सप्ताह से 15 जुलाई	अब बोवाई लेट हो रही हैं	जुलाई से अगस्त	अनियमित वर्षा, बीज का समय से ना मिलना, जुता ई समय पर ना हो पाना
	बाजरा	जून अन्तिम सप्ताह से 15 जुलाई	अब बोवाई लेट हो रही हैं	जुलाई से अगस्त	अनियमित वर्षा, बीज का समय से ना मिलना, जुता ई समय पर ना हो पाना
	मूंग	जून अन्तिम सप्ताह से 15 जुलाई	अब बोवाई लेट हो रही हैं	जुलाई से अगस्त	अनियमित वर्षा, बीज का समय से ना मिलना, जुता ई समय पर ना हो पाना
	मूंगफली	जून अन्तिम सप्ताह से 15 जुलाई	अब बोवाई लेट हो रही हैं	जुलाई से अगस्त	अनियमित वर्षा,
	गेंहू	नवम्बर	नवम्बर अन्तिम से दिसम्बर मध्य तक		खरीफ के फसल का लेट हो से खेत का खाली ना होना

	C	अन्य सूचना / जानकारी (विलुप्त फसल / प्रजाति आदि उल्लेख करें)	मोटे अनाज, सावा, काकून, मेड़ो, मेझरी, चीना, मडूवा ।		

40 सिंचाई प्रणाली / पद्धति में परिवर्तन						
	A	फसल का नाम	वर्तमान में सिंचाई पद्धति का उपयोग फव्वारा सिंचाई (1), टपक विधि (2), नहर (3), वर्षा आधारित (4), पारम्परिक (5), अन्य (6) (उल्लेखित करें)	वर्तमान में उपयोग किए गए पानी की मात्रा (रुपया / एकड़)	पूर्व में सिंचाई विधि / पद्धति का उपयोग फव्वारा सिंचाई (1), टपक विधि (2), नहर (3), वर्षा आधारित (4), पारम्परिक (5), अन्य (6) (उल्लेखित करें)	पूर्व में उपयोग किए गए पानी की मात्रा (रुपया / एकड़)
		मक्का बाजरा, मुंगफली मुंग	प्रारम्भ में ट्यूबवेल, सरकारी नलकूप 3	रु650	2, नदी,	रु200 से 250
		गेहूं	नलकूप,	रु1500	..	रु400
		चना	..	रु1280		रु 350
	B	ग्राम पंचायत में सिंचाई हेतु पम्पों की संख्या	डीजल आधारित	विद्युत आधारित	6 डीजल आधारित 4 वर्षा आधारित	पारम्परिक सिंचाई विधियां
			15	21	00	00
	C	अन्य सूचनाएं / जानकारी अगर कोई है	सिंचाई अधिकतर निजी एवं सरकारी नलकूपों से होता है।			

41 पशु पालन/पशुधन						
	ग्राम पंचायत में प्रचलित पशुधन और पशुपालन सम्बन्धित गतिविधियां श्रेणी : A डेयरी (1) मुर्गी पालन (2) मत्स्य पालन (3) सूअर पालन (4) मधुमक्खी पालन (5) अन्य- स्पष्ट करें (6)	1 2 बकरी	दुग्ध उत्पादन विक्रय विक्रय			
	B डेयरी पर प्रभाव	पशु हानि गाय (1) भैंस (2) अन्य (3)	पशु हानि की संख्या (प्रत्येक पशु को उल्लेख करें)	हानि के कारण (रोग, आयु, दुर्घटना आदि)	हानि का मौसम	उत्पादकता में कोई परिवर्तन देखा गया? वृद्धि (1) कमी (2) परिवर्तन नहीं (3)
	प्रथम वर्ष (2022)	(1)(3)	02 गाय	बाढ़ से रोग	अगस्त	2
	द्वितीय वर्ष (2021)	00	00	00		00
	तृतीय वर्ष (2020)	(1)(2)	8 गाय 3 भैंस	आयु कोरोना	नवम्बर	2
	चतुर्थ वर्ष (2019)	00	00	000	00	
	पंचम वर्ष (2018)	(1)(2)	04, गाय बछड़े 1 भैंस	बाढ़	सितम्बर	2
	अन्य जानकारी / सूचनाएं	बाढ़ आने के बाद लोग अपने पशु लेकर शिवषंकरी धाम चले जाते हैं।				
	C मुर्गी पालन पर प्रभाव	पक्षी हानि मुर्गी (1) बत्तख (2) अन्य (3)	पक्षी हानि की संख्या (प्रत्येक पक्षी का उल्लेख करें)	हानि के कारण	हानि के मौसम / ऋतु	उत्पादकता में कोई परिवर्तन पाया गया है? वृद्धि (1) कमी (2)

						परिवर्तन नहीं (3)
	प्रथम वर्ष (2022)	1	150 से 170	बर्डफ्लू	फरवरी	3
	द्वितीय वर्ष(2021)	1	230	अज्ञात	मई	3
	तृतीय वर्ष (2020)	1	32	ब्रोकाइटिस	दिसम्बर	2
	चतुर्थ वर्ष(2019)	1	103	चेचक	मार्च	2
	पंचम वर्ष(2018)	1	09	डायरिया	अगस्त	3
	अन्य जानकारी / सूचनाएं	मुर्गियों में बीमारियों को रोकने के प्रति पालक गम्भीर होते हैं क्यो कि हानि की सम्भावना अधिक होती है।				
D	अन्य पशुओं पर प्रभाव	पशु हानि (कृपया निर्दिष्ट करें कि कौन से हैं)	पशु हानि की संख्या (प्रत्येक पशु का उल्लेख करें)	हानि के कारण	हानि की ऋतु	उत्पादकता में कोई परिवर्तन पाया गया है? वृद्धि (1) कमी (2) परिवर्तन नहीं (3)
	प्रथम वर्ष (2022)					
	द्वितीय वर्ष(2021)					
	तृतीय वर्ष (2022)	बकरी	40से 50	अज्ञात	मार्च से अक्टूबर	(3)
	चतुर्थ वर्ष(2019)					
	पंचम वर्ष(2018)					
	अन्य जानकारी / सूचनाएं	गांव के लोग गाय भैंस और बकरी ही पालते हैं।				

V. कृषि व पशुपालन

42 a		प्रमुख उगाई जाने वाले फसलों व सम्बन्धित सूचनाएं/जानकारी									
		उर्वरक उपयोग			कीटनाशक उपयोग			खरपतवारनाशी			
फसल (अनाज, तिलहन, दलहन, उद्यान एवं फूल आदि)	ऋतु / मौसम	उपज (कु0)	उर्वरक के प्रकार	औसत प्रयुक्त मात्रा (किग्रा0 / एकड़)	क्या विगत पांच वर्षों में उपयोग किये गये उर्वरकों की मात्रा में वृद्धि (1) कमी (2) परिवर्तन नहीं है (3)	कीटनाशकों के प्रकार	औसत प्रयुक्त मात्रा (किग्रा / एकड़)	क्या विगत पांच वर्षों में उपयोग किये गये कीटनाशकों की मात्रा में वृद्धि (1) कमी (2) परिवर्तन नहीं है (3)	खरपतवारनाशी के प्रकार	औसत प्रयुक्त मात्रा (किग्रा / एकड़)	क्या विगत पांच वर्षों में उपयोग किये गये खरपतवार की मात्रा में वृद्धि (1) कमी (2) परिवर्तन नहीं है (3)
गेहूँ	सर्दी के मौसम	10 से 15 एकड़	यूरिया डी ए पी	50 किग्रा 40 किग्रा	(1)	क्लोरोपाइरी फास, ब्यूबेरियाबैस पीयाना, डाइमैथोएट, एजाडिरेक्ट न	3 मिली 2 किग्रा 200 ग्राम	(1)	एटलान्टिस नामिनीगोल्ड	3 किग्रा	(1)
मक्का	बरसात	10 से 15 एकड़	डी ए पी यूरिया	40 से 50 किला गाम	1	इमामेक्टन बेजोएट	50 मिली	1	एट्राजीन लाउडिस	800 ग्राम	1

	<p>क्या फसल अवशेष प्रबन्धन की योजनाओं को जानते / जागरूक है? (नहीं)</p>		नहीं
	<p>अगर नहीं तो, कब से जलाना आरम्भ किया</p>		00
	<p>क्या यह फसल अवशेष पूर्व में जलाये जाते थे</p>		00
	<p>जलाये गये खेतों का कुल क्षेत्रफल (एकड़)</p>		00
	<p>नहीं</p>	<input checked="" type="checkbox"/>	
	<p>हां <input type="checkbox"/></p>		
<p>b</p>	<p>क्या ग्राम पंचायत में फसल अवशेष जलाये जाते हैं</p>		नहीं

43 जैविक खेती सम्बन्धित गतिविधियां					
फसल	क्षेत्रफल	प्रति फसल आय (₹0 / कुन्तल)	बिक्री हेतु बाजार	तृतीय पक्ष द्वारा प्रमाणित / सत्यापित	
मूंग	15 एकड़	4500	बनारस, स्थानीय बाजार	नही	
मूंगफली	15 एकड़	270000			

44 अन्य स्थाई खेती सम्बन्धी गतिविधियां (जैसे शून्य / जीरो बजट प्राकृतिक खेती)					
फसल	स्थायी गतिविधियां (शून्य जुताई, मल्लिंग, फसल चक्र, अर्न्तःफसलें, वर्मी कम्पोस्ट, कम्पोस्ट, मिश्रित फसले, प्राकृतिक कीट प्रबन्धन, जैव पदार्थ में वृद्धि आदि)	क्षेत्रफल (एकड़)	प्रति फसल प्राप्त आय (रूपया)		
कंकनी	अर्न्तःफसलें	3 एकड़	8000		

45 कृषि वानिकी, सामाजिक वानिकी, परती भूमि विकास और अन्य वृक्षारोपण गतिविधियां										
पौध रोपण गतिविधियत के प्रकार	आच्छादि क्षेत्रफल	स्थान	योजना अन्तर्गत	मोनोकलचर (1), मिश्रित प्रजाति (2)	रोपित प्रजाति यां	आरम्भ दिनांक	सफलता (प्रतिशत)	कृषि वानिकी गतिविधियों के लाभ तक लोगों की पहुंच / अवसर	पिछले 10 वर्षों में पहुंच / अवसर में परिवर्तन, वृद्धि (1), कमी (2), कोई परिवर्तन नहीं (3)	परिवर्तन के कारण— लाभ में वृद्धि (1), लाभ में कमी(2)प्रजाति सम्बन्धित (3), वन उन्मूलन (4) अन्य (5)— उल्लेख करें
			राष्ट्रीय कृषि वानिकी मिशन (1), समन्वित वाटरशेड प्रबन्धन कार्यक्रम (2), वर्षा आधारित क्षेत्र कार्यक्रम (3), मनरेगा (4), वृक्षारोपण जन आन्दोलन (5), अन्य (6)— उल्लेख करें			20 जुलाई 2022	20 प्रतिशत	00	3	2
फलदार	5 एकड़	गंगा के किनारे	6 नमामि गंगे							

46 अपनाये गये स्थायी पशुधन प्रबन्धन तकनीके			
पशुधन के प्रकार	ग्राम पंचायत में कुल संख्या (लगभग)	अपनाई गई गतिविधियां (चारा में परिवर्तन, पोषण पूरक अर्थात् पशुआहार, खुले में चराई आदि)	प्राप्त/उत्पादित आय प्रति पशुधन (प्रतिमाह /बेचने पर)
गाय (देशी नस्ल)	33	पुष्प आहार पोषण पूरक आहार	घरेलू उपयोग
गाय (संकर नस्ल)	300	„ पोषण पूरक आहार	5 से 6 हजार
भैंस (देशी नस्ल)	400	पोषण पूरक आहार	
भैंस (संकर नस्ल)	650	„ पोषण पूरक आहार	15 से 20 हजार
बकरी	150	„ पोषण पूरक आहार	4 से 5 हजार
सुअर			
मुर्गी	1 लाख पचास हजार	पोषण पूरक आहार	3 लाख सलाना
मत्स्य			
अन्य			

VI स्वच्छता एवं स्वास्थ्य

47 जल की गुणवत्ता (पेयजल या नल जल से आपूर्ति परिवार)							
A	आपूर्ति किये जाने वाले पानी की गुणवत्ता कैसी है?	उपयुक्त	अनुपयुक्त				
		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
B	जल का स्वाद कैसा लगता है?	तीक्ष्ण	नमकीन	सामान्य			
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			
C	आपूर्ति होने वाले जल में सामान्यतः	नमकीन	गन्दा	मटमैला	बालू@कीचड़	गन्ध	

	दूषित पदार्थ क्या है?						
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
D	जल को शुद्ध करने के लिए आप किस विधि का प्रयोग करते हैं?	उबालकर	जल शोधक	आयोडीन / फिटकरी मिलाकर	सौर शुद्धीकरण	क्ले वेसल फिल्ट्रेशन	अन्य, (कृपया उल्लेख करें)
		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	फिल्टर करके

48 ठोस अपशिष्ट उत्पादन/अपशिष्ट प्रबन्धन	
a	<p>अपने घर में प्रतिदिन उत्पन्न होने वाला अपशिष्ट पदार्थ / कचरा</p> <ul style="list-style-type: none"> • घर का कूड़ा • सब्जियों के छिलके एवं बेकार भाग • सामान की थैलियां • पॉलीथीन • नहाने एवं कपड़े बर्तन धोने वाले गन्दे पानी • जानवरो को नहलाने वाला पानी

	B	आपके ग्राम पंचायत में अपशिष्ट पदार्थ/कचरा कैसे इकट्ठा किया जाता है?	ग्राम पंचायत की कूड़ा गाड़ी से					
	C	कचरा संग्रह कितनी बार होता है?	<input checked="" type="checkbox"/> प्रतिदिन	<input type="checkbox"/> साप्ताहिक	<input type="checkbox"/> वैकल्पिक दिन			
			हाँ	नहीं				
	D	क्या आपके क्षेत्र में कोई स्थान है, जहाँ कचरा इकट्ठा डाला जा सकता है? यदि हाँ तो कृपया आपकी ग्राम पंचायत से कितनी दूरी पर है या किस स्थान पर है?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ग्राम पंचायत से दूरी/ग्राम पंचायत में अवस्थिति			
		क्या आपके ग्राम पंचायत क्षेत्र में सामान्य कूड़ेदान रखे गये हैं?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>				
		क्या आप कचरे को सूखे और गीले कचरे की श्रेणी में बांटते हैं?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>				
		आप गृह स्तर पर कचरे का उपचार कैसे करते हैं?	पुनःचक्रमण	कम्पोटिंग	वर्मी कम्पोस्ट	अपशिष्ट	जलाना	अन्य (उल्लेखित करें)
			नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	गडढे मे डालते है

49	खुले में शौच मुक्त स्थिति						
	a	क्या आपका गांव खुले में शौच मुक्त घोषित है?	<input checked="" type="checkbox"/> हाँ	<input type="checkbox"/> नहीं			
	b	स्वयं के शौचालय वाले परिवारों की संख्या	540	<input type="checkbox"/>			
	c	सामुदायिक शौचालय/इज्जत घर की संख्या	03	<input type="checkbox"/>	प्रमुख स्थान पंचायतभवन, आंगनवाड़ी, प्राइमरी विद्यालय प्रांगण		
	d	क्या शौचालय का उपयोग किया जा रहा है?	हाँ				
	e	अगर शौचालय का उपयोग नहीं किया जा रहा है तो क्यों? (साफ-सफाई का अभाव, रख-रखाव का अभाव, बहुत दूर आदि)					

50	अपशिष्ट जल	घरेलू	व्यवसायिक	औद्योगिक	कृषि गतिविधियां	गंदा नाला
a	अपशिष्ट जल का क्या स्रोत है?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b	उत्पन्न अपशिष्ट जल की मात्रा (अनुमानित लीटर प्रतिदिन)	10 हजार ली0			5 हजार ली0	
c	गांव में किया गया अपशिष्ट जल उपचार, यदि कोई है तो-	00	00	00	00	00
d	अपशिष्ट जल पुनःचक्रण या पुनः उपयोग की गतिविधि, यदि कोई हैं तो-	00	00	00	00	00

51	स्वास्थ्य देखभाल की सुविधा			
	स्वास्थ्य केन्द्र की उपलब्धता	हां	नहीं	उपलब्ध छत का क्षेत्रफल (वर्गमीटर)
a	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	7.6वर्गमीटर
b	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
c	उपस्वास्थ्य केन्द्र	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
d	आंगनवाड़ी	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	65.0321वर्गमीटर
e	आशा	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
f	स्वास्थ्य कैम्प/मेला	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
g	डिजिटल स्वास्थ्य देखभाल	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

52	रोग/बीमारी		
		प्रभावित आयु समूह	सामान्य उपचार का विकल्प

	विगत वर्ष निम्नवत् बीमारी/रोग से कितने लोग प्रभावित हुए हैं?	प्रभावित कुल व्यक्तियों की संख्या	प्रभावित बच्चों की संख्या	प्रभावित व्यवस्कों की संख्या	प्रभावित वरिष्ठ नागरिकों की संख्या	स्थानीय स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं (उल्लेख करें)	घरेलू देखभाल	घर-घर जाने वाला	अन्य (उल्लेख करें)
a	वेक्टर-जनित रोग (मलेरिया, डेंगू, चिकेनगुनिया आदि)	60	09	21	30	पी एच सी मंडलीय अस्पताल मीरजापुर	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	बनारस
b	जल-जनित रोग (हैजा / डायरिया / टाई फाईड / हैपेटाइटिस आदि)	39	16	03	20	पी एच सी मंडलीय अस्पताल मीरजापुर	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	कैलहट प्राइवेट डॉक्टर
c	श्वास सम्बन्धी रोग जो वायु प्रदूषण से होते हैं (इनडोर एण्ड आउटडोर)	08			08		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	बनारस
d	कुपोषण						<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

VII उर्जा

53		
a	आपके ग्राम पंचायत में कुल कितने घर विद्युतकृत हैं	542
b	ग्राम पंचायत में निम्नलिखित अनुमानित विद्युत उपकरणों की संख्या	350
	ए0सी0	20
	एयर कुलर	130
	रेफ्रिजरेटर / फ्रीज	200

54 विद्युत कटौती की आवृत्ति		
A	दिन में कुछ बार	<input checked="" type="checkbox"/>
	दिन में एक बार	<input type="checkbox"/>
	विद्युत कटौती नहीं	<input type="checkbox"/>
b	प्रतिदिन कितने घण्टे गुल रहती है?	8 से 10घन्टे
	यदि प्रतिदिन नहीं तो सप्ताह में कितने घण्टे बिजली गुल होती है?	

55 वोल्टेज अस्थिरता/ उतार-चढ़ाव की आवृत्ति क्या है?		
	दिन में कुछ बार	<input checked="" type="checkbox"/>
	दिन में एक बार	<input type="checkbox"/>
	अस्थिरता/उतार-चढ़ाव नहीं	<input type="checkbox"/>

56 पावर बैकअप का मतलब विद्युत कटौती के दौरान उपयोग	संख्या
डीजल चलित जेनरेटर	
सौर उर्जा	60
इमरजेंसी लाईट	410
इन्वर्टर	175
अन्य साधन (उल्लेख करें)	मोमबत्ती

57 नवीकरणीय/अक्षयऊर्जा के स्रोत			
a	क्या गांव में निम्नलिखित में से कोई स्थापना है?	इंस्टालेशन (स्थापना) की संख्या	कुल स्थापित क्षमता (किलोवाट)
	घर की छतों पर सौर उर्जा स्थापना	03	500किलोवाट
	विद्यालय की छत पर सौर उर्जा स्थापना	02	3 किलोवाट
	चिकित्सालय की छत पर सौर उर्जा स्थापना	00	00

	ग्राम पंचायत भवन पर सौर उर्जा स्थापना	00	00
	अन्य सौर उर्जा स्थापना	02 ¼कुसुम योजना½	2000 किलोवाट
	सौर स्ट्रीट लाईट	50	150 किलोवाट
	बायोगैस	00	00
	विकेन्द्रित नवीनीकरण उर्जा/मिनी ग्रीड	00	00
	<p>b क्या आप सौर उर्जा स्थापना के लिए उपलब्ध अनुदान के बारे में जानते हैं (कुछ योजनाओं/कार्यक्रमों का उल्लेख करें)</p>	<p>हां</p> <ul style="list-style-type: none"> ● प्रधानमंत्री सोलर पम्प योजना ● कुसुम सोलर योजना ● यू पी सोलर पैनल योजना ● यूपी किसान उदय योजना 	

58	भोजन बनाने हेतु प्रयुक्त ईंधन	परिवारों की संख्या	प्रति परिवार प्रयुक्त औसत मात्रा (किग्रा/महीना)
	पारम्परिक जलौनी (उपले/जलौनी लकड़ी)	20	150 किग्रा
	बायोगैस	00	00
	एलपीजी गैस	540	14 किग्रा
	विद्युत	00	00
	सौर उर्जा	00	00
	अन्य (कोयला, मिट्टी का तेल, चारकोल आदि)	00	00

59 वाहन की संख्या				
	वाहन के प्रकार	ग्राम पंचायत में वाहन संख्या (अनुमानित)	प्रयुक्त ईंधन के प्रकार	तय की गई औसत दूरी (किमी प्रतिदिन)
a	जीप	00	00	00
b	कार	60	डीजल, पेट्रोल	30 से 40 किमी
c	दो पहिया वाहन	534	पेट्रोल	20 से 25 किमी
D	विद्युत चालित वाहन	00		
E	आटो	04	सी एन जी	72 किमी प्रति आटो (प्रतिदिन एक आटो 3 बार आना और 3 बार जाना कैलकुलेशन करते हैं कुल दूरी एक ओर से 12 किमी है।
F	ई-रिक्शा	01	बैटरी चालित	16 किमी
g	अन्य	00	00	00


60 कृषि यंत्र				
	कृषि यंत्र	ग्राम पंचायत में कृषि यंत्रों/मशीनों की संख्या	प्रयुक्त ईंधन के प्रकार	तय की गई औसत दूरी (किमी प्रतिदिन)
a	टैक्टर	50	डीजल	70 से 80 किमी
b	कम्बाईन हारवेस्टर			
c	अन्य (कृपया उल्लेख करें)			

61 ग्राम पंचायत में अवस्थित पेट्रोल पम्प (अगर कोई है)				
	प्रतिदिन की बिक्री	पम्प से आपूर्ति	कितने प्रकार के वाहन एक दिन/महीना में पेट्रोल पम्प से ईंधन लेते हैं? (समय/ अवधि का उल्लेख करें)	

	ईंधन के प्रकार		वाले गांव की संख्या	टैक्टर	कृषि यंत्र	जेप	कार	दो पहिया वाहन	आटो	ई-रिक्शा	अन्य
a											
b		नहीं है									

62 औद्योगिक इकाई				
	उद्योग के प्रकार	संख्या	उर्जा के स्रोत: ग्रिड विद्युत (1), डीजल जेनरेटर (2), नवीनीकरण/अक्षय उर्जा (3)	उर्जा की खपत प्रति माह विद्युत का उपयोग (किलोवाट) ईंधन उपयोग (लीटर प्रतिदिन)
	कोई नहीं			

अनुलग्नक III: एचआरवीसीए (HRVCA) रिपोर्ट



मैं बगहीं हूँ। पूव्व में जवगो की जलधावा के सूर्य को अर्घ्य देता हूँ,
अर्घ्यांचल होते सूर्य को पश्चिम में गंगधावा में निहावता हूँ, नमन
कवता हूँ। मैं बगहीं अवतन्नता की बेदी पर अपने १३ पुत्रों और एक
पुत्री की समिधा अर्पण कर जनपद में सर्वाधिक अवतन्नता अंगाम
केनानी का गौवव में ग्राम हूँ। मैं बगहीं कन्या शिक्षा का नन्दार्दीप,
मेरी पुत्रियाँ अनपद ना रहे, मैं अंकल्पित हूँ शत प्रतिशत आक्षय होने
के प्रति, मैं कर्मयोगी हूँ। हुआलूत, अन्वविश्वास, का अमूल नाश हो
मेवा प्रसाध वहा है। मैं अवच्छ भावत आन्दोलन का अग्रदूत हूँ, मैं
बगहीं हूँ।

मैं बगहीं आज दुःखी हूँ, व्यथित हूँ, जवगो की मैली होती काथा
के, कटते वृक्षो, उजड़ते नीड बन्द होते पक्षियों के कलवव के। मेरे
गाँव में छाँव की ठाँव बहो गयी है, मैं बहुत उदास हूँ, विमर्ती
गंगा की धावा के, धूमिल होती अंकुतियों के, लुप्त होते चौपाल के,
बहो वही अम्पतियों के, आती हुई विपत्तियों के।



खतरा जोखिम नाजुकता एवं क्षमता विप्लेषण

खतरा जोखिम नाजुकता एवं क्षमता विप्लेषण प्रोफाईल में अपेक्षित सूचनाओं का संकलन किया गया। तत्सम्बन्धित सूचना निम्नवत् है।

जलवायु परिवर्तनशीलता.....प्रवृत्ति/परिवर्तन, मुख्य चुनौतियां/ झटके एवं तनाव

जलवायु में हो रहे परिवर्तन का प्रभाव ग्राम बगही में भी प्रत्येक मौसम, सर्दी, गरमी, बरसात तथा अन्य प्रकार के ऋतु का जनजीवन पर साफ साफ दृष्टिगोचर हो रहा है। ग्रामवासियों का मानना है कि अब पहले जैसा मौसम नहीं रहा जिसका अनुमान लगाकर खेती किसानों की जाय। अब लगभग 6 से 7 महिने गर्मी बनी रहती है। जाड़े का मौसम देर से करीब नवम्बर से प्रारम्भ होता है और जनवरी के अन्त में समाप्त होने लग रहा है। पहले बरसात आंसाढ़ यानि कि जून में प्रारम्भ हो जाती थी जो रुक रुक कर होती रहती थी अगस्त-सितम्बर में भीषण बरसात होती थी परन्तु अब कोई निश्चित नहीं कि बरसात कब होगी या नहीं होगी।

किसान भाई बहनों ने अपने चर्चा क्रम में बताया कि पहले हम खरीफ फसल बोने से पहले सिंचाई नहीं करते थे, रबी में कभी एक हल्की सिंचाई कर देते थे परन्तु अब दोनों फसलों को बोने से पहले भी सिंचाई करनी पड़ती है। पहले गर्मी अप्रैल के बाद होती थी जो अब मार्च से लेकर सितम्बर कभी आंधे अक्टूबर भी रह रही है।

विभिन्न प्रक्रियाओं के तहत पी. आंर.ए. विधि से कई तरीकों को अपनाते हुए एकत्र सूचनाओं एवं प्राथमिक आंकड़ों के आधार पर जलवायुगत आपदा, खतरा जोखिम से सम्बंधित सूचनाएँ इस प्रकार हैं।

1. गांव को प्रभावित करने वाली आपदाओं की पहचान एवं प्राथमिकीकरण

समुदाय के साथ उन आपदाओं के सम्बंध में व्यापक रूप से चर्चा किया गया जो उनके जीवनशैली, आजीविका, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं विकास को प्रभावित करते हो। चर्चा के आधार पर प्राप्त आपदाओं की सूची में समस्याओं को तुलनात्मक रूप से श्रेणीबद्ध कर प्राथमिकीकरण किया गया। प्राप्त सूचनाओं के आधार पर गांव की मुख्य आपदा बाढ़ एवं ओलावृष्टि है। वर्ष अन्तराल पर पड़ने वाले सूखा भी इनके आजीविका, शिक्षा, स्वास्थ्य को प्रभावित करता है।

आपदा का इतिहास एवं क्षति..

समुदाय ने चर्चा में उन आपदाओं को बताया जिसका प्रभाव और यादें आज भी उन्हें डराती है। वर्ष 1967, 68, व 2005 का सूखा जब 282 हैक्टेअर खाली पड़े खेत, और चारा पानी के अभाव में मरते छुट्टे पशु, जानवर, सूखी हुई जरगो नदी, सूखते वृक्ष और गांव छोड़ते लोग इसके प्रभाव को स्पष्ट करते हैं। इसे बताते

समय कई लोग भावुक हो गये। इसके उपरान्त 1978 एवं 2013 की भीषण बाढ़ से भी यहां बड़ी मात्रा में क्षति हुई। बगही गांव को अब नयी आपदाओं का भी सामना करना पड़ रहा है।

(विस्तृत विवरण संलग्नक सं 01)

आपदा की पहचान और प्राथमिकीकरण के आधार पर ग्राम बगही के आपदा का मौसमी कैलेंडर निम्नलिखित है।

आपदा	जनवरी	फरवरी	मार्च	अप्रैल	मई	जून	जुलाई	अगस्त	सितम्बर	अक्टूबर	नवम्बर	दिसम्बर
बाढ़												
सूखा												
लू												
शीतलहर												
आंधीतूफान												
ओलावृष्टि												
वन्य जीवों का आतंक												

आपदा के मानचित्र एवं मौसमी कैलेंडर बनाते समय समुदाय के साथ चर्चा में उभरकर आया कि बेमौसम बरसात, कम दिनों में अधिक वर्षा, गर्म दिनों में वृद्धि, अनियमित ठंड आदि से समस्याएँ दिनों दिन बढ़ रही हैं।

बाढ़ बगही की मुख्य समस्या है जो गांव को 2016 से हर साल प्रभावित कर रही है। साथ ही कम बरसात से खेती प्रभावित होना, कीटों का प्रभाव, पशुओं पर असर, जल स्तर का लगातार कम होते जाना, स्वास्थ्य पर प्रभाव हो रहा है। खरीफ की फसल को बाढ़ एवं रबी की फसल को ओलावृष्टि साथ ही आंधी तूफान फलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। कुछ समय की भयंकर शीतलहर में पशुपालन को प्रभावित कर रही हैं। कुल मिलाकर मौसम किसान और किसानों के प्रतिकूल साबित हो रहा है।

2. जलवायु परिवर्तन जनित आपदा के जोखिम/खतरों का मानचित्रण एवं आंकलन

उक्त आपदाओं के कारण होने वाले नुकसान, संभावित जोखिम, समुदाय एवं संसाधनों पर पड़ने वाले अनुमानित प्रभाव, प्रभावित समुदाय एवं संसाधन आदि की विस्तृत जानकारी, समुदाय के सभी वर्गों, दलित, वंचित समुदाय, के साथ बैठक कर प्राप्त किया गया। लोगों ने बताया कि प्रतिवर्ष आने वाली आपदा से बुनियादी संसाधनों, सुविधाओं आजीविका आदि पर नकारात्मक प्रभाव के कारण विभिन्न प्रकार के जोखिम की संभावना बढ़ती जा रही है। गामीणों द्वारा प्रतिवर्ष की क्षति को इस प्रकार बताया गया—

खतरा एवं जोखिम विप्लेषण से प्राप्त सूचनाएं

क्रम	टांपदा	क्षेत्र	प्रभावित क्षेत्र			
			जोखिम	आंबादी	घर	संसाधन
1	बाढ़	कृषि	खरीफ की 85 प्रतिशत फसल बर्बाद	425 कृषक	282 हेक्टेअर खेत में पानी भर जाना।
		पेयजल	पेयजल दूषित हो जाता है, जल भराव से डूब जाता है। जल जनित बीमारियों के प्रकोप की संभावना	सम्पूर्ण गांव पूरब एवं पश्चिम टोंला	545	07 हैण्डपम्प पूरी तरह डूब जाते हैं। पाइप लाइन में भी गन्दा पानी आने लगता है।
		स्वच्छता	घरों का गन्दा पानी, एवं कूड़ा, अपशिष्ट बहकर सड़क पर आ जाता है।	सम्पूर्ण गांव पूरब एवं पश्चिम टोलों	545	सड़क, गलियां
		स्वास्थ्य	दूषित जल के कारण बुखार, टाईफाइड, पेचिस, डायरिया, मच्छरों के प्रकोप से मलेरिया का खतरा	सम्पूर्ण गांव पूरब एवं पश्चिम टोंला	545	स्वास्थ्य केन्द्र जलमग्न, डॉक्टर का आना कठिन हो जाता है।
		शिक्षा	गांव के विद्यालय बन्द हो जाते हैं, आवागमन बाधित होने के कारण विद्यालय में भी जाना संभव नहीं होता।	183 विद्यार्थी		विद्यालय भवन, एवं मार्ग जलमग्न
		समाजिक सुरक्षा	गर्भवती महिलाएं, वृद्ध, और बच्चे एवं दिव्यांगजन के आवागमन, तथा स्वास्थ्य की असुविधा, जहरीले कीटों का खतरा	सम्पूर्ण गांव पूरब एवं पश्चिम टोंला	545	जल भराव, खतरा, सड़को का टूटना, सड़को में गड्ढे होना।
		सब्जी एवं फल उत्पादन	बाढ़ के पानी से सब्जियों के बीज, पौधे एवं लगे हुए फलों का नष्ट होना, फलदार वृक्षों का डूबना एवं फलों का खराब होना।	150 एकड़	125	नदी के किनारे के उद्यान के एवं खेतों में बोई सब्जी अनुमानतः 150 टन, 2200 पौधे का नुकसान

		पशुपालन	पशुओं से प्राप्त होने वाले उत्पादन में कमी जैसे दूध, मांस, एवं पशुओं में बीमारी की संभावना।	पशुपालक एवं 06 परिवार जो केवल पशुपालन आधारित जीविका पर आश्रित है।	गाय, बकरी, भैंस, मुर्गी
		जल निकाय क्षेत्र	जलनिकायों में गन्दे जल का भर जाना। घर के परिसर एवं गांव के सार्वजनिक कुंओं में बाढ़ से आये कचरे वाला दूषित जल भर जाता है जो बाढ़ के बाद भी बना रहता है।	सम्पूर्ण गांव पूरब एवं पश्चिम टोंला,	2 सार्वजनिक कुंए एवं 2 कचरे से भरे तालाब
		गांव खुले स्थान एवं मुख्य मार्ग	बगही 6 गांवों के निकलने का मार्ग है, जरगो के तट पर बने प्रतीक्षालय में खरपतवार उग जाते हैं। कीड़ा एवं जहरीले कीड़ों का प्रकोप	1200 मी0 मार्ग एवं 50 मी प्रतीक्षालय बगही जलालपुर मार्ग, गोबिन्दपुर मार्ग से मुक्तिधाम का 700 मी0 मार्ग पर घास एवं खरपतवार उग आना।
2.	सूखा	पेयजल	जलस्तर नीचे होना, टंकियों में पानी भरने में समय लगना, एवं जल का उपयोग बढ़ना।	समस्त ग्रामवासी	545	14 हैंडपम्प एवं बोरिंग का पानी नीचे चला जाता है
		पशुपालन	चारा संकट, पशुओं में बीमारी का खतरा, तापमान अधिक होने से प्रजनन में कमी, दुग्ध एवं अन्य सम्बन्धित उत्पादन में कमी।	समस्त पशुपालक, उपभोक्ता	05 परिवार	चारागाह एवं चरी बोवाई

		उद्यान एवं सब्जी उत्पादन	पानी की कमी, सिंचाई की लागत में वृद्धि, सिंचाई के वावजूद फसल खराब एवं उत्पादन का ना होना।	समस्त किसान, विशेषकर सब्जी उत्पादक	20 से 35 एकड़ सब्जी की खेती, 2 से 3 एकड़ फलो का उद्यान।
		कृषि	उत्पादन में कमी	समस्त किसान	512	282 हेक्टेअर कृषिभूमि
3	ओलावृष्टि	कृषि	तैयार फसल का नुकसान,	समस्त किसान	512	282 हेक्टेअर 80 प्रतिशत फसल
		स्वास्थ्य	मनुष्य एवं पशुओं के घायल होने का खतरा	सम्पूर्ण ग्रामवासी	07 अर्धपक्के मकान	07 अर्ध पक्के मकानों के क्षतिग्रस्त होने की प्रबल संभावना। खेतों एवं गांव के बाहर स्थित पशुबाड़े, जो टीन के छत हैं।
4	लू	स्वास्थ्य	मानव एवं पशुओं को गर्म हवाओं के कारण लू लगने के कारण बुखार आना। पशु टीकाकरण में बाधा से अन्य बीमारियों का खतरा बढ़ जाना।	समस्त ग्रामीण	545	पशुधन
		शिक्षा	यद्यपि उन दिनों स्कूलों में अधिकांशतः अवकाश होता है परन्तु अन्य वैकल्पिक विषयों, कक्षाओं में बाधा। सीख और समय का सदुपयोग प्रभावित होता है।	355 बच्चे
5	शीतलहर	कृषि	फसलों का झूलस जाना	विषेश कर सरसों एवं फूल लगी फसल, आलू सब्जी आदि	बाई गयी फसलों की

	पशुपालन	बकरियों को भारी नुकसान, दुग्ध उत्पादन में कमी	पशुपालक	05 पशुपालक परिवार, 20 से 30 बकरियां
	स्वास्थ्य	शीतलहर से मनुष्य और पशु दोनों समान रूप से प्रभावित, पशुओं को टंड लगना, वृद्धों को सांस तथा बच्चों में निमोनिया का प्रकोप बढ़ जाना।	समस्त गांव	मानव एवं पशुधन।

आंजीविका के साधनों पर आपदा का प्रभाव

बगही ग्राम के आंजीविका के मुख्य साधन कृषि और पशुपालन है। बाढ़ और सूखा के कारण होनेवाले क्षति के कारण लोगों का जीवन प्रभावित होता है। इस दौरान आंजीविका के साधनों पर आपदा का प्रभाव सम्बंधित विस्तृत सूचनाएं संकलित किया गया।

क्रम	आंजीविका के प्रकार	परिवार संख्या	आंपदा	आंपदा प्रभाव का औसत			क्या प्रभाव पड़ता है
				अधिक	मध्यम	न्यून	
1	कृषि	512	बाढ़	<input checked="" type="checkbox"/>			<ul style="list-style-type: none"> ● 282 हेक्टेअर की 85 प्रतिशत फसल नष्ट हो जाती है। ● मूंगफली की 141 एकड़ फसल लगभग डूब जाती है। ● बाढ़ से बचे फसलों में रोग लग जाता है। ● आंवागमन बाधित होने के कारण जीविकोपार्जन की गतिविधियां प्रभावित। ● रबी की बुवाई प्रभावित। रबी की बोवाई में देरी।
			सूखा		<input checked="" type="checkbox"/>		<ul style="list-style-type: none"> ● फसलों का सूख जाना ● सिंचाई में अधिक खर्च एवं कठिनाई ● लागत में वृद्धि के कारण आमदनी में कमी। ● उत्पादन कम ● पौधों की वृद्धि नहीं बौनी फसले दाने कम।

			शीतलहर		<input checked="" type="checkbox"/>		<ul style="list-style-type: none"> ● सब्जी को अधिक नुकसान ● आंलू में पाला लग जाना जिससे पैदावार बढ़वार प्रभावित ● सरसों में माहो का लगना।
			ओलावृष्टि	<input checked="" type="checkbox"/>			<ul style="list-style-type: none"> ● खड़ी फसलों को नुकसान ● गेंहू की अत्यधिक क्षति ● सरसों को भी नुकसान ● फल और सब्जी के नुकसान के कारण नगदी का नुकसान ● दिनप्रतिदिन के काम के लिए पैसे की कमी। ● कर्ज का बोझ।
2	पशुपालन	545	बाढ़	<input checked="" type="checkbox"/>			<ul style="list-style-type: none"> ● बाढ़ के समय अधिकतर पशु को लेकर बाहर (शिवशंकरी धाम) जाना पड़ता है। ● चारा की समस्या बाढ़ के दौरान तथा बाद में फसल बर्बाद हो जाने के कारण सूखे चारे की समस्या। ● जल और घास के रूप में चारा प्रदूषित हो जाने के कारण पोषण की समस्या ● पशुओं में बीमारियों का प्रकोप ● दवाओं का खर्च बढ़ जाता है। ● बकरियां पानी में स्वयं को जीवित रखने असमर्थ हो जाती है।

			सूखा	<input checked="" type="checkbox"/>			<ul style="list-style-type: none"> • हरे चारे की कमी • के कारण दूध उत्पादन में कमी • तपन और धूप के कारण कई भयंकर बीमारियों से ग्रसित • पोल्ट्री व्यवसाय को नुकसान • चूजों का मर जाना • अण्डों का जल्दी खराब हो जाना।
			शीतलहर		<input checked="" type="checkbox"/>		<ul style="list-style-type: none"> • पशुओं को ठंड लगना • दूध उत्पादन में कमी • बकरियों में पोकनी रोग • मुर्गियों की मौत की प्रबल संभावना
3	मजदूरी एवं स्वयं का व्यवसाय	77	बाढ़	<input checked="" type="checkbox"/>			<ul style="list-style-type: none"> • आवागमन बाधित होने के कारण सामान की आपूर्ति नहीं हो पाती • कृषि में काम नहीं होता • मनरेगा का काम बन्द
			सूखा		<input checked="" type="checkbox"/>		<ul style="list-style-type: none"> • कृषिगत मजदूरी का अभाव • पलायन की मजबूरी • पौष्टिक भोजन का अभाव • उत्सव एवं अन्य काम को स्थगित करना पड़ता है।
			शीतलहर		<input checked="" type="checkbox"/>		<ul style="list-style-type: none"> • स्वास्थ्य की समस्या • कई सेक्टर के काम न्यून हो जाते हैं जैसे विनिर्माण एवं व्यक्तिगत भवन निर्माण। • खर्च में बढ़ोत्तरी पर आमदनी कम। • कर्ज लेने की संभावना बढ़ जाती है।

3. नाजुकता विश्लेषण

आंपदाओं का निरन्तर आना समुदाय को सामाजिक, आर्थिक और मानसिक रूप से कमजोर का देता है। समुदाय एवं ग्राम पंचायत को आपदा की दृष्टि से सुरक्षित एवं सक्षम बनाने हेतु नाजुक संसाधन, स्थल एवं

किया गया।

● बाढ़

बाढ़ ग्राम पंचायत की मुख्य समस्या है। ग्राम पंचायत के पूरब में जरगो नदी एवं पश्चिम में गंगा नदी ग्र सीमा को स्पर्श करती है। गंगा नदी से बालू के अवैध खनन से लगातार कटांन हो रहा है। इस कारण खे पर असर है। इमलिया में बने जरगो बांध से बरसात के दिनों में पानी खोल दिया जाता है तथा गंगा न के उफान जो अन्य स्थानों पर बने बांधों के खुलने के कारण उस समय चरम पर होता है जिसका सी प्रभाव दोआब क्षेत्र के छः गांवों पर पड़ता है, बगही इन छः गांवों का एकमात्र निकास द्वार है अतः बाढ़ दिनों में गांव पर सामाजिक, आर्थिक और नैतिक जिम्मेदारी आ जाती है।

गांव में कूड़ा निस्तारण का कोई स्थायी व्यवस्था नहीं है। गांव का गन्दा पानी नालियों से होते हुए जर नदी तथा गांव में स्थित गडढो में भर जाता है। बरसात या बाढ़ आने पर यह पूरे गांव में फैलने लगता है। बाढ़ के कारण खरीफ की 85 प्रतिशत फसल सरकारी आंकलन के अनुसार बर्बाद हो जाती है। शिक्षा स्वास्थ्य और अन्य आजीविका भी प्रभावित हो जाता है। विकास की निम्नलिखित दशाएं इन तकलीफों में वृद्धि का है –

- गांव की मुख्य सड़क राष्ट्रीय राजमार्ग 35 से 4.5 किलोमीटर उत्तर में बेला से बगही अत्यन्त खर उखड़ी हुई एवं नीची है।
- जरगो तट से गांव के अन्दर की सड़क लगभग 1200 मी टूटी, धंसी हुई एवं जगह-जगह से उख है। बरसात में जल जमाव हो जाता है तथा बाढ़ में गडढे दिखते नहीं जिसके कारण लोग गिर व घायल हो जाते हैं।
- गांव का गन्दा पानी उफनती नदी की धारा के साथ पुनः लौटकर सड़को पर फैल जाता है।

जनजीवन पर प्रभाव

- कृषि में 282 हे० फसल खराब, आर्थिक क्षति।
- रबी की बुवाई पर असर।
- कृषि की लागत में बढ़ोत्तरी।
- आवागमन बाधित।
- आजीविका पर प्रभाव, आर्थिक दयनीयता।
- मवेशी एवं दुग्ध उत्पादन की क्षति।
- बच्चों की शिक्षा बाधित, पढ़ाई का नुकसान।
- स्वास्थ्य खराब बुखार, सर्दी, खांसी, फोड़े, खुजली आदि का होना।
- स्वास्थ्य सेवाओं में कमी, बाधा।
- आवश्यक सेवाओं की आपूर्ति में कमी।

- मच्छरो का प्रकोप एवं वेक्टरजनित बीमारियों की संभावना।

सूखा....

चर्चा में निकल कर आया कि प्रत्येक वर्ष कुछ समय के लिए पड़ने वाला सूखा भी एक आपदा से कम नहीं है। बरसात समय से होती नहीं जिसके कारण किसानों में असमंजस बनी रहती है। बारिश होगी या नहीं, कौन सी फसल लगाये समझ ही नहीं आता है। मूंगफली जो मुख्य फसल है सबसे अधिक प्रभावित होती है, पहले बारिश बिना, बाद में बाढ़ से। खरीफ की फसल देर से फिर रबी की बोवाई पर प्रभाव। कई साल बीते जब जून और जुलाई में ठीक से बरसात होती थी। बाद में बारिश हो जाती है जिससे सूखे का आंकलन भी नहीं हो पाता। ग्रामीणों ने सूखे में वृद्धि करने वाले कारकों का भी उल्लेख किया जो निम्नवत् है...

- जल संरक्षण, संवर्द्धन का उपाय नहीं किया गया है।
- हरियाली का अभाव।
- बाग बगीचा लगाने के प्रति उदासीनता।
- भूजल संचयन का कोई कार्य नहीं किया जाना।
- गांव में ताल तलैया का अभाव।
- अन्धाधुन्ध भूजल दोहन।
- खेतों में रासायनिक खादों का प्रयोग।

समुदाय पर प्रभाव

- हैण्डपम्प का जल स्तर का नीचे हो जाना।
- फसलों में सिंचाई की लागत अधिक।
- मुख्य फसल मूंगफली में लागत का बढ़ना परन्तु फसल का सूखे के चपेट में आने के कारण पैदावार की गुणवत्ता एवं उत्पादन प्रभावित। इस कारण मूल्य का ना मिल पाना। 141 एकड़ मूंगफली की फसल प्रभावित होती है।
- चारा का संकट
- दुग्ध उत्पादन प्रभावित।
- पशुओं में विभिन्न बीमारियों का प्रकोप।

ओलावृष्टि

वर्ष दर वर्ष हो रही ओलावृष्टि के कारण भी बगही का जनजीवन अस्त-व्यस्त हो रहा है। बाढ़ के कारण खरीफ का नुकसान पूरा हो नहीं पाता कि रबी फसल को ओलावृष्टि नाश करती है। समुदाय ने बताया कि हरसाल ओलावृष्टि के कारण लगभग 200 एकड़ गेहूँ एवं 150 एकड़ अन्य के साथ सब्जी की क्षति हो जाती है। इस आपदा से पशुओं एवं कच्चे मकानों को भी नुकसान होता है।

शीतलहर

बगही गांव को शीतलहर का प्रकोप प्रतिवर्ष अनिवार्यतः परेशान करने वाली आपदा बन गयी है। समुदाय का कहना है कि दिसम्बर के अन्तिम तो कभी मध्य से पड़ने वाली अत्यधिक ठंड एवं तेज हवाओं के कारण शीतलहर मानव एवं पशु स्वास्थ्य को प्रभावित करती है।

- लोगो में सर्दी, खांसी, दस्त, बच्चों को निमोनिया, वृद्धजनों को सांस की बीमारी होने लगती है।
- पशुओं को शीतलहर से बचाना खासकर बकरियों को चुनौतीपूर्ण हो जाता है। गाय, भैंसों के दुग्ध उत्पादन में 20 से 25 प्रतिशत की कमी हो जाती है।
- दलहनी एवं सरसों, आलू की फसल का अधिक नुकसान सहना पड़ता है।
- तेज हवा और ठंड के कारण पौधे गिरने भी लगते हैं।
- पौधे की बढ़वार प्रभावित होती है।
- पौधे झुलस भी जाते हैं।
- कीट और पतंगों का प्रकोप बढ़ जाता है।
- अकृषिगत, निर्माण कार्य प्रभावित होने के कारण मजदूरी कार्य नहीं मिलता।
- आजीविका पर प्रभाव।

लू

चर्चा के मध्य समुदाय ने बताया कि मई और जून इन दो महिनो में तापमान इतना बढ़ जाता है कि हवाएं गर्म हो जाती हैं। पेड़ पौधों का अभाव में कहीं छाव भी नहीं मिलता। इन महिनो में वृद्ध और बच्चों का स्वास्थ्य बहुत खराब होने लगता है। पशुओं के लिए हरा चारा कहीं नहीं मिल पाता है।

ढांचागत संसाधनों की कमियां एवं जागरूकता का अभाव

- बगही गांव में समुदाय आधारित संस्था एवं संगठन नहीं है। स्वयं सहायता समूह, सामाजिक सरोकार के मुद्दे के प्रति लोग जागरूक नहीं हैं। गांव में युवा संगठन धार्मिक संगठन, किसान, मजदूर संगठन जैसे कोई ढांचा नहीं होने के कारण आपदा एवं संकट के समय ग्राम पंचायत तथा सरकारी सहायता पर निर्भरता ही एकमात्र रह जाती है। संगठन के अभाव में आपदा में राहत प्रबन्धन की गति और पहुंच भी प्रभावित हो जाती है।
- यद्यपि कि बगही का लोकजीवन शिक्षित है तथापि सरकारी योजनाओं के प्रति उदासीनता हैं। लोगो को सरकार द्वारा संचालित किसी भी प्रकार की योजना, परियोजना की जानकारी भंगी प्रकार से नहीं है।
- कृषि और पशुपालन बड़े पैमाने पर करने वाले लोग ना तो नवीन योजनाओं में लाभान्वित हैं ना ही पशुओं के नस्ल सुधार, बीमा, फसल बीमा आदि नियमानुसार करते हैं जिससे उन्हें सही लाभ हो। इन कारणों से समुदाय की नाजुकता अत्यधिक बढ़ जाती है।
- कृषिगत गतिविधियों में नवीन उपकरणों, विधियों का प्रयोग नहीं करते हैं, खेतों और फसलों में अन्धाधुन्ध रसायनों, उर्वरकों का, कीटनासी, खरपतवारनाशक दवाओं का प्रयोग करते हैं।

- घर-घर में पशु होने के बावजूद ये लोग जैविक खाद, नाडेप, कम्पोस्ट आदि नहीं बनाते अपितु कूड़े कचरे में गोबर को फेंक देते हैं।
- खेती में विविधीकरण, मिश्रित फसल नहीं करते स्थाई कृषि के प्रति उदासीनता इनके आपदा जोखिम को बढ़ाता है।
- वैकल्पिक उर्जा का अभाव, केवल बिजली पर निर्भरता हैं। गांव में 90 प्रतिशत मकान पक्के हैं। अतः सौर उर्जा की संभावना शत प्रतिशत है।
- कृषि परामर्श केन्द्र एवं मौसम पूर्वानुमान, आपदा पूर्व चेतावनी प्रणाली का ना होना आपदा जोखिम को बढ़ाता है।
- कृषि आंधारित उद्योगों का अभाव है।

क्षमता विश्लेषण

आंपदाओं के सापेक्ष गांव को क्लाइमेंट स्मार्ट बनाने को दृष्टि में रखकर गांव की क्षमता का समग्र आंकलन समुदाय के साथ मिलकर किया गया। इन संसाधनों को भौतिक, पर्यावरणीय, एवं मानव संसाधन के रूप में चिन्हित किया गया। बगही गांव अनुभव एवं संसाधन के साथ युवा जोश सम्पन्न क्षमतावान गांव है। सामाजिक सुधार एवं कुछ बड़ा करने की सोच एवं सपना गांव के युवा मन में सदैव पलता है। ग्राम की क्षमता भौतिक संसाधन, आधारभूत संरचना, एवं मानव संसाधन के रूप में है। राष्ट्रीय राजमार्ग 35 से 4.5 किमी की दूरी पर स्थित बगही का विकास कार्य साफ साफ परिलक्षित होता है शिक्षा के लिए 02 प्राथमिक 01 जूनियर हाईस्कूल, आंगनवाड़ी केन्द्र सभी सुविधाओं से युक्त साफ सुथरा एवं सुव्यवस्थित है।

गांव में 02 सार्वजनिक शौचालय, पशुचिकित्सालय एवं सुविधायुक्त मुक्तिधाम भी मौजूद है। बाढ़ से बचाव हेतु सभी मकान पक्के, तथा दीवारें पक्की ईंट से लगभग 6 से 7 फीट ऊंचे चबूतरे पर बने हुए हैं। पेयजल हेतु 2000 ली0 की दो टंकियों से सभी घरों में पेयजल की आपूर्ति भी है। गांव में 15 हैंडपम्प भी हैं। गांव के पास एक क्रीड़ा स्थल भी है।

गांव के पास दो तालाब जो अब गड़ही के नाम से जाना जाता है, और उस पर अतिक्रमण है। प्राकृतिक संसाधन के रूप में गंगा और जरगो नदियों की दो तरफा जलधारा है और कार्य करने की तीन शक्ति युवा, बौद्धिक एवं नियोजन शक्ति गांव के पास प्रचुर मात्रा में हैं।

यह गांव प्राचीन समय से बेर और अमरुद के फलों का क्षेत्र रहा है। आज भी इसके विकास की महती संभावना विद्यमान है।

सुविधा संसाधन मानचित्र से लिए गये आंकड़े एवं तथ्य

गांव में उपलब्ध भौतिक एवं पर्यावरणीय संसाधनों को सामाजिक तथा सुविधा मानचित्र पर तथा मानव संसाधन को समुदाय के साथ चर्चा कर संकलित किया गया। लोगों से बातचीत के आधार पर निम्नलिखित भौतिक संसाधनों की सूचना निर्धारित प्रारूप में संकलित किया गया।

सुविधा संसाधन	गलियों में पक्की सड़के, हैंडपम्प, पानी की टंकिया, पक्की नालियां, विद्युतीकरण, विद्यालय भवन पर सौर उर्जा, रेनवाटर हार्वेस्टिंग संरचना। बैंक 03
---------------	--

मानव संसाधन

नाम	पदनाम	निवास
श्रीमती रेणु पटेल	ग्राम प्रधान	बगही
प्रीती सिंह	प्रधानाचार्या	बगही
अनुराधा पटेल	शिक्षक	बगही
अर्जुन सिंह
गौरा देवी		
आंषा देवी		
अमीषा पटेल	प्रधानाध्यपक	..
अमरज्योति	शिक्षा मित्र	
धनपत्ती देवी

वित्तीय संसाधन

ग्राम पंचायत के पास वित्तीय संसाधन एक मात्र वित्त आयोग से प्राप्त होनेवाली निधि ही है।

क्रम	स्रोत	राशि
1	15वां वित्त आयोग	रु 12लाख 500 मात्र

ग्राम पंचायत बगही क्लाइमेंट स्मार्ट कार्ययोजना. का निर्माण

इस योजना को बनाने हेतु समुदाय के बीच अलग अलग सेक्टर पर चर्चा किया गया सभी समस्याओं का केन्द्र बिन्दु, जो जनजीवन को प्रभावित कर रहे हैं के समाधान के लिए ग्रामीण जन के सहयोग से निम्न कार्ययोजना का निर्माण किया गया।

क्रम	कार्य का क्षेत्र	कार्यका नाम	कार्य का विवरण	परिसम्पतियों का स्थान	अनुमानित राशि	अवधि	योजना परिव्यय
1.	सेक्टर- 1 मानव विकास एवं सामाजिक सुरक्षा, सफाई एवं स्वच्छता	कुओं की सफाई एवं मरम्मत। 22 कूड़ा पात्र की व्यवस्था	सार्वजनिक एवं घरों के प्रांगण में स्थित 5 कुओं की सफाई एवं मरम्मत गांव में स्वच्छता हेतु घरेलू कचरे के प्रबंधन हेतु कूड़ा पात्र की व्यवस्था	गांधी चबूतरा एवं ग्राम में स्थित सार्वजनिक कुओं 02 घरों के प्रांगण में स्थित 5 कुएं पूरब टोला 09 पंचायत भवन 01 प्राथमिक विद्यालय 02 जूनियर विद्यालय 01 आगनवाड़ी 01, पश्चिम टोला 08	3. लाख	3 माह अप्रैल से जून	15वां वित्त आयोग
2		20 जैविक एवं उपयोगी अपशिष्ट प्रबन्धन हेतु कम्पोस्ट संरचना	महिला स्वयं सहायता समूहों द्वारा ग्राम पंचायत, में चिन्हित सामूहिक एवं व्यक्तिगत स्थलों पर कम्पोस्ट संरचनाओं का निर्माण	ग्राम समाज की भूमि, तथा इच्छुक व्यक्ति की जमीन पर	2 लाख	2 से 3 माह	15वा वित्त आयोग
3		कूड़ा डम्पिंग स्थल एवं व्यर्थ जल का उपचार केन्द्र	डम्पिंग केन्द्र बनाना एवं व्यर्थ जल का उपचार संयन्त्र लगाकर व्यर्थ जल को कृषि एवं अन्य उपयोग में लाना डम्पिंग केन्द्र 01 संयन्त्र 01	जरगो नदी के पास जहां पूरे गांव का गंदा पानी गिरता है।	2 लाख 10 लाख	12 माह	15वां वित्त आयोग

3	सेक्टर...3 आंजीविका पशुपालन, एवं कृषि	सौर उर्जा द्वारा विजली की कमी का पूरा करना एवं प्रकाश व्यवस्था दुरुस्त करना नर्सरी	गलियों की लाइट, घरों की छत पर पैनल लगाना	चयनित लाभार्थी का घर	10 लाख	4 माह	15वां वित्त आयोग
			9 समूहों के द्वारा पॉली हाउस एवं अन्य विधियों द्वारा नर्सरी	समूह द्वारा किराये की भूमि लेकर	2.5 लाख	6 माह, बरसात में	मनरेगा
		40 स्थाई पशु आश्रय स्थल	व्यक्तिगत एवं समूह स्तर पर पशु आश्रय स्थल का निर्माण	दोनों टोल एवं खेतों पर	45 लाख	6 माह	15 वित्त आयोग

क्लाइमेंट स्मार्ट ग्राम पंचायत विकास योजना के निरूपण की सहभागी प्रक्रिया

क्लाइमेंट स्मार्ट ग्राम पंचायत विकास योजना निरूपण में, जन सहभागिता हो, योजना में ग्रामीण अनुभव का उपयोग हो, ग्रामीण जन को अपनी योग्यता और उपयुक्तता का अहसास रहे इस भावभूमि पर कार्य को प्रारम्भ किया गया। समस्याओं का चिन्हिकरण, आंकलन और विश्लेषण सही और सटीक हो सके इस हेतु प्रचलित विधियों के साथ ही साथ प्रशासनिक तन्त्र, सामाजिक सरोकार के व्यक्तियों के साथ भी अलग से वार्ता किया गया।

1 वातावरण निर्माण एवं प्रमुख व्यक्तियों को योजना से अवगत कराना

इस क्रम में ग्राम प्रधान, ग्रामीण अगुवा, सामाजिक सरोकार रखने वाले युवा, शिक्षक, स्वयं सहायता समूह से भेंट कर उन्हें जानकारी और योजना गतिविधियों के लिए समय, तिथि का निर्धारण किया गया।

खुली बैठक

दिनांक 12.03.2023 को गांव में खुली बैठक का आयोजन किया गया। गांव के बीचोबीच गांधी चबूतरे पर खराब मौसम के बावजूद ग्राम प्रधान, पंचायत सचिव, ए डी ओ पंचायत, किसान उत्पादक समूह, स्वसहायता मूह, जागरुक युवा, आंगनवाड़ी सहायिका, आंषा, एवं प्राइमरी शिक्षिका समिलित हुई। इनके अलावा गांव के अगुवा, षाख सम्पन्न, सम्मानित ग्रामीण, धार्मिक एवं सामाजिक संस्थाओं के पदाधिकारी भी आये। बैठक में कुल 119 लोग शामिल हुए



बैठक में एडीओ पंचायत ने स्मार्ट ग्राम योजना की वैधानिकता एवं प्रमाणिकता को बताते हुए लोगों से सहयोग की अपील किया। इस बैठक में सामाजिक, संसाधन मानचित्र, का निरूपण भी किया गया। बैठक में आपदाओं पर चर्चा कर समस्याओं का चिन्हित कर उनका प्राथमिकीकरण कर एवं उनके सामाधान का मार्ग भी निरूपित किया गया।

समस्या	सामाधान
बाढ़	<ul style="list-style-type: none">• नदियों के टर्निंग पर चिनाई व तटबन्ध बनाया जाय।• नदी सफाई अभियान• बेला से बगही मार्ग को ऊंचा किया जाय
कटांन	<ul style="list-style-type: none">• नदियों पर पक्का तटबन्ध बनाया जाय• अन्धाधुन्ध हो रहे खनन को रोका जाय।
कम होता भूजल	<ul style="list-style-type: none">• कुओं को साफ कर वर्षा जल संचित किया जाय।• सिंचाई हेतु कम पानी व फसल तकनीक दी जाय• सरकार की योजना सिंचाई के लिए गांव को दी जाय

बिड़ता पर्यावरण	<ul style="list-style-type: none"> ● गंगा व जरगो के किनारे वृक्षारोपण हो ● अमरूद, बेर और फलदार वृक्ष लगाये जाय ● कूड़ा कचरा निस्तारण, कम्पोस्ट, रीट्रीटमेंट की योजना हो।
गांव की बिगड़ती आर्थिक दशा	<ul style="list-style-type: none"> ● पर्यटन के लिए गंगातट पर घाट, कॉटेज नौका आदि का प्रबन्ध किया जाय। ● कौशल विकास हेतु केन्द्र खोले जाय। ● गांव में लघु एवं कुटीर उद्योग लगाये जाय।

उपरोक्त के अतिरिक्त मानव जनित आपदाओं के न्यूनीकरण हेतु भी उपाय सुझाये गये...

- कृषि में विविधी करण, मिश्रित खेती को बढ़ावा दिया जाय।
- गोबर की खाद, व कम्पोस्ट बनाकर अपषिष्ट का प्रबन्ध किया जाय।
- सौर उर्जा को बढ़ावा देकर बिजली खपत कम किया जाय।
- आपदा सूचनातन्त्र को तीव्रगामी और प्रमाणित तन्त्र बनाया जाय।

ग्राम पंचायत के निर्वाचित माननीय प्रतिनिधि

क्रम	पद	नाम सदस्य
1	प्रधान	श्रीमति रेषु पटेल
2	सदस्य	श्रीमति सुधा देवी
3		फूलवती देवी
4		श्रीमति चन्द्रावती
5		श्रीमति उर्मिला देवी
6		श्रीमति विमला देवी
7		श्री झामर सिंह
8		श्री श्यामलाल
9		श्री सुरेन्द्र बहादुर
10		श्री लालप्रत
11		श्री चन्द्रशेखर
12		श्री मनोज
13		श्री पारसनाथ
14		श्री सुरेन्द्र

ग्रामपंचायत की समितियां एवं माननीय सदस्य

विकास एवं नियोजन समिति अध्यक्ष <ul style="list-style-type: none"> श्रीमति रेषु पटेल सदस्य <ul style="list-style-type: none"> फूलवती श्री पारसनाथ श्रीमति सुधा श्री चन्द्रषेखर श्रीमति उर्मिला देवी 	शिक्षा समिति अध्यक्ष <ul style="list-style-type: none"> श्रीमति रेषु पटेल सदस्य <ul style="list-style-type: none"> श्रीमति विमला देवी श्रीमति उर्मिला देवी श्री लालव्रत श्री सुरेन्द्रबहादुर श्री चन्द्रषेखर श्री मनोज 	प्रशासनिक समिति अध्यक्ष <ul style="list-style-type: none"> श्रीमति रेषु पटेल सदस्य <ul style="list-style-type: none"> श्रीमति चन्द्रावती श्रीमति सुधा श्रीमति उर्मिला देवी श्री सुरेन्द्र श्री लालव्रत श्री श्यामलाल
निर्माण कार्य समिति अध्यक्ष <ul style="list-style-type: none"> श्री पारसनाथ सदस्य <ul style="list-style-type: none"> श्री झामर सिंह श्री श्यामलाल श्री सुरेन्द्र बहादुर श्री लालव्रत श्री चन्द्रशेखर श्रीमति उर्मिला देवी 	जलप्रबन्धन समिति अध्यक्ष <ul style="list-style-type: none"> श्री मनोज कुमार सदस्य <ul style="list-style-type: none"> श्री झामर सिद्ध श्री श्यामलाल श्री सुरेन्द्र बहादुर श्री लालव्रत श्री चन्द्रषेखर श्रीमति उर्मिला देवी 	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण समिति अध्यक्ष <ul style="list-style-type: none"> श्रीमति सुधा देवी सदस्य <ul style="list-style-type: none"> श्रीमति फूलवती श्रीमति चन्द्रावती श्रीमति उर्मिला देवी श्रीमति विमला देवी श्री झामर सिद्धे श्री श्यामलाल

2 ट्रांजैक्ट भ्रमण

वातावरण निर्माण से बने उत्साह को आंगे बढ़ाते हुए दिनांक 12.03.2023... को ग्राम प्रधान रेषु पटेल, पंचायत सचिव बिरजु प्रसाद, समूह सखी सुषमा सिंह, नेहा सिंह, आंषा वर्कर, आंगनवाड़ी, आर्यसमाज के अध्यक्ष श्री बच्चूलाल पटेल, तथा बड़ी संख्या में ग्रामीण जन शामिल हुए। यह भ्रमण गांव के पूर्वी छोर जरगो नदी के तट से प्रारम्भ होकर पश्चिम टॉले से होते हुए गांधी चबूतरा पर समाप्त हुआ। भ्रमण के दौरान लोगो से बातचीत कर उनके कौतुहल का भी उत्तर दिया गया। भ्रमण के दौरान घरों में स्थित कुओं की स्थितियों की जानकारी लिया गया। ये कुएं अब किसी उपयोग में नहीं हैं, परन्तु आज भी जीवित क्यो रखे गये हैं। लोगो का कहना था पुरखो की निषानी है।

ग्राम रचना, भौतिक संरचना, एवं वर्तमान स्थितियां

ग्राम की रचना	<ul style="list-style-type: none"> ग्राम बगही जरगो नदी के तट पर बसा दो पुरवो वाला एक बड़ा गांव है। सभी मकान भूतल से लगभग 8 से 10 फीट उपर चबूतरे पर बने है।
---------------	--

	<ul style="list-style-type: none"> ● अधिकांश मकान पक्के हैं। ● गांव के बीच में कुछ मकान अर्द्ध पक्के हैं। ● गांव के पश्चिम दक्षिण भाग में कुछ मकान सरपत के छप्पर वाले भी हैं। ● अधिकतर मकानों के प्रांगण में पक्के कुएं थे जो अब ढक दिये गये थे। ● गांव में पाइप लाइन से जल आपूर्ति की व्यवस्था मुककमल थी। ● दो गलियों के बीच इण्डिया मार्का हैंडपम्प भी चालू हालत में देखे गये। ● हैंडपम्प के आंस-पास साफ सफाई नहीं थी। ● गलियां सीमेंट की पक्की सड़क वाली थी। किनारे-किनारे नालियां भी थी। ● कई घरों में गृहवाटिका, फलदार वृक्ष, एवं फूल के पौधे भी थे। ● अधिकतर मकान बड़े क्षेत्रफल वाले थे। ● कुछ घरों में गाय भी बंधी मिली। ● गांव में कुछ बन्द और परित्यक्त मकान भी हैं। ● लोग गांव से बाहर या खेतों पर मकान बना लिया है।
ताल तलैया	<ul style="list-style-type: none"> ● चितावनपुर ताल 11 बिस्वा ● प्रमुखजी के घर के पास
हरित क्षेत्र	<ul style="list-style-type: none"> ● जरगो के तट पर बेर, अमरुद का बगीचा ● क्रीड़ा स्थल के पास वृक्षारोपण
भौतिक संसाधन	<ul style="list-style-type: none"> ● 02 पानी की टंकी 2000 हजार ली क्षमता ● आंगनवाड़ी, पशु चिकित्सालय, 02 प्राथमिक विद्यालय, 01 जूनियर विद्यालय, 02 सार्वजनिक कुएं, गांधी चबूतरा आदि।

सामाजिक एवं संसाधन मानचित्र में प्रदर्शित चित्रण का विश्लेषण

बगही ग्राम एक बड़ा गांव है, परिणामस्वरूप सभी समूहों ने जो चित्रण किया उसका सार संक्षेपण इस प्रकार रहा।

ग्राम पंचायत का कुल क्षेत्रफल	331.36 हे०	आंबादी, बगीचा, एवं कृषिभूमि
कुल टोलें	02	पूरब टोला, पश्चिम टोला
कुल राजस्व ग्राम	01	बगही
कुल घर	545	सभी जातियों दोनों टोलें पक्के एवं कच्चे घर
पक्के घर	538	पूरी तरह पक्के, दीवारें तथा छत सीमेंट की
कच्चे घर	07	छीवारे ईट से बनी, छत टीन या सरपत/फूस से बनी हुई, ये घर दोनों टोलें में हैं।
बी पी एल परिवार	56	
दिव्यांग	02	लड़का 01 लड़की 01
हैंडपम्प	14	दो से तीन गलियों के बीच एक

ग्राम पंचायत में निवास करने वाली कुल जातियां	11	कुर्मी, यादव, विष्वकर्मा, प्रजापति, स्वर्णकार, पाल, नाई, गोड़, धोबी, चमार, ब्राह्मण।
कुल भूमिहीन परिवार	30	03 परिवार ऐसे भी हैं जिनके पास रहने को भी स्थान नहीं है ये रास्ते की जमीन या किराये पर रहते हैं।
लघु एवं सीमान्त किसान परिवार	94	सभी जातियो से है।
महिला मुखिया परिवारो की सं०	10	02 टोले

जातिवार व श्रेणीवार घरों की संख्या

श्रेणी	जाति	घर
सामान्य	ब्राह्मण	05
पिछड़ी	यादव	02
	पाल	02
	स्वर्णकार	05
	प्रजापति	10
	विश्वकर्मा	08
	नाइ	06
	गोड़ (भूजा)	03
	कुर्मी	466
अनुसूचित जाति	चमार	35
	धोबी	03


ग्राम पंचायत में दर्शाये मानचित्र के अनुसार राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 35 से 4.5 किमी उत्तर स्थित ग्राम बगही के पूर्वी छोर पर जरगो नदी है। नदी पर पक्का पुल है। गांव का निकास मार्ग भी यही है। ग्राम पंचायत में दो टोले हैं गांव की पूरी बसावट उंचे चबूतरे पर स्थित है। गांव में कुल 11 जातियां निवास करती हैं। गांव के पश्चिम छोर के दक्षिण भाग में अनुसूचित जातियो के मकान है। गांव की कुल जनसंख्या में 52.2 प्रतिशत पुरुष और 47.8 प्रतिशत महिला आंबादी है। साक्षरता दर 95 से 98 प्रतिशत है। अनुसूचित एवं गरीब परिवार में भी शिक्षा के प्रति रुचि है। महिला मुखिया 10 परिवार है। आर्थिक आंधार पर 03 हरिजन एवं 30 भूमिहीन, सुनार, धोबी एवं पाल परिवार नाजुक अवस्था में है।

आंजीविका के साधन...

बगही गांव के लोगो का मुख्य व्यवसाय खेती है, जिन परिवारो के पास कम खेती या भूमि नहीं है वो गांव के बड़े कास्तकारो से भूमि किराये पर या बटाई लेकर करते है।

1	सरकारी नौकरी	100	शिक्षक
		03	बैंक में
		01	चिकित्सक
		100	अन्य अस्पताल, बैंक, प्रा० स्कूल कॉलेज
2	कृषि	277	केवल कृषक

3	छुकान	05	गांव में किराना एवं हाडवेयर
4	इट भट्ठा	12	
5	दिहाड़ी मजदूरी	60	सड़क निर्माण एवं अन्य, महिलाएं पारले बिस्कुट में काम करती हैं।
6	पशुपालन	06	केवल पशुपालन को आजीविका बनाने वाले
7	आंगनवाड़ी	02	
8	आंषा	03	




■ Government Job
 ■ Farming
 ■ Shops
 ■ Brick Kiln
 ■ Daily Wage Worker
■ Animal Husbandry
 ■ Aanganwadu
 ■ AASHA



meta-chart.com

ग्राम पंचायत - धाही विकास स्केट - नरयणपुर, मिरजापुर

पंचायत क्षेत्र (विनाम संदर्भ नकार, शैक्षणिक विकास, सुविधा)

- सरकारी संस्थाएं
- - उर्ध्व आवास क्षेत्र
- - मंदिर
- - शैक्षणिक क्षेत्र
- - विद्यालय
- - लोकल
- - स्थानीय कुएँ
- - सुखवाचक मार्ग
- - सामाजिक सेवाएँ
- - कचरे संग्रहण
- - पंचायत कार्यालय





आपदाओं का ऐतिहासिक सफर


ग्राम बगही ने अब तक का सफर आपदाओं के साथ ही तय किया है। परन्तु इस सन्दर्भ में लोगो का कहना है कि अब जो समस्याएं है वो अपने साथ और अनेक समस्याओं को जन्म दे रही है। इनसे जूझने और सामाधान में कानूनी अड़चने भी हैं। निम्नलिखित समस्याएं गांव को प्रभावित करती रही हैं।

ग्रामीणों ने अपनी स्मृतियों के आंधार पर ग्रामीणे ने बताया कि सन् 1967, 1968 और 2005 में भयंकर सूखा पड़ा। 2005 में जरगो नदी सूख गयी, लोग कृषि छोड़ अन्य कार्य मजदूरी करने लगे। सबसे अधिक हानि पशुओं की हुई। चारा-पानी ना मिलने तथा परिवारो के पलायन के कारण पशु छूटे हो गये, कुछ भूख प्यास तो कुछ बीमारी और कुछ को जंगली जानवरो ने खा लिया। 2013 में भयंकर बाढ़ आयी, ये बाढ़ 1978 के विकरालता से भी बड़ी थी। इस वर्ष गांव में पांच दिन तक खतरे के निशान के ऊपर रहा, वो वर्ष गांव के तकदीर में कई तकलीफ लिख गया। पुनः 2016 से 2022 तक लगातार बाढ़ आ रही है।

आपदाओं का ऐतिहासिक घटनाक्रम

क्र.	वर्ष	आपदा/ खतरा	घटनाओं का कारण	मृतकों की सं०	प्रभावितों की सं०	आर्थिक क्षति	न्यूनीकरण हेतु किया गया कार्य
1	1967	सूखा	वर्षा कम होना, गांव में जल संरचनाओं का अभाव	सम्पूर्ण गांव	282 हेक्टेअर कृषि, 100 से 200 ली दूध उत्पादन, 600 टन सब्जी का उत्पादन	हैण्डपम्प, सिंचाई हेतु 03 ट्यूवेल।
2	1968	सूखा	..	102 मवेशी
3	1978	बाढ़	हथवानी एवं जरगो डैम से पानी छोड़ा जाना, अत्यधिक वर्षा	30 से 40 बकरिया अचानक आये पानी में बह गई	सम्पूर्ण गांव	282 हे० खेत की फसल, 1000 कुन्तल सब्जी, एवं 300 से 400 ली दूध का उत्पादन	रिहाइसी मकानों को उंचे चबूतरे पर निर्माण किया गया, जरगो पर पुल का निर्माण।
4	1996	सूखा	बरसात ना होना	200 से अधिक	..	282 हे० की खरीफ फसल एवं 102 एकड़ की रबी की फसल	गंगा नदी में लिफ्ट सिंचाई की योजना।
5	2005	सूखा	बरसात ना होना,	अनगिनत, मवेशी, छूटां कर दिया	.. जरगो नदी सूख गयी थी	रबी और खरीफ फसले	कोई स्थायी उपाय नहीं

6	2013	बाढ़	अधिक बरसात एवं डैम का खोला जानाकोई नहीं	समस्त गांव	खरीफ की 85 प्रतिशत बर्बाद एवं रबी की बोवाई मात्र 100 हेक्टेअर	कोई उपाय नहीं
7	2016 से लगातार 22 तक प्रत्येक वर्ष	बाढ़	“	“	समस्त गांव	खरीफ की फसल,	कोई उपाय नहीं





इस वृत्त विवरण के लेखन कार्य की सुगमता में बगही ग्राम भ्रमण एवं ग्रामीण महिला पुरुष युवा एवं सामाजिक सरोकार के व्यक्तियों के अलावा ग्रामपंचायत सचिव, श्री बिरजु प्रसाद, प्रधान श्रीमति रेषु पटेल तथा जिला पंचायत राज अधिकारी का भी उल्लेखनीय योगदान रहा। उपरोक्त सभी ने हमारी टीम का सहयोग किया।

रिपोर्ट लेखन

नीलम प्रभात

उत्कर्ष सिंह

संस्कार संस्थान

अनुलग्नक IV: लक्ष्य, लागत, उत्सर्जन से बचाव और अनुक्रमण क्षमता का अनुमान

क्र. सं.	सुझायी गई गतिविधियाँ	विभिन्न गतिविधियों के लक्ष्य निर्धारित करने हेतु व्यापक दिशानिर्देश (ग्राम पंचायत के आधार पर परिवर्तन हो सकता है)	संख्यावार लक्ष्य का अनुमान लगाने के लिए टारगेट/फार्मूला	अनुक्रमण क्षमता / उत्सर्जन से बचाव
----------	----------------------	---	---	------------------------------------

हरित स्थानों और जैवविविधता को बढ़ाना

1	वृक्षारोपण गतिविधियाँ	<p>चरण 1: वर्तमान में ग्राम पंचायत में हो रही गतिविधियों के सामान (प्रधान के साथ परामर्श के दौरान जानना अनिवार्य है)</p> <p>चरण 2: भूमि की उपलब्धता के आधार पर वृक्षारोपण लक्ष्य को 500-1000 तक बढ़ाना।</p> <p>चरण 3: भूमि की उपलब्धता के आधार पर लक्ष्य को 500-1000 तक और बढ़ाना।</p>	<p>वृक्षारोपण (तैयारी, पौधारोपण, श्रम आदि)¹⁰⁵ = ₹ 70 प्रति पेड़ (पौधे डीओईएफसीसी, उत्तर प्रदेश सरकार से निःशुल्क उपलब्ध हैं)</p> <p>ट्री गार्ड (धातु)¹⁰⁶ = ₹ 1,200 प्रति इकाई</p> <p>वृक्षारोपण का रखरखाव: ₹ 1.5 लाख/हेक्टेयर</p>	<p>सागौन की प्रजातियों के आधार पर अनुक्रमण क्षमता का अनुमान - प्रति पेड़ 5.6 से 10 टन कार्बन डाइऑक्साइड (tCO₂e)</p> <p>कृषि वानिकी के लिए वृक्षारोपण घनत्व 100 पेड़/हेक्टेयर माना जाता है</p>
2	आरोग्य वन	<ul style="list-style-type: none"> 300-400 हेक्टेयर से कम क्षेत्र वाले ग्राम पंचायत के लिए, 0.1 हेक्टेयर क्षेत्र के साथ एक आरोग्य वन का सुझाव दिया जा सकता है। लगभग 1000 हेक्टेयर क्षेत्रफल वाली ग्राम पंचायत के लिए, भूमि की उपलब्धता के आधार पर 0.2-0.5 हेक्टेयर क्षेत्रफल वाले एक आरोग्य वन का सुझाव दिया जा सकता है। 		
3	कृषि वानिकी	<p>(यह व्यक्तिपरक हो सकता है और कृषि-वानिकी गतिविधियाँ चरण 1 से शुरू की जा सकती हैं)</p> <p>चरण 2: कुल कृषि भूमि का 40% ; साथ ही + प्रति हेक्टेयर 100 पेड़ लगाया जाना</p> <p>चरण 3: शेष कृषि भूमि ; साथ ही + प्रति हेक्टेयर 100 पेड़ लगाया जाना</p>	<p>कृषि वानिकी की लागत¹⁰⁷ = ₹ 40,000/हेक्टेयर¹⁰⁸</p>	

105 वृक्षारोपण दिशानिर्देशों और ग्राम पंचायत से प्राप्त सुझावों के अनुसार लागत

106 लागत बाजार भाव के अनुसार

107 कृषि वानिकी दिशानिर्देशों पर उप-मिशन, सतत कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन के अनुसार लागत

108 <https://link.springer.com/article/10.1007/s42535-022-00348-9>

क्र. सं.	सुझायी गई गतिविधियां	विभिन्न गतिविधियों के लक्ष्य निर्धारित करने हेतु व्यापक दिशानिर्देश (ग्राम पंचायत के आधार पर परिवर्तन हो सकता है)	संख्यावार लक्ष्य का अनुमान लगाने के लिए टारगेट/फार्मूला	अनुक्रमण क्षमता / उत्सर्जन से बचाव
----------	----------------------	---	---	------------------------------------

सतत कृषि

1	सूक्ष्म सिंचाई-ड्रिप एवं स्प्रिंकलर (छिड़काव) सिंचाई	<p>चरण 1: कुल कृषि भूमि का 30% सम्मिलित किया जाना</p> <p>चरण 2: कुल कृषि भूमि का 70% सम्मिलित किया जाना</p> <p>चरण 3: कुल कृषि भूमि का 100% सम्मिलित किया जाना</p>	₹ 1 लाख प्रति हेक्टेयर	
2	बांधों का निर्माण	<p>चरण 1: सम्मिलित की जाने वाली कुल कृषि भूमि का 50%</p> <p>चरण 2: सम्मिलित की जाने वाली कुल कृषि भूमि का 100%</p> <p>चरण 3: मेड़ों का रखरखाव</p> <ul style="list-style-type: none"> - मेड़ों का निर्माण कृषि क्षेत्रों की परिधि पर किया जाता है - ग्राम पंचायत में किसानों के पास विभिन्न आकारों की भूमि होती है। अनुमान : सभी खेत वर्गाकार होते हैं। 	1 मी. मेड़बंदी के लिए ¹⁰⁹ = ₹ 150 रुपये	
3	कृषि तालाबों का निर्माण	<p>चरण 1: 5-10 तालाब</p> <p>चरण 2: 15-20 तालाब चरण : यदि आवश्यक हो तो अधिक + तालाबों का रखरखाव</p> <p>1 कृषि तालाब की क्षमता = 300 m³</p> <p>ग्राम पंचायत में बड़े खेतों की संख्या + तालाबों की आवश्यकता पर निर्भर करता है (प्रधान से की गई बातचीत के आधार पर)</p>	1 कृषि तालाब का निर्माण ¹¹⁰ = ₹ 90,000	

109 एचआरवीसीए में ग्राम पंचायत से प्राप्त इनपुट के अनुसार लागत

110 एचआरवीसीए में ग्राम पंचायत से प्राप्त सुझावों के अनुसार लागत

क्र. सं.	सुझायी गई गतिविधियां	विभिन्न गतिविधियों के लक्ष्य निर्धारित करने हेतु व्यापक दिशानिर्देश (ग्राम पंचायत के आधार पर परिवर्तन हो सकता है)	संख्यावार लक्ष्य का अनुमान लगाने के लिए टारगेट/फार्मूला	अनुक्रमण क्षमता / उत्सर्जन से बचाव
4	प्राकृतिक खेती अपनाना	<p>चरण 1: कुल कृषि भूमि का 15% सम्मिलित किया जाना</p> <p>चरण 2: कुल कृषि भूमि का 40% सम्मिलित किया जाना</p> <p>चरण 3: कुल कृषि भूमि का 100% सम्मिलित किया जाना</p>	<p>a. प्रशिक्षण और प्रदर्शन (3 सत्र): ₹ 60,000</p> <p>b. प्रमाणीकरण (विशेषज्ञ परामर्श के आधार पर): ₹ 33,000</p> <p>c. फसल प्रणाली का परिचय- जैविक बीज खरीद; नाइट्रोजन संचयन संयंत्र लगाना--> प्रति एकड़ लागत = ₹ 2,500</p> <p>d. एकीकृत खाद प्रबंधन- तरल जैव उर्वरक की खरीद और उसका उपयोग; तरल जैव कीटनाशकों की खरीद और उसका उपयोग; प्राकृतिक कीट नियंत्रण तंत्र की स्थापना; फॉस्फेट युक्त जैविक खाद---> प्रति एकड़ लागत = ₹ 2,500</p> <p>e. गणना (प्रति एकड़ परिवर्तन की लागत) = a + b + c + d = ₹ 1,00,000 कुल लागत 111: क्षेत्र (हेक्टेयर) * e->2.471 * 1,00,000 = ₹ 2,47,100</p>	

जल निकायों का प्रबंधन और कायाकल्प

1	वर्षा जल संचयन (आरडब्ल्यूएच) संरचनाएं	<p>चरण 1: सभी सरकारी/पीआरआई भवनों में चरण 2: सभी पीआरआई भवनों + पुनर्भरण गड्डों में वर्षा जल संचयन संरचनाओं (आरडब्ल्यूएच) की स्थापना (एचआरवीसीए में सुझाई गई)</p> <p>चरण 3: 1000 वर्ग फुट के आवासीय भवनों में आरडब्ल्यूएच संरचनाओं की स्थापना + सभी नए भवनों में आरडब्ल्यूएच प्रणाली को शामिल करना</p>	<p>10 m³ क्षमता वाली 1 वर्षा जल संचयन संरचना की लागत¹¹² = ₹ 35,000 1 पुनर्भरण गड्डे की लागत = ₹ 35,000</p>	
---	---------------------------------------	--	--	--

111 यूपी राज्य जैविक प्रमाणीकरण एजेंसी (UPSOCA_Tariff_20March.pdf (apeda.gov.in)) और राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन (NMSA) दिशानिर्देश

112 छत पर वर्षा जल संचयन दिशानिर्देश, भारतीय मानक (IS 15797:2008)

क्र. सं.	सुझायी गई गतिविधियाँ	विभिन्न गतिविधियों के लक्ष्य निर्धारित करने हेतु व्यापक दिशानिर्देश (ग्राम पंचायत के आधार पर परिवर्तन हो सकता है)	संख्यावार लक्ष्य का अनुमान लगाने के लिए टारगेट/फार्मूला	अनुक्रमण क्षमता / उत्सर्जन से बचाव
2	जल निकायों का रखरखाव (यदि ये वृक्षारोपण समग्र हरित स्थान को बढ़ने के प्रयासों का हिस्सा हैं, जैसा कि ऊपर बताया गया है तो लागत की दोगुनी गणना नहीं की जाएगी)	चरण 1: घरेलू शौचालय कवरेज को बढ़ाना चरण 2 और 3: शौचालय कवरेज बढ़ाना और मौजूदा बुनियादी ढांचे का रखरखाव	अनुमानित लागत ¹¹³ : 1. 2 तालाब का जीर्णोद्धार (सफाई, गाद निकालना, जलग्रहण क्षेत्र में वृद्धि, आदि) = ₹ 7 लाख 2. 1 रिटेंशन तालाब (300 मीटर ³ क्षमता) का निर्माण = : ₹ 12 लाख 3. ट्री गार्ड के साथ वृक्षारोपण = ₹ 1,200 प्रति यूनिट 4. रखरखाव की लागत: a. 1 तालाब/जल निकाय = ₹ 3, 75,000 b. 1 प्रतिधारण तालाब = ₹ 50,000 c. ट्री गार्ड वाला पेड़ = ₹ 20 प्रति यूनिट	
3	जल निकासी के बुनियादी ढांचे को बढ़ाना	चरण 1: मौजूदा नालियों की सफाई और गाद निकालना + जल निकासी के बुनियादी ढांचे को बढ़ाना (नए नालों का निर्माण) चरण 2 और 3: चरण 1 में जारी गतिविधियाँ जारी जायें	अधिकतर एचआरवीसीए दस्तावेज़ में दी गई लागतों को देखें	
4	स्वच्छता में सुधार	चरण 1: घरेलू शौचालय कवरेज को बढ़ाना चरण 2 और 3: शौचालय कवरेज बढ़ाना और मौजूदा बुनियादी ढांचे का रखरखाव	1 टूविन पिट शौचालय की लागत (फुटनोट जोड़ें ¹¹⁴) = ₹15,000 से ₹20,000	

113 एचआरवीसीए में जीपी से प्राप्त इनपुट के अनुसार लागत

114 https://smartnet.niua.org/sites/default/files/resources/SBM_Guideline.pdf

क्र. सं.	सुझायी गई गतिविधियां	विभिन्न गतिविधियों के लक्ष्य निर्धारित करने हेतु व्यापक दिशानिर्देश (ग्राम पंचायत के आधार पर परिवर्तन हो सकता है)	संख्यावार लक्ष्य का अनुमान लगाने के लिए टारगेट/फार्मूला	अनुक्रमण क्षमता / उत्सर्जन से बचाव
5	अपशिष्ट जल प्रबंधन	चरण 1: विकेंद्रीकृत अपशिष्ट जल की स्थापना उपचार प्रणाली (DEWATS)	DEWATS के लिए: 2,728 आबादी वाली ग्राम पंचायत के लिए जहां आपूर्ति की गई पानी की मात्रा 120 लीटर/व्यक्ति/दिन मानी जाती है, उत्पन्न अपशिष्ट जल जल आपूर्ति का 80% है, इसलिए उत्पन्न कुल अपशिष्ट जल ~2,72,800 लीटर/दिन है। सेवा योग्य को ध्यान में रखते हुए, अनुमान लगाया गया है DEWATS की क्षमता 200 KLD (मौजूदा उत्पन्न अपशिष्ट जल का लगभग 70%) मानी गई है। 100 KLD क्षमता वाले DEWATS की लागत ₹ 1,44,000 है।	

सतत एवं उन्नत गतिशीलता

1	मौजूदा सड़क बुनियादी ढांचे को बढ़ाना	चरण 1: सड़क मरम्मत/रख-रखाव कार्य + सड़क आरसीसी/इंटरलॉकिंग कार्य चरण 2 और 3: सड़कों का निरंतर रखरखाव	सड़क रख-रखाव /मरम्मत की प्रति किमी लागत ¹¹⁵ : ₹ 50,00,000 प्रति किलोमीटर	
2	माध्यम आकर के सार्वजनिक परिवहन (आईपीटी) को बढ़ाना	ग्राम पंचायत की आवश्यकतानुसार सुझावों के अनुसार ई-ऑटोरिक्शा	1 ई-ऑटोरिक्शा की कीमत: ~₹ 3,00,000 उपलब्ध सव्सेडी: प्रति वाहन 12,000 रुपये तक	
3	ई-ट्रैक्टर और ई-माल वाहन किराए पर लेने की सुविधा	चरण 1: डीजल ट्रैक्टरों और माल परिवहन वाहनों के इलेक्ट्रिक विकल्पों को बढ़ावा देना + किसानों को ई-वाहनों के दीर्घकालिक लाभों के बारे में जागरूक करना चरण 2 & 3: निरंतर जागरूकता	1 ई-ट्रैक्टर की कीमत = ₹ 6,00,000 1 कमर्शियल ई-वाहन की कीमत = ₹ 5 से 10 लाख	

115 प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) दर/किमी के अनुसार लागत और एचआरवीसीए में जीपी से प्राप्त इनपुट

क्र. सं.	सुझायी गई गतिविधियां	विभिन्न गतिविधियों के लक्ष्य निर्धारित करने हेतु व्यापक दिशानिर्देश (ग्राम पंचायत के आधार पर परिवर्तन हो सकता है)	संख्यावार लक्ष्य का अनुमान लगाने के लिए टारगेट/फार्मूला	अनुक्रमण क्षमता / उत्सर्जन से बचाव
----------	----------------------	---	---	------------------------------------

सतत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन

1	अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली स्थापित करना	<p>चरण 1:</p> <p>a. ग्राम पंचायत की घर-घर कचरा संग्रहण प्रणाली के तहत 100% घरों को शामिल करना</p> <p>b. मौजूदा कचरे का 100% एकत्र करने के लिए इलेक्ट्रिक कचरा वैन की व्यवस्था</p> <p>c. कूड़ादानों की स्थापना</p> <p>d. अन्य हितधारकों (एसएचजी, स्थानीय स्कैप डीलर, स्थानीय व्यवसाय और एमएसएमई) के साथ साझेदारी बनाना</p>	<p>कुल उत्पन्न कचरा = प्राथमिक डेटा, यदि उपलब्ध नहीं है, तो ग्राम पंचायत में उत्पन्न प्रति व्यक्ति औसत कचरा लगभग 80 ग्राम प्रति दिन लें;</p> <p>बायोडिग्रेडेबल/जैविक अपशिष्ट- 58%</p> <p>गैर-बायोडिग्रेडेबल/अकार्बनिक अपशिष्ट - 42%</p> <p>आवश्यक ई-कचरा वैन की संख्या = कुल उत्पन्न कचरा/प्रत्येक वैन की क्षमता (310 किग्रा)</p> <p>कूड़ेदानों की संख्या = एचआरवीसीए से या उचित स्थानों की पहचान करके अनुमान लगाया जा सकता है</p> <p>स्थान (पीआरआई भवन, सार्वजनिक भवन, पार्क, आदि)</p>	
		<p>चरण 2:</p> <p>a. ग्राम पंचायत-स्तरीय पुनर्चक्रण और प्लास्टिक श्रेडर इकाई</p> <p>b. अतिरिक्त कूड़ादानों की स्थापना</p> <p>c. अतिरिक्त इलेक्ट्रिक कचरा वैन की व्यवस्था</p> <p>d. मौजूदा सुविधाओं/बुनियादी ढांचे का रखरखाव</p> <p>e. साझेदारी को बढ़ाना</p>	<p>प्लास्टिक श्रेडर इकाई की संख्या = 1 प्रति पंचायत</p> <p>अतिरिक्त कूड़ादान = एचआरवीसीए से या उचित स्थानों (पीआरआई भवन, सार्वजनिक भवन, पार्क, आदि) की पहचान करके अनुमानित करना ।</p>	
		<p>चरण 3:</p> <p>a. रखरखाव कार्य</p> <p>b. साझेदारी को बढ़ाना</p>	<p>लागत¹¹⁶: 1. 1 इलेक्ट्रिक कचरा वैन = ₹ 95,000 से 1,00,000 2. 1 कूड़ादान/कंटेनर = ¹¹⁷ ₹ 15,000</p>	

116 लागत बाजार भाव के अनुसार

117 लागत बाजार भाव के अनुसार

क्र. सं.	सुझायी गई गतिविधियां	विभिन्न गतिविधियों के लक्ष्य निर्धारित करने हेतु व्यापक दिशानिर्देश (ग्राम पंचायत के आधार पर परिवर्तन हो सकता है)	संख्यावार लक्ष्य का अनुमान लगाने के लिए टारगेट/फार्मूला	अनुक्रमण क्षमता / उत्सर्जन से बचाव
2	जैविक अपशिष्ट का प्रबंधन	चरण 1: a. सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से कम्पोस्ट और वर्मी-कम्पोस्ट गड्डों की स्थापना b. पंचायत, समुदाय के सदस्यों और किसान समूहों के बीच साझेदारी मॉडल: 1. कम्पोस्ट का उत्पादन एवं विक्रय 2. कृषि अपशिष्ट की बिक्री	कुल उत्पन्न बायोडिग्रेडेबल/जैविक कचरा = प्राथमिक डेटा घरों, वाणिज्यिक दुकानों, सरकारी/पीआरआई भवनों, सार्वजनिक भवनों और खुले स्थानों आदि से जैविक कचरा = xxx किलोग्राम प्रति दिन (प्राथमिक डेटा के अनुसार) संभावित खाद की मात्रा (किलो प्रति दिन) जो उत्पन्न की जा सकती है = xxx किग्रा/दिन जैविक अपशिष्ट / 2 प्रति वर्ष __ किलोग्राम कृषि अपशिष्ट की आवधिक खाद बनाना (प्राथमिक डेटा के अनुसार)	
		चरण II और III: a. रखरखाव और कम्पोस्ट गड्डों की क्षमता बढ़ाना b. साझेदारी को बढ़ाना	लागत ¹¹⁸ : 1. 20 कम्पोस्ट पिट लागत संदर्भ = ₹2,00,000	
3	एकल-उपयोग-प्लास्टिक पर प्रतिबंध	चरण 1: a. सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूर्ण प्रतिबंध b. जागरूकता, प्रशिक्षण और क्षमता-निर्माण कार्यक्रम c. रेस अभियान और लाइफ़ मिशन का लाभ उठाना d. पंचायत, महिलाओं और स्वयं सहायता समूहों के बीच साझेदारी मॉडल	विनिर्माण के क्षेत्र में 100 महिलाओं की भागीदारी	
		चरण 2: a. निरंतर जागरूकता, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण कार्यक्रम b. पंचायत और आस-पास के गांवों में महिलाओं, एसएचजी, एमएसएमई और व्यक्तिगत उद्यमियों की भागीदारी बढ़ाना	अतिरिक्त 200 महिलाएं	

117 <https://www.biocycle.net/connection-co2-math-for-compost-benefits/#:~:text=In%20the%20process%20of%20making%20compost%20the%20microbes,food%20waste%20turns%20into%2050%20kg%20of%20>

118 एचआरवीसीए में जीपी से प्राप्त इनपुट के अनुसार लागत

क्र. सं.	सुझायी गई गतिविधियां	विभिन्न गतिविधियों के लक्ष्य निर्धारित करने हेतु व्यापक दिशानिर्देश (ग्राम पंचायत के आधार पर परिवर्तन हो सकता है)	संख्यावार लक्ष्य का अनुमान लगाने के लिए टारगेट/फार्मूला	अनुक्रमण क्षमता / उत्सर्जन से बचाव
		चरण 3: a. निरंतर जागरूकता, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण कार्यक्रम b. पंचायत और आसपास के गांवों में महिलाओं, एसएचजी, एमएसएमई और व्यक्तिगत उद्यमियों की भागीदारी बढ़ाना	अतिरिक्त 300 महिलाएँ	

स्वच्छ, सतत, किफायती और विश्वसनीय ऊर्जा तक पहुंच

1	सौर छतें	चरण 1: सरकारी/पीआरआई भवन (पंचायत भवन, स्कूल, आंगनवाड़ी, पीएचसी, सीएचसी, सीएससी आदि) अनुमान- छत के 70% क्षेत्र की सोलर रूफटॉप लगाने के लिए उपलब्धता	सौर क्षमता की गणना के लिए एमएनआरई सोलर रूफटॉप पोर्टल का उपयोग करें। वार्षिक स्वच्छ बिजली का उत्पादन (किलोवाट में) = स्थापित क्षमता (किलोवाट) * 310 (धूप वाले दिन) * 24 (घंटे) * 0.18 (सीयूएफ) (प्रत्येक पीआरआई भवन के लिए इसकी गणना करें और कुल जोड़ें) स्थापित क्षमता- उपरोक्त वेबसाइट से कुल स्थापित क्षमता=पंचायत भवन+स्कूल 1+स्कूल 2....+कोई अन्य पीआरआई भवन प्रति किलोवाट लागत = ₹ 50,000 प्रति दिन उत्पादित स्वच्छ बिजली की इकाइयों की संख्या = उत्पादित बिजली/365	उत्पन्न वार्षिक बिजली (किलोवाट)* $0.82 / 1000$ = ___ टन CO_2
		चरण 2 और 3: परिवार अनुमान- छत के 70% क्षेत्र की सोलर रूफटॉप लगाने के लिए उपलब्धता मानी गई स्थापित क्षमता - 3 किलोवाट पॉवर चरण 2: स्थापित करने के लिए कुल पक्के घरों का 40% चरण 3: स्थापित करने के लिए कुल पक्के घरों का 100%	प्रति परिवार औसत स्थापित क्षमता = 3 किलोवाट पॉवर परिवार स्तर पर स्थापित कुल क्षमता = परिवारों की संख्या * 3 किलो वाट पॉवर वार्षिक स्वच्छ बिजली का उत्पादन (किलोवाट में)= पारिवारिक स्तर पर स्थापित कुल क्षमता (किलोवाट) *310 (धूप वाले दिन)*24 (घंटे)*0.18 (सीयूएफ) प्रति किलोवाट लागत = ₹ 50,000 प्रति दिन उत्पादित स्वच्छ बिजली की इकाइयों की संख्या= वार्षिक उत्पादित बिजली/365	

क्र. सं.	सुझायी गई गतिविधियां	विभिन्न गतिविधियों के लक्ष्य निर्धारित करने हेतु व्यापक दिशानिर्देश (ग्राम पंचायत के आधार पर परिवर्तन हो सकता है)	संख्यावार लक्ष्य का अनुमान लगाने के लिए टारगेट/फार्मूला	अनुक्रमण क्षमता / उत्सर्जन से बचाव
2	कृषि-फोटोवोल्टिक	चरण 2: उपयुक्त कृषि क्षेत्र का 25% चरण 3: उपयुक्त कृषि क्षेत्र का 50% उपयुक्त कृषि क्षेत्र - दलहनों और सब्जियों के अंतर्गत क्षेत्र (मूल्य 10 हेक्टेयर से कम रखें)	प्रति हेक्टेयर 250 किलोवाट स्थापित कुल स्थापित क्षमता = क्षेत्रफल (हेक्टेयर) * 250 किलोवाट पॉवर वार्षिक स्वच्छ बिजली का उत्पादन (किलोवाट में)=कुल स्थापित क्षमता (किलोवाट) *310 (धूप वाले दिन)*24 (घंटे)*0.18 (सीयूएफ) प्रति किलोवाट लागत ¹¹⁹ = ₹ 1 लाख प्रति दिन उत्पादित स्वच्छ बिजली की इकाइयों की संख्या= वार्षिक उत्पादित बिजली/365	
3	सौर पंप	चरण 1: 20% डीजल पम्पों का बदला जाना चरण 2: 50% डीजल पम्पों का बदला जाना चरण 3: 100% डीजल पम्पों का बदला जाना	स्थापित क्षमता = 5.5 किलोवाट प्रति पंप कुल स्थापित क्षमता = बदले गए पंपों की संख्या * 5.5 किलोवाट वार्षिक स्वच्छ बिजली उत्पन्न= कुल स्थापित क्षमता (किलोवाट) *310 (दिन)*24 (घंटे)*0.18 (सीयूएफ) प्रति दिन उत्पादित स्वच्छ बिजली की इकाइयों की संख्या= वार्षिक उत्पादित बिजली/365 प्रति पंप लागत = ₹ 3 से 5 लाख ¹²⁰	डीज़ल की खपत को कम करना =390 लीटर/ प्रति/वर्ष प्रति वर्ष कम कुल डीजल खपत = बदले गए पंपों की संख्या * 390 उत्सर्जन से बचाव = प्रति पंप प्रति वर्ष 1.05 टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन (CO2e)

119 https://solarrooftop.gov.in/rooftop_calculator

120 एमएनआरई और मौजूदा बाजार दरों के अनुसार लागत
60 स्थापना/लगाने की लागत बाजार दर के अनुसार
60 लागत बाजार दरों और पीएमकेएसवाई दिशानिर्देशों के अनुसार

क्र. सं.	सुझायी गई गतिविधियां	विभिन्न गतिविधियों के लक्ष्य निर्धारित करने हेतु व्यापक दिशानिर्देश (ग्राम पंचायत के आधार पर परिवर्तन हो सकता है)	संख्यावार लक्ष्य का अनुमान लगाने के लिए टारगेट/फार्मूला	अनुक्रमण क्षमता / उत्सर्जन से बचाव
4	स्वच्छ खाना पकाना	<p>चरण 1: 25% घरों में बायोगैस स्थापित करने के लिए मवेशी + शीर्ष आय वर्ग में 25% घरों में सौर इंडक्शन कुकस्टोव + 50% परिवार जो वर्तमान में बायोमास का उपयोग करते हैं उनके पास बेहतर चूल्हों की उपलब्धता</p> <p>चरण 2: 50% घरों में बायोगैस स्थापित करने के लिए मवेशी + 50 शीर्ष आय वर्ग के % घरों में सौर इंडक्शन चूल्हे + वर्तमान में बायोमास का उपयोग करने वाले 100% घरों में बेहतर चूल्हों की उपलब्धता</p> <p>चरण 3: 100% घरों में बायोगैस स्थापित करने के लिए मवेशी + शीर्ष आय समूहों में 100% घरों में सौर इंडक्शन और खाना पकाने का चूल्हे की उपलब्धता</p>	<p>1 बायोगैस प्लांट की लागत = ₹ 50,000</p> <p>2 से 3 m³ बायोगैस संयंत्र की लागत, बिना बैटरी वाले डबल बर्नर वाले सोलर कुकस्टोव की लागत = ₹ 45,000</p> <p>1 बेहतर चूल्हे की लागत = ₹ 3,000¹²¹</p>	
5	ऊर्जा दक्षता (ईई)	<p>चरण 1: सभी सरकारी/पीआरआई भवनों को सभी फिक्स्चर और पंखों को ऊर्जा कुशल फिक्स्चर और पंखों से बदलना + सभी परिवारों के 1 तापदीप्त/सीएफएल बल्ब को एलईडी बल्ब से या 1 फ्लोरोसेंट ट्यूब लाइट को एलईडी ट्यूब लाइट से बदलना</p> <p>चरण 2: सभी तापदीप्त/सीएफएल बल्बों को एलईडी बल्ब से और सभी फ्लोरोसेंट ट्यूब लाइटों को एलईडी ट्यूब लाइट से बदला जाना + सभी परिवारों में 1 पारंपरिक पंखे को ईई पंखे से बदला जाना ।</p> <p>चरण 3: सभी परिवारों में सभी पंखों को ईई पंखों से बदला जाएगा</p>	<p>1 एलईडी बल्ब की लागत = ₹ 70</p> <p>1 एलईडी ट्यूबलाइट की लागत = ₹ 220</p> <p>1 ईई पंखे की लागत = ₹ 1,110¹²²</p>	
6	सौर स्ट्रीटलाइट्स	<p>प्रधान से प्राप्त जानकारी के आधार पर हाई-मास्ट सोलर स्ट्रीट लाइट - प्रत्येक सरकारी / पीआरआई भवन, तालाब/झील, हरित स्थान/पार्क/खेल का मैदान/उद्यान/आरोग्य वन के लिए 1 (या आवश्यकता के अनुसार अधिक)।</p>	<p>1 हाई-मास्ट की लागत = ₹ 50,000</p> <p>1 सौर एलईडी स्ट्रीट लाइट की लागत = ₹ 10,000¹²³</p>	

121 बाजार दर के अनुसार लागत

122 विद्युत मंत्रालय द्वारा उजाला योजना दिशानिर्देशों के अनुसार लागत (<https://static.pib.gov.in/WriteReadData/specialdocs/documents/2022/jun/doc202261464801.pdf>)

123 बाजार दर के अनुसार लागत

क्र. सं.	सुझायी गई गतिविधियां	विभिन्न गतिविधियों के लक्ष्य निर्धारित करने हेतु व्यापक दिशानिर्देश (ग्राम पंचायत के आधार पर परिवर्तन हो सकता है)	संख्यावार लक्ष्य का अनुमान लगाने के लिए टारगेट/फार्मूला	अनुक्रमण क्षमता / उत्सर्जन से बचाव
----------	----------------------	---	---	------------------------------------

आजीविका और हरित उद्यमशीलता को बढ़ाना

1	सौर ऊर्जा चालित कोल्ड स्टोरेज का निर्माण एवं किराये पर देना	कोल्ड स्टोरेज की स्थापना	क्षमता: 1 इकाई = 5 - 10 मीट्रिक टन सब्जियों और फलों/और/या दूध और दूध उत्पादों के उत्पादन पर आधारित लागत: ₹ 8-15 लाख प्रति यूनिट	
---	---	--------------------------	---	--

अनुलग्नक V: प्रासंगिक एसडीजी और लक्ष्य

एसडीजी 2: जीरो हंगर



लक्ष्य 2.3: भूमि, अन्य उत्पादक संसाधनों और इनपुट, ज्ञान, वित्तीय सेवाओं, मूल्यवर्धन और गैर-कृषि रोजगार के लिए बाजार और अवसर तक सुरक्षित और समान अभिगम सहित, छोटे पैमाने के खाद्य उत्पादकों, विशेष रूप से महिलाओं, स्वदेशी लोगों, पारिवारिक किसानों, चरवाहों और मछुआरों की कृषि उत्पादकता और आय को दोगुना करना।

लक्ष्य 2.4: वर्ष 2030 तक, सतत खाद्य उत्पादन प्रणाली सुनिश्चित करना तथा लचीली कृषि पद्धतियों को लागू करना जो उत्पादकता और उत्पादन को बढ़ाती हैं, जो पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखने में मदद करती हैं, जो जलवायु परिवर्तन, चरम मौसम, सूखा, बाढ़ और अन्य आपदाओं के अनुकूलन की क्षमता को सुदृढ़ करती हैं एवं जो भूमि और मिट्टी की गुणवत्ता में उत्तरोत्तर सुधार करती हैं।

लक्ष्य 2.a; अनुच्छेद 10.3.e.: सतत सिंचाई कार्यक्रमों का विकास

एसडीजी 3: अच्छा स्वास्थ्य और खुशहाली



लक्ष्य 3.3: एड्स, तपेदिक, मलेरिया और उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोगों की महामारी को समाप्त करना तथा हेपेटाइटिस, जल-जनित रोगों और अन्य संचारी रोगों से मुकाबला करना।

लक्ष्य 3.9: खतरनाक रसायनों और वायु, जल और मिट्टी के प्रदूषण और संदूषण से होने वाली मौतों और बीमारियों की संख्या में काफी कमी लाना।

एसडीजी 6: स्वच्छ जल और स्वच्छता



लक्ष्य 6.1: पीने के पानी तक सार्वभौमिक और न्यायसंगत पहुंच प्राप्त करना।

लक्ष्य 6.3: वर्ष 2030 तक, प्रदूषण को कम करके, डंपिंग को समाप्त करके और खतरनाक रसायनों और सामग्रियों की रिहाई को कम करके, अनुपचारित अपशिष्ट जल के अनुपात को आधा करके और वैश्विक स्तर पर रीसाइक्लिंग और सुरक्षित पुनः इस्तेमाल को बढ़ाकर पानी की गुणवत्ता में सुधार करना।

लक्ष्य 6.4: सभी क्षेत्रों में जल-इस्तेमाल दक्षता में पर्याप्त वृद्धि करना और स्थायी निकासी सुनिश्चित करना

लक्ष्य 6.5: सभी स्तरों पर एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन लागू करना

लक्ष्य 6.8: स्थानीय समुदायों की भागीदारी को समर्थन और सुदृढ़ करना

लक्ष्य 6.a : अपशिष्ट जल उपचार, पुनर्चक्रण और पुनः इस्तेमाल प्रौद्योगिकियों सहित जल और स्वच्छता संबंधी गतिविधियों और कार्यक्रमों में विकासशील देशों के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और क्षमता निर्माण सहायता का विस्तार करना।

एसडीजी 7: किफायती एवं स्वच्छ ऊर्जा



लक्ष्य 7.1: किफायती, विश्वसनीय और आधुनिक ऊर्जा सेवाओं तक सार्वभौमिक अभिगम सुनिश्चित करना।


लक्ष्य 7.2: ऊर्जा मिश्रण में नवीकरणीय ऊर्जा की हिस्सेदारी बढ़ाना

लक्ष्य 7.3: ऊर्जा दक्षता में सुधार की वैश्विक दर को दोगुना करना

लक्ष्य 7.a : नवीकरणीय ऊर्जा, ऊर्जा दक्षता और उन्नत और स्वच्छ जीवाश्म-ईंधन प्रौद्योगिकी सहित स्वच्छ ऊर्जा अनुसंधान और प्रौद्योगिकी तक अभिगम की सुविधा के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ाना, और ऊर्जा अवसंरचना और स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकी में निवेश को बढ़ावा देना।

लक्ष्य 7.b: विकासशील देशों में उनके समर्थन कार्यक्रमों के अनुसार सभी के लिए आधुनिक और सतत ऊर्जा सेवाओं की आपूर्ति के लिए अवसंरचना का विस्तार और प्रौद्योगिकी का उन्नयन।

एसडीजी 8: अच्छा कार्य और आर्थिक विकास



लक्ष्य 8.3: विकास-उन्मुख नीतियों को बढ़ावा देना जो उत्पादक गतिविधियों, सही रोजगार सृजन, उद्यमिता, रचनात्मकता और नवाचार को बढ़ावा देती हैं, और वित्तीय सेवाओं तक अभिगम सहित सूक्ष्म, लघु और मध्यम आकार के उद्यमों की औपचारिकता और विकास को प्रोत्साहित करती हैं।

एसडीजी 9: उद्योग, नवाचार और अवसंरचना



लक्ष्य 9.1: गुणवत्तापूर्ण, विश्वसनीय, टिकाऊ और लचीला बुनियादी ढाँचा विकसित करना

एसडीजी 11: संधारणीय शहर और समुदाय



लक्ष्य 11.2: सभी के लिए सुरक्षित, किफायती, सुलभ और सतत परिवहन प्रणाली

लक्ष्य 11.4: विश्व की सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासत की रक्षा और सुरक्षा के प्रयासों को सुदृढ़ करना

लक्ष्य 11.7: वर्ष 2030 तक, विशेष रूप से महिलाओं और बच्चों, वृद्ध व्यक्तियों और विकलांग व्यक्तियों के लिए सुरक्षित, समावेशी और सुलभ, हरे और सार्वजनिक स्थानों तक सार्वभौमिक अभिगम प्रदान करना।

एसडीजी 12: सतत खपत और उत्पादन पैटर्न सुनिश्चित करना



लक्ष्य 12.2: प्राकृतिक संसाधनों का सतत प्रबंधन और कुशल इस्तेमाल प्राप्त करना

लक्ष्य 12.4: वर्ष 2020 तक, सहमत अंतरराष्ट्रीय ढांचे के अनुसार रसायनों और उनके पूरे जीवन चक्र में सभी अपशिष्टों का पर्यावरणीय रूप से सुदृढ़ प्रबंधन प्राप्त करना, और मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण पर उनके प्रतिकूल प्रभावों को कम करने के लिए हवा, पानी और मिट्टी में उनकी रिहाई को काफी कम करना।

लक्ष्य 12.5: वर्ष 2030 तक रोकथाम, कमी, पुनर्चक्रण और पुनः इस्तेमाल के माध्यम से अपशिष्ट उत्पादन को काफी हद तक कम करना।

लक्ष्य 12.5: वर्ष 2030 तक रोकथाम, कमी, पुनर्चक्रण और पुनः इस्तेमाल के माध्यम से अपशिष्ट उत्पादन को काफी हद तक कम करना।

लक्ष्य 12.8: वर्ष 2030 तक, सुनिश्चित करें कि हर जगह लोगों के पास सतत विकास और प्रकृति के साथ सद्भाव में जीवन शैली के लिए प्रासंगिक जानकारी और जागरूकता हो।

एसडीजी 13: जलवायु संबंधी कार्रवाई



लक्ष्य 13.1: सभी देशों में जलवायु संबंधी खतरों और प्राकृतिक आपदाओं के प्रति लचीलापन और अनुकूली क्षमता को सुदृढ़ करना।

लक्ष्य 13.2: जलवायु परिवर्तन उपायों को राष्ट्रीय नीतियों, रणनीतियों और योजना में एकीकृत करना।

लक्ष्य 13.3: जलवायु परिवर्तन शमन, अनुकूलन, प्रभाव में कमी और प्रारंभिक चेतावनी पर शिक्षा, जागरूकता बढ़ाने और मानव और संस्थागत क्षमता में सुधार करना।

एसडीजी 15: भूमि पर जीवन



लक्ष्य 15.1: अंतरराष्ट्रीय समझौतों के तहत दायित्वों के अनुरूप स्थलीय और अंतर्देशीय मीठे पानी के पारिस्थितिकी तंत्र और उनकी सेवाओं, विशेष रूप से जंगलों, आर्द्रभूमि, पहाड़ों और शुष्क भूमि के संरक्षण, बहाली और सतत इस्तेमाल को सुनिश्चित करना।

लक्ष्य 15.2: वर्ष 2020 तक सभी प्रकार के वनों के स्थायी प्रबंधन के कार्यान्वयन को बढ़ावा देना, वनों की कटाई को रोकना, नष्ट हुए वनों को पुनर्स्थापित करना और विश्व स्तर पर वनीकरण और पुनर्वनीकरण में पर्याप्त वृद्धि करना।

लक्ष्य 15.3: वर्ष 2030 तक, मरुस्थलीकरण से निपटना, मरुस्थलीकरण, सूखे और बाढ़ से प्रभावित भूमि सहित खराब भूमि और मिट्टी को बहाल करना, और भूमि क्षरण-तटस्थ दुनिया को प्राप्त करने का प्रयास करना। लक्ष्य 15.5: प्राकृतिक आवासों के क्षरण को कम करने, जैव विविधता के नुकसान को रोकने के लिए तत्काल और महत्वपूर्ण कार्रवाई करना।

लक्ष्य 15.9: वर्ष 2020 तक, पारिस्थितिकी तंत्र और जैव विविधता मूल्यों को राष्ट्रीय और स्थानीय योजना, विकास प्रक्रियाओं, गरीबी उन्मूलन रणनीतियों में एकीकृत करना।

अनुलग्नक VI: वृक्षारोपण गतिविधियों के लिए उपयुक्त प्रजातियाँ

पौधों का नाम	प्रजाति (फैमिली)	स्थानीय नाम	उपयोग/औषधीय गुण
इमारती लकड़ी के पेड़			
अकेसिया निलोटिका	फैबेसी	बबूल	गाड़ियों के फ्रेम और पहियों, उपकरणों और औजारों जैसे उत्पादों को बनाने के लिए किया जाता है।
फ्रिक्स रिलिजियोसा	मोरेसी	पीपल	इसमें औषधीय गुण और इसका धार्मिक महत्व है।
आज़ादिराक्टा इंडिका ए. जस	मेलियासी	नीम	नीम के पेड़ के सभी भाग - पत्ते, फूल, बीज, फल, जड़ और छाल का उपयोग पारंपरिक रूप से उपचार के लिए किया जाता रहा है। इसकी लकड़ी फर्नीचर के लिए आदर्श है, क्योंकि यह मजबूत और दीमक प्रतिरोधी दोनों है।
डालबर्गिया सिस्सो	फैबेसी	शीशम	इसके कई उपयोग हैं, हवाई और समुद्री जहाज में, कोयले के रूप में भोजन को गर्म करने और पकाने के लिए, संगीत वाद्ययंत्र बनाने आदि
मधुका लॉगिफोलिया	सैपोटेसी	महुआ	यह विभिन्न उपयोगों के लिए गुणवत्तापूर्ण इमारती लकड़ी प्रदान करता है।
शोरिया रोबस्टा	डिप्टेरोकार्पेसी	साल	इसका उपयोग रेलवे स्लीपर, जहाज और पुलों के निर्माण के लिए किया जाता है।
सिनामोमम तमाला	लौरेसी	भारतीय तेज पत्ता	यह विभिन्न स्वास्थ्य समस्याओं को ठीक करने में मदद करता है और खाना पकाने में इसका उपयोग किया जाता है।
फल और जंगली खाद्य पौधे			
मैंगीफेरा इंडिका	एनाकार्डिएसी	आम (मैंगो)	इसके सभी भागों का उपयोग पारंपरिक उपचार में किया जाता है
आर्टोकार्पस हेटरोफिलस	मोरेसी	कटहल , (जैकफ्रूट)	इसकी लकड़ी का उपयोग फर्नीचर बनाने के लिए किया जाता है। पौधे के कई हिस्से, जिनमें छाल, जड़ें, पत्तियां और फल शामिल हैं, पारंपरिक और लोक चिकित्सा में अपने औषधीय गुणों के लिए जाने जाते हैं।

पौधों का नाम	प्रजाति (फैमिली)	स्थानीय नाम	उपयोग/औषधीय गुण
सिडियम गुजावा	मायर्टेसी	अमरूद (गुआवा)	यह विभिन्न गैस सम्बन्धी रोगों के लिए एक सामान्य और लोकप्रिय पारंपरिक उपचार है।
एगारिकस कैम्पेस्ट्रिस एल	एगारिकेसी	धरती का फूल	एक प्रकार का मशरूम।
अंकोलसाल्विफोलियम (एलएफ) वांग	अलंगियासी	ढेरा (एको)	इसके पके फल खाए जाते हैं।
अमोर्फोफैलस पेओनीफोलियसडेनस्ट	अरेसी	हाथीपाँव, जिमी कंद	इसे सब्जी के रूप में खाया जाता है।
क्रोटोलारियाजंशिया एल.	फैबेसी	सनई	हल्की उबली हुई कलियाँ सब्जी के रूप में खाई जाती हैं।
मणिलकारा हेक्सेंड्रा (रोक्सब) डब	सैपोएटेसी	खिरनी	इससे प्राप्त फलों से अचार और सॉस बनाया जाता है।
यूजेनिया जाम्बोलाना	मायर्टेसी	जामुन	इसकी जड़, पत्तियाँ, फल और छाल में असंख्य औषधीय गुण होते हैं।
एगल मार्मेलोस	रूटेसी	बेल	कच्चे फल, जड़, पत्ती और शाखा का उपयोग औषधि बनाने के लिए किया जाता है।
मोरस रूबरा	मोरेसी	शहतूत	शहतूत को कच्चा खाया जा सकता है और इसका उपयोग जैम, प्रिजर्व, पाई बनाने के लिए भी किया जाता है। इनमें औषधीय गुण भी होते हैं।

औषधीय गुणों वाले पेड़

विथानियासोमिफेरा	सोलानेसी	अश्वगंधा	यह विभिन्न प्रकार के रोगों में उपयोगी है।
बकोपा मोनिएरी	प्लांटैगिनेसी	ब्राह्मी	इसका उपयोग विभिन्न सांस रोगों को ठीक करने के लिए किया जाता है।
एंद्रोग्राफीस पैनिकुलता	एकैथेसी	कालमेघ	यह प्रतिरक्षा को बढ़ाने में मदद करता है और इसका उपयोग सामान्य सर्दी, साइनसाइटिस और एलर्जी के लक्षणों को ठीक करने के लिए किया जाता है।
राउवोल्फिया सर्पेन्टिना	एपोसिनेसी	सर्पगंधा	इसका उपयोग कई अलग-अलग बीमारियों के उपचार के लिए किया जाता है।

पौधों का नाम	प्रजाति (फैमिली)	स्थानीय नाम	उपयोग/औषधीय गुण
--------------	------------------	-------------	-----------------

औषधीय गुणों वाले लुप्तप्राय पेड़

एकोरस कैलमस एल.	अरेसी	बाख, बाल, घोर्बच	ब्रोंकाइटिस, खांसी और सर्दी के इलाज के लिए एक उपयोगी जातीय औषधीय पौधा।
ऐस्पैरैगस ऐडसेंडेंसरोक्सबी	लिलिएसी	शतावरी	हार्मोन असंतुलन से संबंधित स्थितियों के उपचार में मदद करता है।
सेलास्ट्रस पैनिकुलैटस वाइल्ड ।	सेलास्ट्रेसी	उमजैन , मुजहानी , मलकांगनी, ककुंदन	विभिन्न प्रकार की बीमारियों के उपचार में उपयोगी है।

अन्य पेड़

पोपुलस सिलियाटा	सैलिकैसी	सेमल, कपोक	इसकी पत्तियों का उपयोग पशुओं के चारे और हर्बल चाय के लिए किया जाता है।
यूकेलिप्टस ग्लोब्युलस	मायर्टेसी	तैलपत्र	खांसी और सामान्य सर्दी के उपचार के लिए दवाओं में उपयोग किया जाता है और आवश्यक तेल बनाने के लिए भी उपयोग किया जाता है।

